okf"kd fjikV
2015-16

भारत रुरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन
सी–32, दूसरी मंज़िल, नीति बाग, नई दिल्ली
फोनः 011–46061935, फैक्सः 011–41013385
वेबसाइटः www.brlf.in, ई–मेलः info@brlf.in

Hkkjr #jy ykboyhgqMl QkmaMs'ku

विभिन्न जैविक कीटनाशक एवं उर्वता नियंत्रक, गया, प्रान
फोटो श्रेयः राजीब राउल

fo"k; lph

बीआरएलएफ के बारे में	4
पृष्ठभूमि	4
हमारा उपागम	6
सुशासन/नियमन व्यवस्था	11
पारदर्शिता एवं जवाबदेही	11
बीआरएलएफ कार्यक्रमों का भौगोलिक विस्तार	12
सिविल सोसायटी संगठनों के साथ साझेदारी	14
बीआरएलएफ परियोजनाओं का प्रभाव	16
सिविल सोसायटी संगठन साझेदारों को सहयोग	20
राज्य सरकारों के साथ साझेदारी	22
शोध एवं ज्ञान प्रबंधन	25
मुख्य मुद्दे	26
सहभागी भू–जल प्रबंधन	26
गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन	29
ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन	30
गैर–अधिसूचित/विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियां	31
क्षमता–निर्माण हेतु किये गए प्रयास	32
ग्रामीण पेशेवर कार्यकर्ता निर्माण कार्यक्रम	32
पंचायती राज संस्थानों के चयनित प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम	35
साझेदार सिविल सोसायटी संगठन	36
आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (भारत)	36
बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन	39
कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स (CInI)	41
दिगम्बरपुर अंगीकार	43
फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी	45
लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन	48
परिसंघ परियोजनाः परहित समाज सेवी संस्थान (मुख्य भागीदार)	50
प्रदान	53
प्रसारी	56
सोशल एजुकेशन फॉर विमेंस अवेयरनेस (सेवा)	58
सृजन	60
विकास सहयोग केंद्र	62
वेस्टर्न ओड़िसा एनआरइजीएस कन्सोर्टियम	64
यूथ कौंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज (वायसीडीए)	66
अन्य साझेदारियां	68
बीआरएलएफ टीम का सुदृढ़ीकरण और संगठन	70
तालिका	72
तालिका 1: पंजीयन प्रपत्र	73
तालिका 2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ अनुबंधपत्र	74
तालिका 3: 12ए प्रपत्र	80
तालिका 4: 80जी प्रपत्र	81
तालिका 5: खाता अंकेक्षण एवं वित्तीय सारांश (2015–16)	82

v/;{k dk lUnsk

दो वर्ष की अल्प अवधि में बीआरएलएफ यह दर्शाने में सफल रहा है कि वृहद् स्तर पर आजीविका हस्तक्षेपों के प्रभाव को स्थापित करने के लिए सिविल सोसायटी संगठन और शासन किस प्रकार साझेदारी के मजबूत बंधन में बंधकर, एक अनूठे रूप में साथ मिल कर कार्य कर सकते हैं। बीआरएलएफ के कार्यों का फोकस माननीय प्रधानमंत्री जी की नवाचार योजनाओं को लागू करना, सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में सुधार लाना, ग्रामीण आजीविकाओं का प्रबंध करने के लिए नवीन कार्यों को प्रेरित करना, सहभागी भूजल प्रबंधन, गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन, ग्रामीण पेशेवर कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन, और अत्यंत वंचित आदिवासी समुदायों के साथ काम करना, आदि मुद्दे शामिल है।

बीआरएलएफ ने एक विस्तृत और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से 34 सिविल सोसायटी संगठन का चयन कर अनुदान उपलब्ध कराया है। इन 34 साझेदार संगठनों के साथ प्रस्तावित कार्यक्रमों के जरिये देश के 8 राज्यों के 59 जिलों के 130 विकास खण्डों में निवास कर रहे 6,07,000 सहभागी परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

बीआरएलएफ ने आदि–से–लेकर–अंत–तक कार्य सम्पादन हेतु टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर AID 360 सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है, जोकि परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए 'परिणाम आधारित वैचारिक ढांचे' का प्रयोग करता है। यह सॉफ्टवेयर प्रबंध सूचना प्रणाली और निगरानी व मूल्यांकन हेतु शक्तिशाली उपकरण के रूप में सामने आया है। AID 360 ये भी सुनिश्चित करता है कि बीआरएलएफ व इसके साझेदार संगठन दोनों प्रगति पर नजर रखने और प्रयुक्त संसाधनों के विरूद्ध प्राप्त लक्ष्यों को मापने के लिए समर्थ हो सकें। समस्त बीआरएलएफ परियोजनाओं के लिए यह अनिवार्य है, कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित प्रमुख योजनाओं जैसेकि, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान, जन–धन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, और सुरक्षा बीमा योजना को अपनी कार्य–योजना में शामिल करें. समस्त बीआरएलएफ साझेदार संगठनों को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ परियोजना के सभी चयनित सहभागी परिवारों तक पहुंचे।

राज्य सरकारों और बीआरएलएफ के मध्य साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए, और राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति कार्य करने के लिए बीआरएलएफ द्वारा झारखण्ड, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओड़िसा, और पश्चिमी बंगाल राज्यों की सरकारों के साथ औपचारिक रूप से सहमति पत्र हस्ताक्षरित किये गए हैं जिससे कि परियोजना समीक्षा और रिपोर्टिंग तंत्र को संस्थात्मक स्वरुप दिया जा सके, बीआरएलएफ साझेदारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके, और पंचायती राज संस्थाओं व राज्य सरकार कार्मिकों का क्षमतावर्धन किया जा सके। राज्य सरकारों की विशिष्ट आवश्यकताओं में शोध अध्ययन व तकनीकि सहयोग शामिल है, जो बीआरएलएफ प्रदान कर रहा है। अन्य राज्यों के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षर की प्रक्रिया जारी है।

भूजल की महत्ता और ग्रामीण आजीविका में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, बीआरएलएफ 18 स्थानों पर सहभागी भूजल प्रबंधन विषय पर परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। ये क्रियात्मक शोध परियोजनाएं 10 बीआरएलएफ साझेदारों द्वारा 7 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं। इनके तहत, समुदाय सदस्यों का क्षमतावर्धन, वैज्ञानिक पद्धति आधारित भू–जल भराव मानचित्रीकरण व विविध क्षेत्र सर्वेक्षण, और भूजल के सतत उपयोग हेतु सामुदायिक निर्णय को प्रेरित करना व सुगमता प्रदान करना आदि सम्मिलित हैं।

वर्तमान में, ज्यादातर किसान पर्यावरण, मनुष्य व अन्य जीवधारियों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को जाने बगैर,रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का निरंतर व अत्यधिक प्रयोग करते आ रहे हैं। खेती की बढ़ती व अस्थिर होती लागतों का भी यह एक मुख्य करण है। बीआरएलएफ सतत व स्थायी कृषि आधारित आजीविका को प्रोन्नत करने हेतु गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन विधा को एक रणनीति के तौर पर अपनाने के लिए किसानों को सहजीकृत कर रहा है। 13 साझेदारों संगठनों द्वारा 13 स्थानों का चयन किया जा चुका है, व आने वाले खरीफ की फसल की बुआई के साथ ही कार्य शुरू कर दिया जायेगा। हस्तक्षेप के चयनित भौगोलिक क्षेत्रों में, कृषि हेतु गहन रूप से गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन विधा को प्रेरित करने, तकनीकि क्षमतावर्धन करने, व किसानों की उपज को बाजार उपलब्ध कराने हेतु बीआरएलएफ द्वारा तकनीकि संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा रहा है।

कुछ अधिसूचित व विमुक्त जनजातियाँ (DNT) व घुमंतू (nomadic) जनजातियाँ समाज के एक ऐसे वर्ग का निर्माण करती हैं जो हाशिये पर खड़ा है। ये जनजातियाँ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का शिकार हैं व विकास के लिए आवश्यक संसाधनों तक इनकी पहुँच भी सीमित ही है। कुछ खास अधिसूचित विमुक्त व घुमंतू जनजातियों की चुनौतियों को समझने के लिए बीआरएलएफ द्वारा महाराष्ट्र में क्षेत्रीय भ्रमण किया गया है। इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर शीघ्र ही विशेष हस्तक्षेपों को क्रियान्वित किया जायेगा ताकि इन समुदायों की सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सुधार लाया जा सके।

बीआरएलएफ का मुख्य उद्देश्य मौजूदा और उभरते ग्रामीण पेशेवर कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन है जो कि शासकीय विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थाओं अथवा समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से उचित सेवायें प्रदान कर सकें। बीआरएलएफ और केन्द्रीय विश्वविद्यालय गुजरात, गांधीनगर ने मिलकर इन ग्रामीण पेशेवर व्यक्तियों के लिए बहु–स्थानिक, और बहु–विषयक पाठ्यक्रम तैयार किया हैं। यह प्रयास ग्रामीण आजीविका संवर्धन के लिए क्षमता–निर्माण हेतु विस्तृत कार्यक्रम–श्रृंखला का एक हिस्सा होगा, जिसे शासन व सिविल सोसायटी संगठन दोनों की आवश्यकता अनुरूप तैयार किया जायेगा। यह कार्यक्रम सहयोगात्मक विधा के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें, क्रियान्वयन, ज्ञान, व प्रशिक्षण क्षमताओं आदि कसोटियों पर खरी उतरी सिद्ध संस्थाओं के साथ सीधी भागीदारी निर्धारित की गयी है।

जिस तरीके से बीआरएलएफ का कार्य अग्रसर हो रहा है, मैं उसके लिए बीआरएलएफ की टीम को बधाई देता हूँ जिन्होंने इतने कम समय में उल्लेखनीय प्रगति को अर्जित किया है। मैं बीआरएलएफ की साधारण सभा और कार्यकारिणी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिसने हर मौके पर श्रमसाध्य मार्गदर्शन प्रदान किया। अंत में, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और समस्त राज्य सरकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बीआरएलएफ द्वारा प्रेरित कार्य को निरंतर प्रोत्साहन व सहयोग दिया है।

डॉ.मिहिर शाह

Hkkjr :jy ykboyhgM l QkmM'ku d ckj e

i"BHkfe

बीआरएलएफ की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र संस्था के तौर पर की गई है जिससे कि सरकार एवं सिविल सोसायटी संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। बीआरएलएफ का पंजीकरण, संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के तौर पर किया गया है। बीआरएलएफ की अवधारणा वर्ष 2012 में केन्द्रीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के खंड 111 में प्रस्तुत की गई थी। उक्त खंड में स्पष्टता से वर्णित किया गया कि "आजीविका के माध्यम से भारत रूरल लाइवलीहुडस फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। यह फाउंडेशन आदिवासी बाहुल्य के 170 जिलों में विभिन्न सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा अनूठे कार्यों एवं कार्यक्रमों को बढ़ावा व सहयोग प्रदान करेगी। निजी न्यासों और परोपकारी संस्थाओं को इस स्वायत्त इकाई के साथ भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा और इसका प्रबंधन पेशेवर व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा"। इस घोषणा के पश्चात् 3 सितम्बर 2013 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के साथ सिविल सोसायटी संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र संस्था के रुप में बीआरएलएफ के गठन का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने इस बात को गंभीरता से लिया कि मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों में विकास और सुशासन के प्रयास कारगर नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही मंत्रिमंडल ने इन मुद्दों पर कार्य करने की भी आवश्यकता समझी जैसे; ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन, जनजातीय क्षेत्रों में सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को गुणवत्तापूर्वक संचालित करना, और जनजातीय समुदायों के मध्य पैदा हो रहे अलगाव के भाव को समाप्त करके भारतीय लोकतंत्र और सुशासन के ढांचे पर पुनर्विश्वास निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

13 जनवरी 2014 को बीआरएलएफ और ग्रामीण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गए। सहमति पत्र के अनुसार इस नयी संस्था के कार्पस निधि के लिए भारत सरकार द्वारा, वित्त कमेटी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार दो हिस्सों में, 500 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराना तय किया गया। इसके अतिरिक्त सम्बंधित राज्य सरकारों एवं परोपकारी संस्थाओं से भी राशि जुटाने की बात कही गई।

बीआरएलएफ का गठन मध्य भारतीय आदिवासी क्षेत्रों, जो कि फाउंडेशन की प्रथम प्राथमिकता वाले भौगोलिक क्षेत्र है, के निवासियों की आजीविका व जीवन में सकरात्मक बदलाव लाने के लिए, सरकार के साथ भागीदारी में सिविल सोसायटी संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देने व सहजीकृत करने की दृष्टि से किया गया है। इसका प्रमुख लक्ष्य विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोगों के सशक्तिकरण से जुड़े जमीनी स्तर के हस्तक्षेपों को सहयोग करना, तथा उन विधाओं को बढ़ावा देना है जो कि कार्यक्रम के तहत की जाने वाली गतिविधियों व उसको करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति, दोनों ही स्तरों पर नवीनता लिए हों। यह नवीनता किसी भी दिशा में हो सकती है जैसे; प्रोद्योगिकी, सामाजिक जुड़ाव (मोबिलाइजेशन) की विधियाँ, संस्था निर्माण, साझेदारी का ढांचा, या फिर प्रबंधन की विधियाँ इत्यादि।

रणनीतिक तौर पर, बीआरएलएफ द्वारा सहयोग प्रदत्त हर परियोजना की विशेषता यही रहेगी कि वह राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास और आजीविका कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए बैंकों व सरकार द्वारा मुहैया कराये जा रहे विस्तृत वित्तीय संसाधनों को प्रयोग में लायें। बीआरएलएफ की कार्यनीति में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि इसके जरिये उन परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया जायेगा जो कि आमतौर पर सरकारी कार्यक्रमों व उनके तहत प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता का उपयोग करती हैं।

बीआरएलएफ, प्रारंभिक स्तर पर, मध्य भारत के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करेगा, विशेषकर ओड़िसा, झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्यों के 190 जिलों के 1077 ब्लाक/तहसीलें/तालुके/मण्डल जहाँ 20% से ज्यादा (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) आदिवासी जनसंख्या निवास करती है।

वाडी प्लान्टेशन, उदयपुर, खालवा, खंडवा, मध्यप्रदेश
फोटो श्रेयः एकेआरएसपी–आई

chvkj ,y ,Q dk mikxe

बीआरएलएफ के उद्देश्यों में प्रमुख उद्देश्य गरिमापूर्ण व स्थायी आजीविका के अवसरों को प्रोन्नत करना, महिलाओं के लिए विविध अवसरों का सृजन करना, जनजातीय समुदायों (विशेषकर महिलाओं) के लिये संसाधनों तक उनकी पहुँच को और उन पर नियंत्रण को बढ़ाना, उपलब्ध संसाधनों को उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाना, और जिम्मेदार, जवाबदेह, पारदर्शी प्रशासनिक एवं स्व–शासित संस्थाओं को खड़ा करना, मांग–आधारित सेवा आपूर्ति और मानकपूर्ण सेवाओं वाली मजबूत और प्रभावी व्यवस्था का निर्माण, व युवाओं के लिए नवीन अवसर पैदा करना इत्यादि हैं।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि जमीनी स्तर पर मौजूद लोकतांत्रिक संस्थाओं का मजबूतीकरण करते हुए कार्यक्रम व्यय और परिणामों के मध्य अंतर को कम किया जाए; साथ ही, कार्यक्रमों को लागू करने में गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाए, संसाधनों की अपव्ययता को कम किया जाए, अशांत एवं असुरक्षित क्षेत्रों में विकास और शांति के लिए नवाचार युक्त रणनीति को अपनाने की दिशा में काम किया जाए। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि राज्यों और सिविल सोसायटी संगठनों की असरदार साझेदारी को प्रोन्नत करना एक ऐसा प्रभावी तरीका है जिससे राज्यों के समावेशित विकास के दृढ़ संकल्प को पुख्ता परिणामों में परिवर्तित किया जा सकता है।

ध्येय यही है कि, लोगों, विशेषकर आदिवासियों के सशक्तिकरण हेतु जमीनी स्तर पर संचालित गतिविधियों को सहयोग किया जाये व उन विधाओं को बढ़ावा दिया जाये, जो कि कार्यक्रम के तहत की जाने वाली गतिविधियों व उसको करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति, दोनों ही स्तरों पर नवीनता लिए हों। रणनीतिक तौर पर, बीआरएलएफ द्वारा अनुदानित हर परियोजना की समान विशेषता यही होगी कि वह विकास कार्यक्रमों/योजनाओं जैसे; मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, एकीकृत कार्य योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वर्षा–आधारित क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि के लिए बैंकों व सरकार द्वारा मुहैया कराये जा रहे विशाल वित्तीय संसाधनों का लाभ उठायें। सोच यही है कि, बीआरएलएफ उन परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करे जो सरकारी कार्यक्रमों और उनके तहत उपलब्ध निधि का लाभ लेती हों। निसंदेह, बीआरएलएफ अपने सिविल सोसायटी संगठन साझेदारों के माध्यम से न केवल इस प्रकार के विभिन्न अवसरों को सहज व सुगम करेगा, बल्कि इसका लक्ष्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में काम के दौरान उत्पन्न होने वाली विवादस्पद परिस्थितियों से निपटने के लिए साथी संस्थाओं को आवश्यक वैधता भी प्रदान करेगा। बीआरएलएफ अपनी साझेदार संस्थाओं को इस बात के लिए खासतौर पर मदद करेगा कि वे अपनी परियोजना रूपरेखा में सरकार, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक रीति वाले प्रारूप में कार्य करना सुनिश्चित करें।

बीआरएलएफ से अनुदान प्राप्त करने वाली सिविल सोसायटी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों के लिए यह आवश्यक होगा कि परियोजना लागत में एक हिस्सा वे स्वयं अपने स्रोतों से या अन्य दूसरे स्रोतों से जुटाएंगे। अनुदानित संस्था द्वारा कितनी आनुपातिक राशि प्रशासनिक कार्यों के लिए खर्च की जाएगी, इसके लिए सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, बीआरएलएफ के क्षमता–संवर्धन कार्यक्रम के तहत संदर्भ व्यक्तियों के समूह का गठन किया जायेगा जिनके जरिये सरकार के विकास कार्यक्रमों, सिविल सोसायटी संगठनों और समुदाय जनित विकासात्मक हस्तक्षेपों को सहयोग प्रदान किया जाएगा।

chvkj ,y ,Q dk dk;Øe ik#i

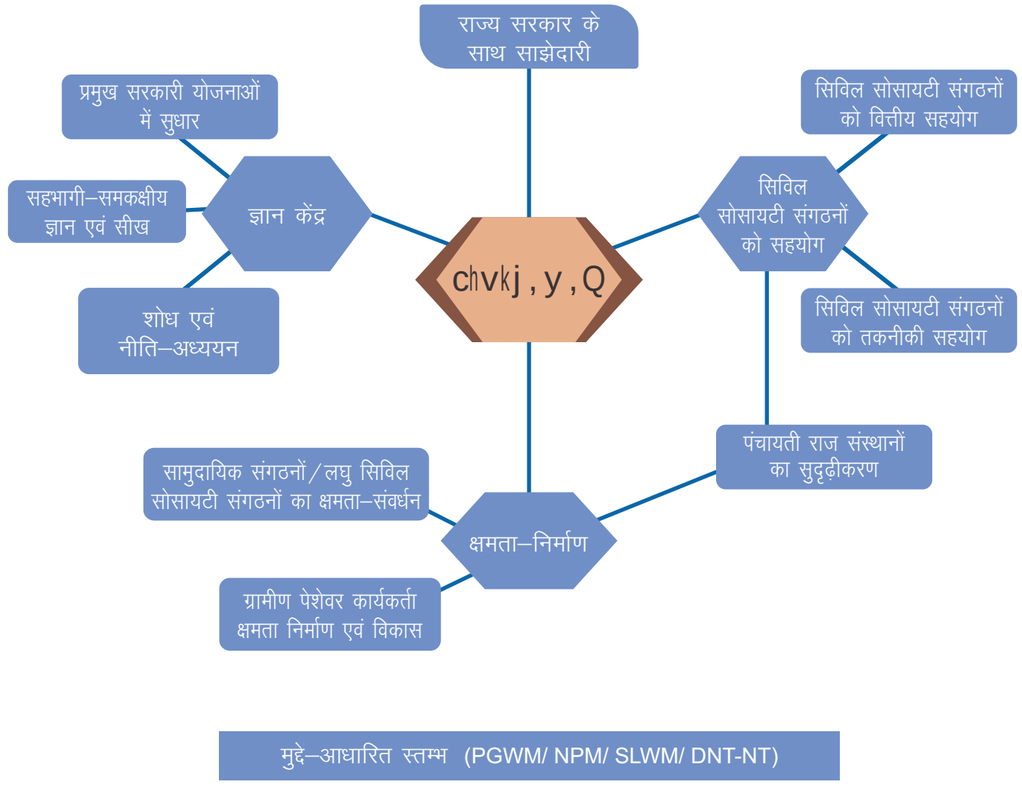

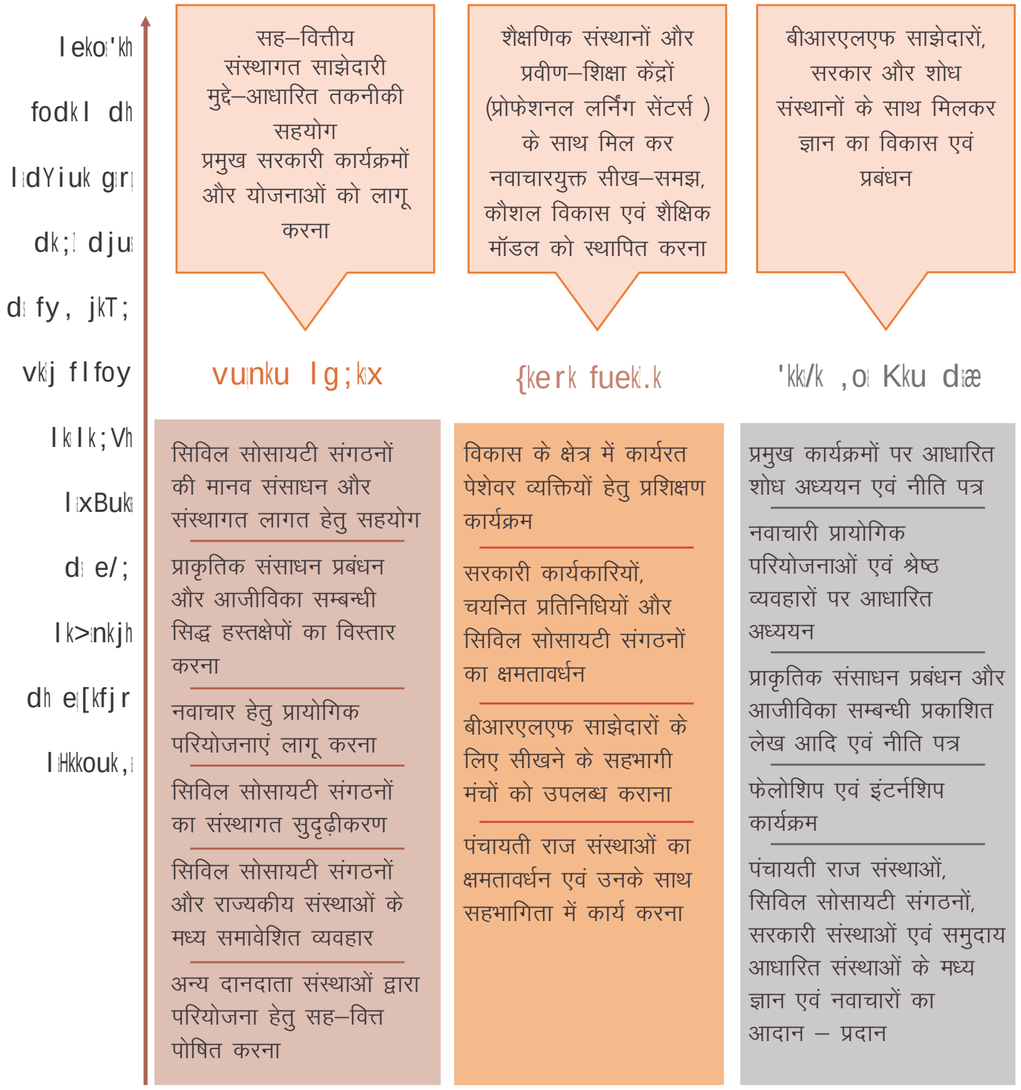

lekos'kh
fodkl dh
lkdYiuk gr
dk;l dju
dfy, jkT;
vkj flfoy
lkslk;Vh
lxBuk
dk e/;
lk>nkjh
dh e[kfjr
lHkkouk,

सह–वित्तीय संस्थागत साझेदारी मुद्दे–आधारित तकनीकी सहयोग प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करना	शैक्षणिक संस्थानों और प्रवीण–शिक्षा केंद्रों (प्रोफेशनल लर्निंग सेंटर्स) के साथ मिल कर नवाचारयुक्त सीख–समझ, कौशल विकास एवं शैक्षिक मॉडल को स्थापित करना	बीआरएलएफ साझेदारों, सरकार और शोध संस्थानों के साथ मिलकर ज्ञान का विकास एवं प्रबंधन
vunku lg;kx	**{kerk fuek.k**	**'kk/k ,o Kku dæ**
सिविल सोसायटी संगठनों की मानव संसाधन और संस्थागत लागत हेतु सहयोग	विकास के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रमुख कार्यक्रमों पर आधारित शोध अध्ययन एवं नीति पत्र
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका सम्बन्धी सिद्ध हस्तक्षेपों का विस्तार करना	सरकारी कार्यकारियों, चयनित प्रतिनिधियों और सिविल सोसायटी संगठनों का क्षमतावर्धन	नवाचारी प्रायोगिक परियोजनाओं एवं श्रेष्ठ व्यवहारों पर आधारित अध्ययन
नवाचार हेतु प्रायोगिक परियोजनाएं लागू करना	बीआरएलएफ साझेदारों के लिए सीखने के सहभागी मंचों को उपलब्ध कराना	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका सम्बन्धी प्रकाशित लेख आदि एवं नीति पत्र
सिविल सोसायटी संगठनों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण	पंचायती राज संस्थाओं का क्षमतावर्धन एवं उनके साथ सहभागिता में कार्य करना	फेलोशिप एवं इंटर्नशिप कार्यक्रम
सिविल सोसायटी संगठनों और राज्यकीय संस्थाओं के मध्य समावेशित व्यवहार		पंचायती राज संस्थाओं, सिविल सोसायटी संगठनों, सरकारी संस्थाओं एवं समुदाय आधारित संस्थाओं के मध्य ज्ञान एवं नवाचारों का आदान – प्रदान
अन्य दानदाता संस्थाओं द्वारा परियोजना हेतु सह–वित्त पोषित करना		

chvkj,y,Q LrEHk ,o dk;Øe

chvkj,y,Q dh eY; lkdYiuk

बीआरएलएफ निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ग्रामीण विकास और आजीविका क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन का लक्ष्य रखता है:

- आजीविका सुरक्षा हेतु माननीय प्रधानमंत्री के पहल–प्रयासों को सहयोग करना
- प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों में सुधार लाना
- ग्रामीण आजीविका की स्थितियों में सुधार हेतु नवाचार प्रेरित करना
- सहभागी भू–जल प्रबंधन
- गैर–रासायनिक आधारित कृषि प्रबंधन पद्धति को आगे लाना
- लघु वनोपज एवं फसलों हेतु मूल्य–श्रृंखला विकसित करना
- सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्रों में और विशेष रूप से अति कमजोर जनजातीय समूहों के लिए कार्य करना
- ग्रामीण पेशेवर कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन
- लघु सामुदायिक संगठनों का क्षमतावर्धन
- राज्यों को सिविल सोसायटी संगठनओं के साथ साझेदारी हेतु माध्यम देना
- सिविल सोसायटी संगठनओं को वित्तीय सहयोग में पारदर्शिता का पालन करना

बीआरएलएफ उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त, प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को गुणवत्ता–पूर्वक लागू करना, सबंधित नीति–पत्र तैयार करना व शोध अध्ययन परिणामों को प्रस्तुत करना, राज्य और केंद्र सरकारों के साथ कार्यक्रमों को लागू करने से सम्बंधित चुनौतियों व सफल प्रकरणों को रेखांकित करना आदि पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस हेतु, सभी बीआरएलएफ परियोजनाएं आवश्यक रूप से प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, प्रधानमंत्री मृदा–स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन और सहभागी भू–जल प्रबंधन आदि पर अपना कार्य संकेंद्रित करेंगीं।

vis{kr ifj.kke

Ykf{kr ifjokjksa ds fy,

- गरिमामय स्थायी आजीविका
- संसाधनों तक बढ़ती पहुँच और उनपर नियंत्रण
- संसाधनों को उपयोग करने की बढ़ती क्षमताएं
- जिम्मेदार, जवाबदेह, पारदर्शी प्रशासनिक एवं स्व–शासित संस्थायें
- सरकारी कार्यक्रमों का बेहतर निष्पादन
- उत्पादों और बाजारों तक बढ़ती पहुँच और प्रभाव्यता
- सूचनाओं तक बढ़ती पहुँच और गतिशीलता
- मजबूत और प्रभावी मांग–आधारित सेवा और सेवाओं के मानक
- युवाओं के लिए नवीन अवसर

flfoy lkslk;Vh laxBuksa ds fy,

- नवाचारों और विस्तारण के लिए पर्याप्त और समयबद्ध सहयोग
- सरकार और बैंकों से फण्ड प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रबंध
- राज्य और बाजार–आधारित संस्थाओं के साथ टिकाऊ साझेदारी
- स्थानीय प्रशासन के साथ संवाद करने और समुदाय के अधिकारों व हकों तक उनकी पहुँच को सुगम करने हेतु विधि–संगत मंच
- निर्दिष्ट क्षेत्रों में सिविल सोसायटी संगठनों की सुदृढ़ मौजूदगी
- ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम हेतु पेशेवर मानव–संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता

futh&{ks=k dh laLFkk,a tks ijksidkjh dk;ksZa esa tqVh gSa

- कॉर्पोरेट सामजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं का बेहतर सामर्थ्य एवं क्रियान्वयन
- निवेश का वृहत्तर उपयोग। सरकारी कार्यक्रमों और वित्तीय संस्थाओं के संसाधनों के साथ समावेशन
- विश्वसनीय सिविल सोसायटी संगठनों के साथ साझेदारी से बढ़ती आउटरीच

jkT;ksa ds fy,

- कार्यक्रम परिव्यय और परिणामों के मध्य घटता अंतर
- समावेशित वृद्धि
- सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने में बेहतर गुणवत्ता
- संसाधनों की अपव्ययता में कमी
- लोकतांत्रिक संस्थाओं की क्षमताओं, व्यवस्थाओं व प्रक्रियाओं के संदर्भ में जमीनी स्तर पर मजबूत मौजूदगी
- अशांत व असुरक्षित क्षेत्रों में शांति स्थापना

lq'kklu@fu;eu O;oLFkk

बीआरएलएफ की साधारण सभा और कार्यकारिणी में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, शैक्षणिक संस्थाओं, सिविल सोसायटी संगठनों और कॉर्पोरेट क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों और परोपकारी संगठनों के चुनिन्दा प्रतिनिधि जो अपने–अपने क्षेत्रों में सफल रहे हैं व जिनकी बीआरएलएफ के उद्देश्यों के प्रति समझ और निष्ठा है, शामिल किये गए हैं।

बीआरएलएफ के शासकीय ढांचे को इस प्रकार बनाया गया है, जिससे कि पूरे देश में राज्य सरकारों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। परियोजनाओं के लिए अनुदानित संस्था के चयन के स्तर पर राज्य सरकार की निर्णायक भागीदारी रहती है। सभी सम्बंधित राज्य सरकारें परियोजना अनुदानित संस्था चयन समिति (पीजीएससी) की सदस्य हैं व अभी तक इस समिति की दो बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। राज्यों के साथ विशेष साझेदारी विकसित करने के लिए बीआरएलएफ द्वारा झारखण्ड, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओड़िसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित किये गए हैं, व अन्य राज्यों के साथ इस विषय में संवाद की प्रक्रिया चालू है।

बीआरएलएफ द्वारा अपनी नियमावली के अनुसार अपेक्षित वार्षिक साधारण सभा व कार्यकारिणी की बैठकें आयोजित करायी जा चुकी हैं। दो वार्षिक साधारण सभा बैठकें क्रमशः 4 अप्रैल 2014 और 15 जून 2015 को तथा छह कार्यकारिणी बैठकें, तीन 2014–15 में तथा तीन 2015–16 में (15 जून 2015, 9 सितम्बर 2015 तथा 17 मार्च 2016) विधिवत् सम्पन्न हो चुकी हैं।

शासन प्रक्रिया को सुगम बनाने की दृष्टि से बीआरएलएफ में विभिन्न कमेटियों को गठित किया गया है जैसे कि; वित्त और अंकेक्षण कमेटी, कोष (कार्पस) प्रबंधन समिति, क्षमता–निर्माण समिति, संसाधन जुटाने हेतु समिति, अधिसूचित/विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियां संबंधी समिति तथा मानव संसाधन समिति।

ikjnf'kZrk ,oa tokcnsgh

पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्च आदर्श प्रस्तुत करने की दृष्टि से बीआरएलएफ ने अपनी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्टों और अंकेक्षित लेखों का विवरण प्रस्तुत करते हुए अपने लेखों और गतिविधियों को पूर्णतया सर्व–सुलभ किया है। पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए बीआरएलएफ ने टाटा कंसलटेंसी सर्विसेस के साथ मिलकर AID 360 नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। AID 360 अनुदान प्रबंधन का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से सम्बंधित साझेदार संगठन बीआरएलएफ को प्रस्तुत किये गए परियोजना प्रस्तावों की प्रगति स्थिति पर नजर रख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से बीआरएलएफ साझेदार अपने प्रस्तावों का शुरू से लेकर अंत तक परियोजना विकास और प्रबंधन प्रक्रियाओं का, सतत अवलोकन कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर बीआरएलएफ को भी हर परियोजना के परिणामों पर बराबर नजर रखने का अवसर देता है। परियोजना में किसी भी प्रकार की देरी होने पर यह सॉफ्टवेयर स्वतः ही परियोजना गतिविधि को समय पर और प्रभावी ढंग से पूर्ण करने की चेतावनी जारी कर देता है।

बीआरएलएफ द्वारा अपनी समस्त सूचनाओं को 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के तहत उपलब्ध कराया गया है। बीआरएलएफ के लेखों एवं व्ययों का अंकेक्षण भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा किया जाना तय किया गया है।

chvkj,y,Q dk HkkSxkfyd foLrkj

बीआरएलएफ का लक्ष्य सम्पूर्ण भारत है परन्तु, प्रारंभिक स्तर पर मध्य भारत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, विशेषकर ओड़िसा, झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्यों के 190 जिलों के ऐसे 1077 ब्लाक/तहसीलें/तालुके/मण्डल जहाँ 20% से ज्यादा (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। शुरुआती ध्यान उप–जिला स्तर पर रखा गया है क्योंकि भारत में (उत्तर–पूर्वी इलाकों के अलावा) मुख्यता आदिवासी जनसंख्या, जिलों की अपेक्षा उप–जिलास्तर पर संकेंद्रित रहती है। विकास और सुशासन प्रक्रियाएं सही मायनों में समावेशी हों और उनके लाभ आदिवासी जनसंख्या तक पहुंचे, इसके लिए ये आवश्यक है कि उप–जिला स्तर पर लक्ष्य रखा जाये।

गत वर्ष अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के माननीय राज्यपालों द्वारा बीआरएलएफ को अपने राज्यों में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए बीआरएलएफ के उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा इन राज्यों का दौरा किया गया तथा वहां के सरकारी अधिकारियों, सिविल सोसायटी संगठनों व अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ प्रारंभिक चर्चा की गई है।

डांग जिले के लावारिया गाँव में वर्षा पश्चात् चेकडैम की स्थिति: गैबियन पद्धति का प्रभाव, फोटो श्रेय: एकेआरएसपी–आई

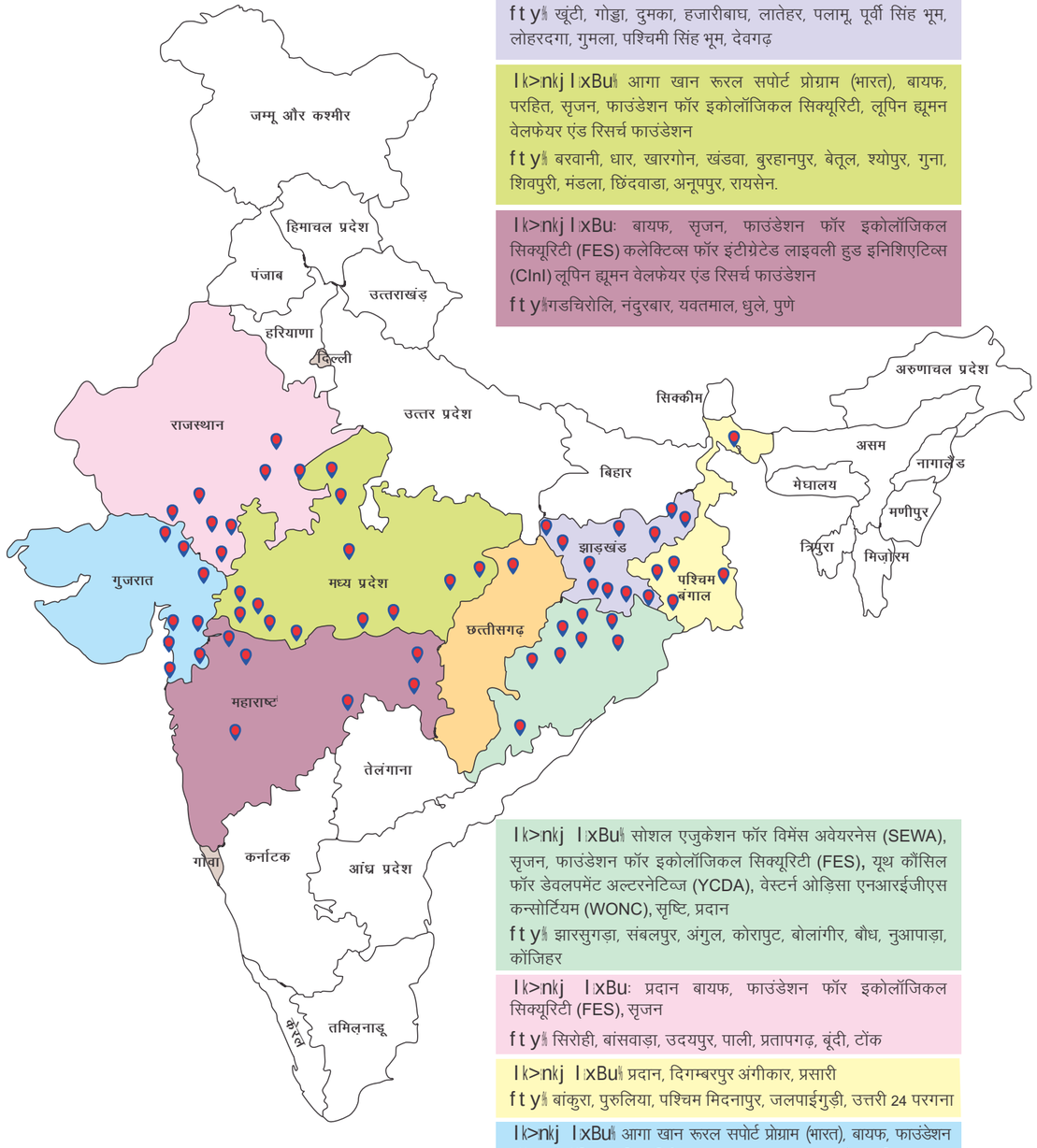

lk>nkj lxBu% बायफ, विकास सहयोग केंद्र, एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट, नव भारत जाग्रति केंद्र, नेटवर्क फॉर एंटरप्राइज एनहांसमेंट एंड डेवलप में टसपोर्ट (NEEDS), प्रवाह, रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन (RDA), टेगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट (TSRD)
एसपोर्ट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल विथ पीपल्स आर्गेनाइजेशन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (SUPPORT)
fty% खूंटी, गोड्डा, दुमका, हजारीबाघ, लातेहर, पलामू, पूर्वी सिंह भूम, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंह भूम, देवगढ़

lk>nkj lxBu% आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (भारत), बायफ, परहित, सृजन, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी, लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन
fty% बरवानी, धार, खारगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बेतूल, श्योपुर, गुना, शिवपुरी, मंडला, छिंदवाडा, अनूपपुर, रायसेन.

lk>nkj lxBu: बायफ, सृजन, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES) कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवली हुड इनिशिएटिव्स (CInI) लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन
fty% गडचिरोलि, नंदुरबार, यवतमाल, धुले, पुणे

lk>nkj lxBu% सोशल एजुकेशन फॉर विमेंस अवेयरनेस (SEWA), सृजन, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES), यूथ कौंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज (YCDA), वेस्टर्न ओड़िसा एनआरईजीएस कन्सोर्टियम (WONC), सृष्टि, प्रदान
fty% झारसुगड़ा, संबलपुर, अंगुल, कोरापुट, बोलांगीर, बौध, नुआपाड़ा, कोंजिहर

lk>nkj lxBu: प्रदान बायफ, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES), सृजन
fty% सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली, प्रतापगढ़, बूंदी, टोंक

lk>nkj lxBu% प्रदान, दिगम्बरपुर अंगीकार, प्रसारी
fty% बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, जलपाईगुड़ी, उत्तरी 24 परगना

lk>nkj lxBu% आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (भारत), बायफ, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES), एनएम सद्गुरु फाउंडेशन, विकसत
fty: डांग, व्यारा/तापी, नवसारी, वलसाड़, महिसागर, दाहोद, साबरकांठा, सूरत

lk>nkj lxBu% सृजन fty% कोरिया

सिविल सोसायटी संगठनों का साथ साझेदारी

बीआरएलएफ ने 15 अप्रैल 2014 को मध्य भारत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों को बल देने हेतु सिविल सोसायटी संगठनों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किये थे। निर्धारित समय–सीमा के अंदर 127 प्रस्ताव प्राप्त किये गए जिनका बीआरएलएफ दल द्वारा वांछित योग्यताओं को सुनिश्चित करने हेतु जांच एवं समीक्षा की गई। बीआरएलएफ को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक प्रस्ताव के लिए वांछित बिंदु इस प्रकार हैं:

1. सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों से और/अथवा बैंकों से संसाधनों को उपलब्ध करना
2. अन्य दानदाताओं के जरिये वित्त उपलब्ध कराना (यदि प्रस्ताव दाखिल करते समय ऐसा बंदोबस्त नहीं है तो बीआरएलएफ द्वारा परियोजना स्वीकृत होने के एक वर्ष के भीतर ऐसा करना होगा)। चयनित संस्था को बीआरएलएफ द्वारा समर्थित कुल परियोजना लागत का कम से कम 20% अन्य दूसरी दानदाता संस्था द्वारा जुटाना होगा। इसमें सरकारी कार्यक्रमों और/या बैंकों अथवा स्थानीय समुदाय द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि सम्मिलित नहीं होगी
3. मुख्य लक्ष्य जनजातीय समुदाय, विशेषकर महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित होगा
4. नागरिक संगठनों, पंचायती राज संस्थानों, सरकारी अधिकारियों, ग्रामीण युवा, महिला समूह व संघों की क्षमता–निर्माण गतिविधियों को प्रमुखता

बीआरएलएफ की अनुदान नीति में वर्णित विधिवत् चयन प्रक्रिया के बाद और तत्पश्चात परियोजना अनुदानित संस्था चयन समिति और कार्यकारिणी की मंजूरी के बाद, अभी तक 34 सिविल सोसायटी संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराया जा चुका है। इनमें 12 प्रस्तावों (दो परिसंघीय परियोजनाओं सहित) के तहत 22 संस्थाओं को स्वीकृति, एक्सिस बैंक–बीआरएलएफ–सृजन के मध्य एक विशाल परियोजना हेतु त्रिपक्षीय समझौता, और 12 सिविल सोसायटी संगठनों को कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स (टाटा ट्रस्ट के मध्य भारत जनजातीय पहल का हिस्सा) के साथ संयुक्त अनुदान प्रदान किया गया है।

बीआरएलएफ ने चार राज्यों (झारखण्ड, ओड़िसा, महाराष्ट्र और गुजरात) के जनजातीय बाहुल्य वाले 13 विकास खण्डों में रूपांतरण और विकास के अवसारों को तेजी देने हेतु कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी स्थापित की है। इस साझेदारी के द्वारा लगभग 2.53 लाख परिवारों को अपने जीवन हेतु बेहतर विकल्पों के चयन का अधिक से अधिक अवसर देने के साथ गरीबी के चक्र से बाहर निकालने का प्रयास किया जायेगा। बीआरएलएफ इन राज्यों में 12 सिविल सोसायटी संगठनों को कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स की साझेदारी में सहयोग प्रदान कर रहा है।

इन सभी 34 सिविल सोसायटी संगठनों के साथ कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन 34 संगठनों के जरिये पांचवे वर्ष के अंत तक (2019–20) लगभग 6,07,000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। ये परिवार 8 राज्यों के 59 जिलों के 130 विकास खण्डों में फैले हुए हैं। साझेदार संस्था द्वारा लक्षित परिवारों तक पहुंचने का नियोजित प्रारूप इस प्रकार है:

नियोजित पहुंच		
साझेदार संगठन/परियोजना का नाम	कुल लक्षित परिवार (2017–18)	जनजातीय परिवार (%)
प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (PRADAN)	100000	60%
बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन (BAIF)	30200	60%
आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (भारत) (AKRSPI)	23700	60%
सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रूजॉइंट एक्शन (SRIJAN)	50000	60%
फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES)	29897	64%
परहित परिसंघ (PARHIT)	21136	100%
सोशल एजुकेशन फॉर विमेंस अवेयर्नेस (SEWA)	19754	80%
यूथ कौंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज (YCDA)	17660	65%
दिगम्बरपुर अंगीकार (DA)	11000	80%
लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन	12000	100%
राजारहट प्रसारी	11000	80%
विकास सहयोग केंद्र (VSK)	13000	65%
वेस्टर्न ओड़िसा एनआरईजीएस कंसोर्टियम (WONC)– मुख्य भागीदार– लोकदृष्टि	15000	60%
मुख्य भागीदार– कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स (CInI)	253000	65%

एनपीएम हस्तक्षेपों के अवलोकन हेतु फील्ड विज़िट, गया, प्रान
फोटो श्रेय: राजीव राउल

इन परियोजनाओं के लिए बीआरएलएफ द्वारा पांच वर्षों के लिए 68.6 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। दूसरी ओर बीआरएलएफ साझेदारों द्वारा 182 करोड़ रुपए की राशि अन्य निजी स्रोतों से तथा 50 करोड़ रुपए की निधि वित्त संस्थाओं जैसे नाबार्ड, केन्द्रीय सिल्क बोर्ड इत्यादि के सहयोग से 'सह–वित्त व्यवस्था' के तहत जुटाई गई है। बीआरएलएफ साझेदारों द्वारा विशेषकर, कार्यक्रम संसाधनों हेतु प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से भी वित्त सहयोग नियोजित किया गया है जो कि 712.85 करोड़ रुपए है। हालांकि, आने वाले समय में, जैसे–जैसे बीआरएलएफ द्वारा सहजीकृत राज्य सरकार और सिविल सोसायटी संगठनों के मध्य साझेदारी को बल प्राप्त होगा एवं कार्यक्रम को चरणबद्ध तरह से लागू करना प्रारंभ होगा, इस राशि में और भी बढ़ोत्तरी होगी।

chvkj,y,Q ifj;kstukvksa dk n; lg&foÙk ,oa vU; lg;ksx			
lk>snkj laxBu@ifjla?k dk uke	chvkj,y,Q ctV ¼djksM+ #½	lg&foÙk 0;oLFkk ctV ¼djksM+ #½	ljdkjh ;kstukvksa ds rgr lg;ksx ¼djksM+ #½
प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (PRADAN)	10.00	30.88	10.00
बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन (BAIF)	5.72	12.29	50.00
आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (भारत) (AKRSPI)	4.55	12.63	13.77
सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू जॉइंट एक्शन (SRIJAN)	5.60	22.90	6.18
फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES)	4.53	2.89	51.72
परहित परिसंघ (PARHIT)	5.35	0.27	50.37
सोशल एजुकेशन फॉर विमेंस अवेयरनेस (SEWA)	1.58	0	11.35
यूथ कौंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज (YCDA)	1.58	0.44	35.36
दिगम्बरपुर अंगीकार	1.99	0	6.98
लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन	2.46	27.31	4.95
राजारहट प्रसारी	2.36	0.90	5.46
विकास सहयोग केंद्र (VSK)	1.94	2.06	44.11
वेस्टर्न ओड़िसा एनआरईजीएस कंसोर्टियम (WONC) – मुख्य भागीदार– लोकदृष्टि	3.98	0.06	12.60
मुख्य भागीदार– कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स (CInI)	17.00	119.89	410.00
dqy	**68.64**	**232.52**	**712.85**

chvkj,y,Q ifj;kstukvksa dk çHkko

मार्च 2016 तक बीआरएलएफ ने पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में प. बंगाल तक मध्य भारत के 8 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इन राज्यों में कुल 34 सिविल सोसायटी संगठनों को बीआरएलएफ सहयोग प्रदान कर रहा है। साझेदार संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित परियोजनाओं के परिणामों का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2015–16 में बीआरएलएफ साझेदारों की राज्यवार पहुँच						
	dqy ukxfjd laxBu&lk>snkj	dqy ftys	dqy [kaM	dqy xkao	dqy ifjokj	vuqlwfpr tutkfr ifjokj ¼%½
dqy	34	58	123	4,107	326,036	78.30
झारखण्ड	10	11	33	1,362	137,485	71.30
मध्य प्रदेश	6	13	21	661	43,801	98.10
महाराष्ट्र	6	6	9	349	18,657	96.70
ओड़िसा	6	8	18	403	21,987	79.00
राजस्थान	4	7	11	416	25,618	57.30
पश्चिम बंगाल	3	5	10	498	27,660	63.80
गुजरात	5	7	19	337	48,012	92.10
छत्तीसगढ	1	1	2	81	2,816	86.20

बीआरएलएफ अपने साझेदार संगठनों को आजीविका सम्बन्धी विविध हस्तक्षेपों पर सहयोग प्रदान करता है, जैसे; संस्थागत निर्माण, कृषि आधारित आजीविका, पशुधन विकास आधारित गतिविधियाँ, गैर–फार्म आधारित गतिविधियाँ इत्यादि। निम्न तालिका में इन सभी गतिविधि क्षेत्रों में किये गए प्रयासों के परिणामों को दर्शाया गया है। साझेदार संगठनों द्वारा 21494 स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया गया है और लगभग 2.5 लाख सहभागी परिवार इन समूहों के सदस्य बन चुके हैं। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के क्षमतावर्धन हेतु भी सहयोग दिया गया है। वर्ष 2015–16 में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, स्टाफ, और पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के क्षमतावर्धन हेतु कुल 10984 क्षमता–निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

lLFkkxr fuekZ.k vkSj {kerk&lao/kZu ds rgr igqap	
xfrfof/k;ka ¼la[;k esa½	dqy igqap
31 मार्च 2016 तक कुल स्वयं सहायता समूह	21,494
स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य संख्या	247,733
तत्कालीन वित्त वर्ष में प्रोन्नत कुल नए स्वयं सहायता समूह	3,157
नए स्वयं सहायता समूहों में कुल सदस्य संख्या	36,439
कुल तैयार समुदाय संदर्भ व्यक्ति (CRPs)	1,696
कुल तैयार महिला समुदाय संदर्भ व्यक्ति	569
कुल आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम	10,984
कुल प्रशिक्षित सदस्य	106,943
कुल प्रशिक्षित महिला सदस्य	86,861
कुल प्रशिक्षित स्टाफ सदस्य	388
कुल प्रशिक्षित पंचायती राज संस्था सदस्य	3,321

बीआरएलएफ की आजीविका गतिविधियों में कृषि मुख्य गतिविधि है। विभिन्न कृषि हस्तक्षेपों के तहत कुल 176655 सहभागी परिवारों को जोड़ा गया है। 19470 परिवार श्री विधि से धान उत्पादन, 74126 परिवार उन्नत तकनीक के जरिये सब्जी उत्पादन, 17358 परिवार बागवानी प्रोत्साहन, और 34144 परिवार तिलहन व दलहन उत्पादन के कार्य में सम्मिलित किये गए।

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa d`f"k xfrfof/k;ksa ds rgr ykHkkfUor ifjokj

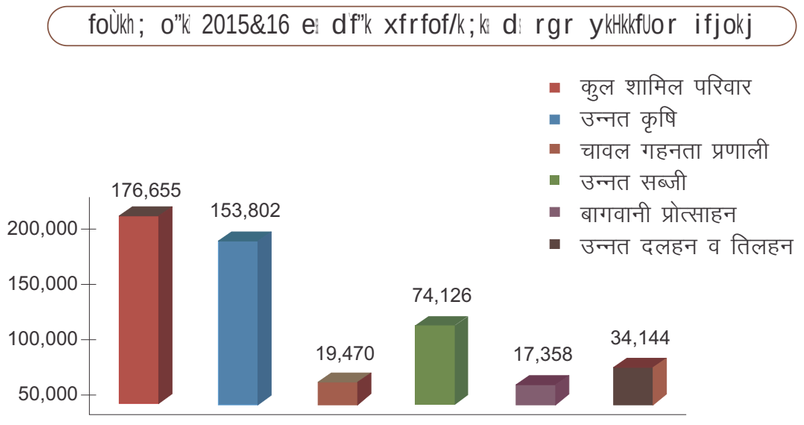

दूसरा मुख्य आजीविका क्षेत्र पशुपालन गतिविधियों से सम्बंधित है जिस पर साझेदार संगठनों द्वारा वृहद् स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इस हस्तक्षेप के तहत सहभागी परिवारों तक पहुँच के विवरण को चार्ट के माध्यम से निम्नवत समझाया गया है:

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa lk'k/ku fodkl ds rgr ykHkkfUor ifjokj

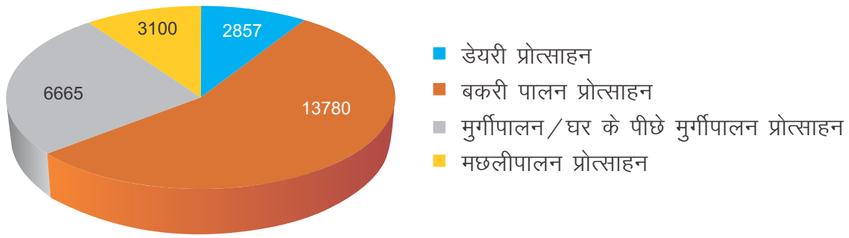

साझेदार संगठन अपनी परियोजनाओं के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सम्बन्धी गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। इसके तहत क्रियान्वित की गयीं मुख्य गतिविधियों में सिंचाई हेतु लघु बांध, कुओं, फार्म–तालाब इत्यादि का निर्माण, भूमि विकास गतिविधियाँ और लघु वन उपज को प्रोत्साहन सम्मिलित है। वर्ष 2015–16 में 1753 सिंचाई ढांचों का निर्माण किया गया, व 4093 हेक्टेयर भूमि को भूमि विकास गतिविधियों से जोड़ते हुए 10270 परिवारों को लाभान्वित किया गया। निम्न तालिका में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत उपलब्धियों को दर्शाया गया है:

çk—frd lalk/ku çca/ku ds rgr miyfC/k;ka	
xfrfof/k;ka	miyfC/k
लघु वन उपज की मूल्य श्रृंखला निर्धारण प्रोत्साहन (महुआ एकत्रीकरण, तेंदू पत्ता संधारण, टसर रेशम उत्पादन, लाख की खेती)	13117
कुल निर्मित जल–संरक्षण ढांचे (चेक बाँध, नहरें, लिफ्ट सिंचाई, फार्म तालाब आदि)	1753
निर्मित जल–संरक्षण ढांचों से कुल लाभान्वित परिवार	10368
कुल निर्मित कुओं की संख्या	297
निर्मित कुओं से कुल लाभान्वित परिवार	2051
भूमि विकास के तहत सम्मिलित कुल क्षेत्र हेक्टेयर में (मेढ़बंदी और भूमि समतलीकरण)	4093
भूमि विकास उपायों के तहत कुल लाभान्वित परिवार	10270
सहभागी सिंचाई व्यवस्था के तहत कुल लाभान्वित परिवार	4217

बीआरएलएफ की मुख्य गतिविधि सहभागी परिवारों को सरकारी योजनाओं यथा; स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि से जोड़कर लाभान्वित कराना है। साझेदार संगठन सहभागी परिवारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन के पट्टे दिलाने और साथ ही पेयजल जैसी अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने की दिशा में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।

ifjokjksa dh vius vf/kdkjksa vkj gdksa rd igqap	
vf/kdkj ,oa gd	igqap
प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत कुल लाभान्वित परिवार	18,291
पेयजल हेतु जोड़े गए कुल लाभान्वित परिवार	4,093
वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत कुल लाभान्वित परिवार	3,697

बीआरएलएफ के गठन का उद्देश्य यह है कि साझेदार संगठनों की सहयोग लागत को सुनिश्चित करते हुए सरकार और अन्य दानदाताओं से प्राप्त फण्ड का बेहतर उपयोग किया जाये। नीचे दिए गए ग्राफ में विविध आजीविका हस्तक्षेपों के तहत जुटाई गई राशि को दर्शाया गया है। साझेदार संगठनों द्वारा सह–वित्त के माध्यम से विभिन्न दानदाताओं से 41.3 करोड़ रु और 73 करोड़ रु अन्य माध्यमों से जुटाए गए। नीचे दिए गए पाई चार्ट से स्पष्ट है कि बीआरएलएफ द्वारा 1 रु के निवेश पर विभिन्न स्रोतों से 9 रु की प्राप्ति हुई है।

vU; lzksrksa ls çkIr lg;ksx ¼lEcfU/kr vkadMs :i;s esa½

(सह–वित्त के तहत 52.1 करोड़ राशि साझेदार संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गयी, 62% निजी दानदाताओं से, 73 करोड़ से भी अधिक राशि सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से प्राप्त की गयी।)

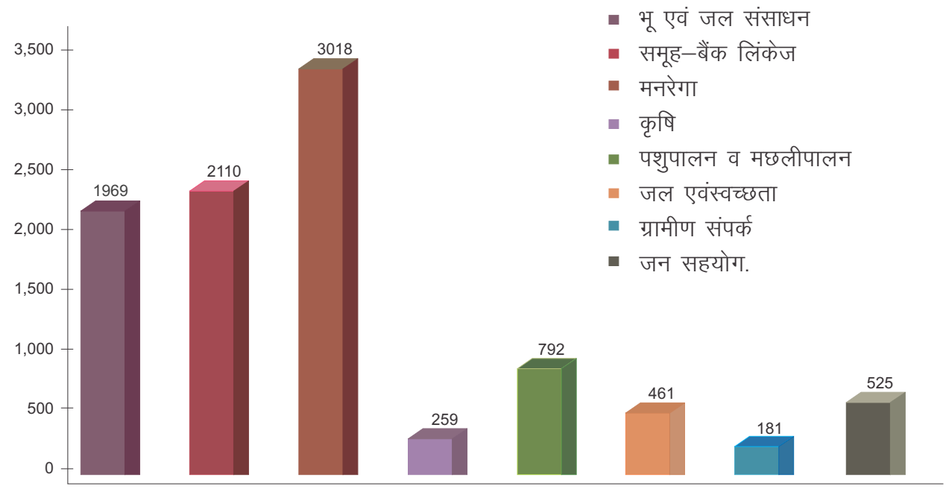

chvkj,y,Q ds 1 # ds fuos'k ij 9 # dh çkfIr

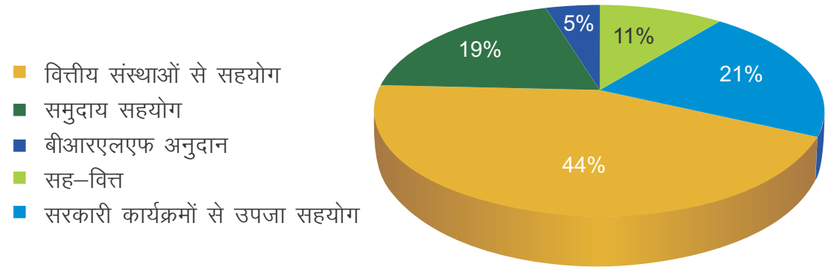

flfoy lklk;Vh lxBu lk>nkjk dk lg;kx

flfoy lklk;Vh lxBu lk>nkjk dk rduhdh lg;kx

इस बात का अनुभव किया गया कि विभिन्न साझेदार संगठनों के मध्य आजीविका गतिविधियों से सम्बंधित ज्ञान और कौशल विधियों में अंतर है। बीआरएलएफ की योजना है कि उसकी सभी साझेदार संस्थाएं कुछ निश्चित गतिविधियों जैसेकि श्री विधि, बकरी पालन, घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन इत्यादि के सम्बन्ध में एक स्तर की समान समझ और कौशल–निपुणता रखें। इस बात को ध्यान में रखते हुए बीआरएलएफ ने प्रमुख आजीविका गतिविधियों के क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों का एक समूह तैयार किया है ताकि साथी संस्थायें क्षेत्र विशेष की उत्कृष्ट विधियों व व्यवहारों को सीखें व साथ ही लोगों की आजीविका में अधिकाधिक प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके। इससे अलग–अलग साझेदार संस्थाओं के मध्य इन गतिविधियों हेतु प्रामाणिक परिणामों को भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

AID 360 हेतु सहयोग

परियोजना प्रस्ताव चयन प्रक्रिया में आरम्भ से लेकर अंत तक पूर्ण पारदर्शिता बरतने हेतु बीआरएलएफ द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की मदद से एक सॉफ्टवेयर AID 360 तैयार किया गया जिसकी मदद से प्रस्तावों के ऑनलाइन आवेदन और आगामी प्रगति की प्रक्रिया अवलोकन को संभव किया गया। इस सॉफ्टवेयर के जरिये साझेदार संगठनों को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने, उनकी सामयिक पड़ताल करते रहने और इसके माध्यम से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। वस्तुतः, यह अपने आप में पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ई–निविदा और भारतीय शासन व्यवस्था में पारदर्शिता के स्वप्न की राह में एक मील का पत्थर साबित होगा।

31 दिसम्बर 2015 को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा सभी तरह से सॉफ्टवेयर को अंतिम स्वरुप प्रदान करके बीआरएलएफ को सौंप दिया गया था। बीआरएलएफ ने उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ एक वर्ष के लिए संधारण अनुबंध करने के साथ–साथ लाइसेंस अनुबंध का पुनः नवीनीकरण भी किया है।

AID 360 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और उसके निहित मॉड्यूल्स (साझेदार पंजीकरण, प्रस्ताव निर्माण आदि) के कुल 139 उपयोगकर्ता हैं। कुल में से 95 AID 360 के यूजर हैं तथा 44 साझेदार पंजीकरण के चरण में हैं। वर्तमान में 13 भागीदार ऐसे हैं जिनका प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है व वे अब अपनी योजना AID 360 में नियोजित कर रहे हैं। योजना पूरी होते ही वे इसके जरिये गतिविधियों, तात्कालिक परिणामों (आउटपुट) व दूरगामी परिणामों (आउटकम) और लागत अवयवों के बारे में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेंगें। बीआरएलएफ टीम द्वारा इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर समय–समय पर कई बार इस सम्बन्ध में संस्था–साझेदारों को सहयोग प्रदान कर चुकी है। सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए आगे की योजना को सुगम बनाने की दृष्टि से इसमें कई बार परिवर्तन भी किये जा चुके हैं।

fuxjkuh vkj eY;kdu ç.kkyh dk l–<hdj.k

संस्थाओं के साथ काम करने के दौरान ऐसा अनुभव हुआ कि परियोजना संकल्पना से जुड़े आउटपुट, आउटकम और इंडीकेटर्स की अवधारणा व परिभाषा सम्बन्धी समझ में एकरुपता नहीं है। समझ में भेद होने के कारण, सिविल सोसायटी संगठन साझेदारों के साथ परियोजना नियोजन करते समय व AID 360 सॉफ्टवेयर पर काम करते समय बीआरएलएफ टीम को इस संदर्भ में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके समाधान स्वरुप बीआरएलएफ टीम ने अपने समूह में ही कुछ सामान्य आजीविका गतिविधियों के लिए आउटपुट, आउटकम और सम्बंधित इंडीकेटर्स की एक सूची तैयार की गई। उसके बाद 13 साझेदार संस्थाओं के साथ गहन अभ्यास किया जिससे कि वे 'तार्किक रूपरेखा विश्लेषण' (लॉगफ्रेम एनालिसिस) प्रारूप में परियोजना निर्माण कर सकें।

वर्ष 2015–16 के बाद के महीनों में जब नए साझेदार संस्थायें अपनी परियोजनाएं प्रारंभ कर रहीं थीं, तो सबसे बड़ा मुद्दा 100% बेसलाइन सर्वे का था। अभी तक का अनुभव यही रहा था कि संस्थाएं अपना अधिकांश समय व पैसा असल कार्य चालू करने के स्थान पर बेस लाइन को पूरा करने में ही लगा देती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बीआरएलएफ ने अपने साझेदार संगठनों के साथ परामर्श करते हुए बेसलाइन अध्ययन हेतु एक दिशा–निर्देशिका जारी की जिसमें सटीक सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से बेसलाइन किया जाना तय किया गया। साथ ही, संस्था द्वारा किये जाने वाले हर आजीविका हस्तक्षेप के लिए प्रत्येक परिवार को अध्ययन हेतु शत–प्रतिशत शामिल किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

बीआरएलएफ स्कोपिंग अध्ययन के माध्यम से ये समझने का प्रयास भी कर रहा है कि निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को सुगम करने के लिए सरकार और साझेदार संगठनों द्वारा किस प्रकार के प्रोद्योगिकी आधारित अध्ययन उपकरणों (टूल्स) का प्रयोग किया जा रहा है। इस अभ्यास का मंतव्य दानदाताओं और कार्यान्वयन अभिकरणों के मध्य निगरानी व मूल्यांकन की स्थापित व अनुभवजनित प्रक्रियाओं को सहजीकृत करना है ताकि निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रियाओं की कार्यात्मकता को बढ़ाया जा सके और सम्बंधित अवसर–लागत को कम किया जा सके।

वर्ष 2015–16 और 2016–17 में होने वाले कार्य के आधार पर, बीआरएलएफ द्वारा 2017–18 के अंत तक एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम नियोजित है ताकि समान समझ व रूचि वाले स्टेकहोल्डर्स को एक मंच पर लाया जा सके जिनकी मदद से भारत में ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के लिए निगरानी और मूल्यांकन की एक पुख्ता प्रणाली विकसित की जा सके।

जैविक कृषि हेतु कृषक प्रशिक्षण, खकनार ब्लाक, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
फोटो श्रेयः एकेआरएसपी–आई

नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरुकता का सन्देश देती फेडरेशन प्रमुख, भिमाणा, जिला पाली, राजस्थान
फोटो श्रेयः सृजन

भूमिहीन परिवारों हेतु सब्जी बगीचा वीआरपी प्रशिक्षण, जेलिया खली ग्राम पंचायत, संदेश खाली–II, उत्तरी 24 परगना
फोटो श्रेयः प्रसारी

रिकॉर्ड संधारण हेतु स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण, भूटुंगपाड़ा, बेलपदा, बोलांगीर
फोटो श्रेयः वायसीडीए

jkT; ljdkjksa ds lkFk lk>snkjh

बीआरएलएफ सहयोग–प्रदत्त परियोजनाओं की सफलता के लिए सम्बंधित राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। बीआरएलएफ की साधारण सभा में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व रहता है और उनमें से तीन राज्य सरकारें कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व करतीं हैं। राज्य सरकारों इस प्रकार की सहभागिता सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा राज्य सरकार के साथ साझेदारी आधारित प्रस्तुत परियोजना–प्रस्तावों को सहयोग करती है व सुगम बनाती है। साथ ही यह सहभागिता निर्धारित कार्यक्रमों के लिए समन्वय सहयोग और आवश्यक बजट राशि की उपलब्धता को भी सरलता प्रदान करती है।

बीआरएलएफ और राज्य सरकारों के मध्य साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिए व राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को समझने और उन पर कार्य करने की दृष्टि से, बीआरएलएफ ने झारखण्ड, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओड़िसा, व पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों के साथ सहमति–पत्र हस्ताक्षरित किये हैं। अन्य राज्य सरकारों के साथ यह प्रयास अभी प्रक्रियारत है। सहमति पत्र सामान्यता निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट करता है:

- राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा/संचालन तंत्र का गठन, एवं जिला/ब्लाक स्तर पर समन्वयन समिति का गठन करना ताकि परियोजना प्रगति की समीक्षा हो सके तथा बीआरएलएफ सहयोग–प्रदत्त परियोजनाओं व संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- बीआरएलएफ साझेदारों द्वारा राज्य सरकार को त्रैमासिक/अर्ध–वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- पंचायती राज प्रतिनिधियों के क्षमतावर्धन हेतु, तथा राज्य के संस्थानों में सम्बंधित पाठ्यक्रम को शामिल करवाने के लिए बीआरएलएफ राज्य सरकार द्वारा मिलकर कार्य करना।
- सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में आवेदन पर बीआरएलएफ के क्षमता–निर्माण कार्यक्रमों के तहत उत्तीर्ण और प्रमाण–पत्र धारक व डिप्लोमाधारियों को भर्ती हेतु प्रमुखता देना।
- आवश्यक सरकारी आदेशों को सम्बंधित विभागों व जिला प्रशासन को जारी करना।
- प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सम्बंधित नीति पत्रों और अनुशंसाओं को जारी करना।

इनके अलावा राज्य सरकारों द्वारा अन्य मुद्दों पर भी बीआरएलएफ से सहयोग चाहा गया है। इनमें से अधिकांशतः विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की गुणवत्ता सुधारने सम्बन्धी अध्ययन करने व उन्हें तकनीकी सहयोग प्रदान करने से सम्बंधित हैं जोकि अपने आप में बीआरएलएफ के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है।

>kj[k.M ljdkj%

- एक अध्ययन की आवश्यकता रखी गयी है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के तहत किन कारणों से अत्यधिक गरीबतम परिवार उसमें लाभान्वित होने से वंचित रह गए हैं और उनको शामिल करने के लिए किस प्रकार की रणनीति की आवश्यकता है।
- कृषि उत्पादों और लघु वन उपज के लिए मूल्य–श्रृंखला अध्ययन हेतु सहयोग माँगा गया है।
- समूहों, कृषक–उत्पादन समूहों और स्वयं सहायता संघों को सुदृढ़ करने में मदद करना जिन्हें झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन समिति द्वारा गठित किया जा रहा है।

egkjk"Vª ljdkj

- मनरेगा के अंतर्गत छोटे किसानों के लिए संरक्षित सिंचाई को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेपों को सुझाने के लिए कहा गया है।

jktLFkku ljdkj%

- मनरेगा के तहत गठित क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम कार्यक्रम का समीक्षा अध्ययन।
- मनरेगा का विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करना जिसमें कार्यक्रम की विभिन्न प्रक्रियाओं विशेषकर, व्यक्तिगत भूमि विकास कार्यों को लेने में आने वाली समस्याएं जहाँ प्रति व्यक्ति तीन लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है जिससे की उनकी आजीविका को प्रभावित करने में बहुत हद तक मदद की जा सकती है।
- सहभागी भू–जलप्रबंधन के बारे में सम्बंधित स्टाफ की क्षमताओं और समझ को बनाया जा सके। दक्ष–प्रशिक्षकों को तैयार करना ताकि विभाग अपने कार्यों में उस समझ और संकल्पना को प्रसारित कर सके। मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री जल स्वाबलंबन अभियान के साथ जुड़ाव बनाना है जो कि अपने दूसरे चरण में आने वाला है।
- इंदिरा आवास योजना/मुख्यमंत्री आवास योजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रकिया सम्बन्धी अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गयी है ताकि समझा जा सके कि आवास अपूर्ण क्यों रह गए हैं, और उनका समाधान क्या हो सकता है? इस अध्ययन को अति शीघ्र करने को कहा गया है ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके, जिसकी हाल ही में घोषणा की गयी है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं जिनको पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, जिनमें डाटा–एंट्री और एमआईएस के कुशल व्यक्ति भी शामिल होंगे। ओड़िसा सरकार द्वारा इस दिशा में अनूठी पहल की जा चुकी है और सरकार उस अनुभव से लाभान्वित होना चाहती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और सिविल सोसायटी संगठनों की साझेदारी और उसके परिणामों की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समीक्षा करने की आवश्यकता जाहिर की गयी है क्योंकि अभी तक के परिणाम अपेक्षा से कहीं कम रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में समीक्षा करने से साझेदारी के भविष्य को समझने में मदद मिलेगी, साथ ही चुनौतियों की पहचान और उपायों को प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
- राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समुदाय स्तर पर युवा पेशेवरों को नियुक्त करने वाला है। इस संदर्भ में बीआरएलएफ से क्षमता–निर्माण, मार्ग–दर्शन, मेंटरिंग आदि सहयोग की अपेक्षा की गयी है।
- महिला कृषक सशक्तिकरण योजनाः आवश्यकता वाले विकास खण्डों में मिशन दल के जरिये गैर–कीटनाशक आधारित कृषि प्रबंधन पद्धति को लागू करने में मदद करना, हालांकि अधिकांश कार्य समुदाय द्वारा प्रबंधित स्थायी कृषि कार्यक्रम (सीएमएसए–एस ई आर पी, आंध्र प्रदेश) के तहत किया जा चुका है।
- ग्रामीण आजीविका से सम्बंधित अनूठे अनुभवों को बांटना ताकि सरकार मजबूती से स्वयं सहायता समूह गठन और स्वैच्छिक संगठन निर्माण सरीखी प्रक्रियाओं से आगे निकल सके। ये इस क्षेत्र में एक तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकता है जिसके लिए बीआरएलएफ अन्य राज्य सरकारों के साथ भी कार्य करना चाहेगा।

राजस्थान में प्रति वर्ष 200–300 करोड़ रुपए जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं, लेकिन उसको प्रभावी तरह से उपयोग में लाने की क्षमता सीमित है। इसी तरह, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र व राज्य दोनों स्रोतों से मिला कर कुल लगभग 60 लाख अनटाइड निधि ग्राम पंचायत स्तर पर मौजूद है। सरकार की विशेष रूचि है कि इन लोक संसाधनों को किस प्रकार दिशा दी जाये ताकि जमीनी स्तर पर सामाजिक–आर्थिक विकास के प्रभावी परिणाम

सामने आ सकें। बीआरएलएफ भारत सरकार द्वारा गठित की गयी संस्था है, इसी आधार पर सरकार इन सभी प्रकार के अध्ययनों और कार्यों के लिए बीआरएलएफ की सेवाएँ लेने योग्य है।

vkfM'kk lk ljdkj%

- बीआरएलएफ साझेदारों द्वारा राज्य सरकार के साथ चर्चा करके कार्य योजनायें बना लीं गयीं हैं और वे अब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वार्षिक योजना के तहत सम्मिलित कर ली गई हैं।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बीआरएलएफ साझेदारों द्वारा संचालित आजीविका हस्तक्षेपों (घरेलू मुर्गीपालन योजना और बकरी पालन आदि) को पूरे राज्य में फैलाने का उद्देश्य रखा गया है।
- राज्य में 'आजीविका' हेतु सीखने का पाठ्यक्रम तैयार करना और संस्थात्मक स्वरुप प्रदान करना।

if'pe cxky ljdkj%

- बीआरएलएफ साझेदारों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के परियोजना क्रियान्वयन कर्ता के तौर पर पहचाना जाना।
- स्वयं सहायता समूहों के क्षमता–निर्माण में सरकार द्वारा सहयोग दिया जाना।
- साझेदार संगठनों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों को रिवोल्विंग पूँजी हेतु सहजीकृत करना ।
- सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा प्रति दो–तीन माह में राज्य सरकार के साथ समन्वयन समिति की बैठक करना व उनको रिपोर्टिंग करना।
- जिला प्रशासन को सरकारी आदेश पारित करना।

मध्य भारत में अन्य राज्य सरकारों के साथ सहमति पत्रों को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु उच्च–स्तरीय बैठकें आयोजित हो चुकीं हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी चर्चा की जा चुकी है, जहाँ सम्बंधित माननीय राज्यपाल द्वारा बीआरएलएफ को कार्य प्रारंभ करने की संभावनाएं तलाश करने के लिए आमंत्रित किया जा चुका है। मिजोरम में साझेदारी हेतु कुछ मुद्दे उभर कर आये हैं जैसे कि; बागवानी उत्पादों से सम्बंधित मूल्य–श्रृंखला विकास, बाजार की संभावनाएं, मिजोरम केन्द्रीय विश्व–विद्यालय के साथ मिलकर क्षमता–निर्माण कार्यक्रम का दोहरान करना इत्यादि।

बीआरएलएफ कार्यकारिणी बैठक
फोटो श्रेयः रवि प्रकाश

'kks/k ,oa Kku çcU/ku

ग्रामीण आजीविका के कार्यक्षेत्र और कार्यक्रमों के बेहतर निष्पादन के लिए बीआरएलएफ सम्बंधित अनुभवों, श्रेष्ठ व्यवहारों और सूचनाओं के एकत्रीकरण, दस्तावेजीकरण, प्रसार और वितरण को लेकर विशेष रूप से प्रयासरत है। बीआरएलएफ की शोध एवं ज्ञान प्रबंधन इकाई आने वाले समय में ग्रामीण समुदाय, नागरिक संगठनों, और सरकारी संस्थानों के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका मसलों पर परामर्श और सूचनाएं उपलब्ध कराने वाले ज्ञान के राष्ट्रीय स्तर के मंच के रूप में स्थापित होने का लक्ष्य रखती है।

इसी सोच के साथ, 17 मार्च 2016 को आयोजित कार्यकारिणी बैठक में बीआरएलएफ टीम को शोध एवं ज्ञान प्रबंधन की इकाई स्थापित करने के निर्देश दिए गये। इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकारों को उन विषयों पर शोध और अध्ययन हेतु सहयोग करना है जो कि कार्यरत कार्यक्रमों के बेहतर प्रभाव एवं स्थायी आजीविका अवसरों के बेहतर विकल्पों के लिए नवीन हस्तक्षेपों को सुझा सकें जिससे जनजातीय समुदाय लाभान्वित हो सके।

इस आशय के साथ, वर्ष 2015–16 में बीआरएलएफ द्वारा राज्य अधिकारियों के साथ चर्चा करके सम्बंधित राज्य सरकारों के प्राथमिकता वाले मुद्दों की पहचान का कार्य कर किया जा चुका है। उस आधार पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के चालू कार्यक्रमों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शोध परियोजनाओं का खाका भी तैयार किया जा चुका है।

कार्यकारिणी से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, बीआरएलएफ उन मुख्य रणनीतियों की पहचान में प्रक्रियारत है जिनके जरिये मध्य भारत के जनजातीय बाहुल्य वाले इलाकों में प्रचलित परम्परागत ज्ञान–व्यवहारों को जाना जा सके, उनका दस्तावेजीकरण किया जा सके जिससे कि क्षेत्र में अपनाये जाने वाले कृषि–व्यवहारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सके।

बीआरएलएफ अर्घयम (Arghyam) फाउंडेशन के साथ मिलकर सात राज्यों के 13 जिलों में क्रियान्वित सहभागी भू–जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत क्रियान्वयन के तरीकों और कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने की दृष्टि से क्रियात्मक शोध आरम्भ करने की प्रक्रिया में है। बीआरएलएफ साझेदार बीआरएलएफ अनुदानित ग्रामीण आजीविका परियोजनाओं में इस प्रकार के अध्ययनों को प्रायोगिक स्तर पर आरंभ कर चुके हैं।

परियोजना बेसलाइन सर्वे, जनमुक्ति अनुष्ठान
फोटो श्रेयः वेस्टर्न ओड़िसा एनआरईजीएस कंसोर्टियम

e[; eí

I gHkkxh Hk& t y çcU/ku

बीआरएलएफ का कार्यक्षेत्र मध्य भारत का जनजातीय क्षेत्र है जहाँ भूजल सम्बन्धी अर्थात जल के अत्यधिक दोहन से लेकर प्रदूषण समस्याओं के साथ–साथ विशाल भूजलीय विविधता मौजूद है। इस क्षेत्र में कृषि हेतु भूजल पर अत्यधिक निर्भरता पाई जाती है। साथ ही, क्षेत्र की भूजलीय विविधता के कारण भी यहाँ इन मुद्दों पर कार्य करने के लिए बहुत बारीकी से सोच–समझ कर और वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण रणनीति के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसीलिए, बीआरएलएफ द्वारा सहयोग–प्रदत्त सभी परियोजनाओं में जल–संसाधनों में वृद्धि और जल संरक्षण को लक्षित हस्तक्षेपों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। भूजल की महत्ता और ग्रामीण आजीविका परिदृश्य में इसकी महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए बीआरएलएफ द्वारा 18 स्थानों पर सहभागी भूजल प्रबंधन के मुद्दे से सम्बंधित पायलट्स किये जा रहे हैं। ये शोध अध्ययन सात राज्यों में दस बीआरएलएफ साझेदारों द्वारा किये जा रहे हैं। इसके तहत समुदाय सदस्यों का प्रशिक्षण, वैज्ञानिक आधार पर भूजल–भराव क्षेत्रों का मानचित्रीकरण सहित कई क्षेत्रीय सर्वेक्षण, भूजल की सतत उपलब्धता और उपयोग हेतु समुदाय को निर्णय लेने में मदद करना इत्यादि मुद्दे शामिल हैं। अपने परियोजना साझेदारों को तकनीकि सहयोग प्रदान करने हेतु और सहभागी भूजल प्रबंधन प्रयासों को गति देने हेतु बीआरएलएफ द्वारा एडवांसड सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट (ACWADAM) के साथ, अन्य सहभागी भूजल प्रबंधन साझेदारों (PSI, ACT और WASSAN) के साथ समन्वय करते हुए, करार किया गया है। एडवांसड सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट बीआरएलएफ साझेदारों को तकनीकि सहयोग और उनके क्षेत्र में उपस्थित होकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

अक्टूबर 2015 में साझेदार संस्था साथियों की सात दिनों के आवासीय प्रशिक्षण के साथ ही सहभागी भूजल प्रबंधन (PGWM) का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। पहला प्रशिक्षण मध्यप्रदेश के देवास जिले में बाबा आमटे लोक सशक्तिकरण केंद्र में आयोजित किया गया था। सभी संगठनों के मुख्य प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया था व प्रशिक्षण में मुख्यतः भू–विज्ञान और जल–भू गर्भिक सम्बन्धी अवधारणाओं, भूजल के लिए कुओं और मौसम निगरानी की महत्ता, भू–जल स्रोतों के प्रकार और उनकी प्रमुख विशेषताएं, जल गुणवत्ता विश्लेषण और सहभागी भू–जल प्रबंधन प्रक्रियाओ जैसे विषयों को शामिल किया गया था। इन विषयों पर पुख्ता समझ और अनुभव बनाने हेतु क्षेत्रीय भ्रमण भी आयोजित किये गए थे। प्रशिक्षण के तुरंत पश्चात् प्रत्येक संस्था की एक छमाही योजना तैयार की गई जिसमें प्रायोगिक कार्य हेतु स्थान का चयन, इन स्थानों हेतु प्राथमिक सूचना एकत्रीकरण, सम्बंधित सहभागी भूजल प्रबंधन साझेदार संस्था साथियों द्वारा स्थान का अवलोकन सम्मिलित था ताकि भूजल और अन्य जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जा सके। इस योजना के आधार पर संस्थाओं द्वारा चयन मानदंडों के आधार पर परियोजना स्थान का चयन किया गया।

प्रायोगिक परियोजना स्थानों के चयन हेतु निम्न आधारों को तय किया गया:

- बीआरएलएफ द्वारा शामिल परियोजना वाले इलाके का हिस्सा हो
- घरेलू और कृषि उपयोग हेतु भू–जल पर अत्यधिक निर्भरता
- सहभागी भूजल प्रबंधन की तुरंत आवश्यकता महसूस होना
- सामुदायिक स्वीकृति

सभी 18 चयनित पायलट्स स्थानों पर समुदाय के सदस्यों के साथ कई बार गहन चर्चाएँ आयोजित की गईं। स्थानीय समुदाय से ही संदर्भ व्यक्तियों का चयन किया गया व उन्हें परियोजना के विभिन्न तकनीकि पक्षों पर प्रशिक्षित किया गया। सभी सहभागी भूजल प्रबंधन परियोजना साझेदार संगठन इन क्षेत्रों में अपना प्रारम्भिक भ्रमण कर चुके हैं, भू–जलीय मानचित्रण कर चुके हैं, और निगरानी व्यवस्था को स्थापित करने के साथ ही साथ भूजल और जल उपयोग के वर्तमान स्थानीय तौर–तरीकों को समझने के लिए समुदाय के साथ संवाद भी स्थापित कर चुके हैं। इसके साथ ही, सभी स्थानों पर स्थानीय संदर्भ व्यक्तियों को कुओं और बोरवेल की निगरानी, व बारिश को नापने को लेकर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

fjikfVx vof/k dk nkjku lHkh 18 LFkkuksa ij fuEu dk;l i.k gk pdk Fk

- परिस्थिति विश्लेषण
- समुदाय के साथ संवाद
- द्वितीयक सूचनाओं का संग्रहण
- भूजल निगरानी हेतु निगरानी व्यवस्था की स्थापना
- स्थानीय टीम और भूजल जानकारों का प्रशिक्षण
- भूविज्ञानी मानचित्रीकरण
- जल गुणवत्ता विश्लेषण
- जल निकासी विश्लेषण
- जल भराव/भू–जल मानचित्रीकरण

अगले चरण की गतिविधियों में सम्पूर्ण भूविज्ञानी भूजल मानचित्रीकरण करना, सम्बंधित निगरानी सूचनाओं को एकत्रित करना, समुदाय के साथ संवाद और जल गुणवत्ता परिक्षण किया जाना सम्मिलित है।

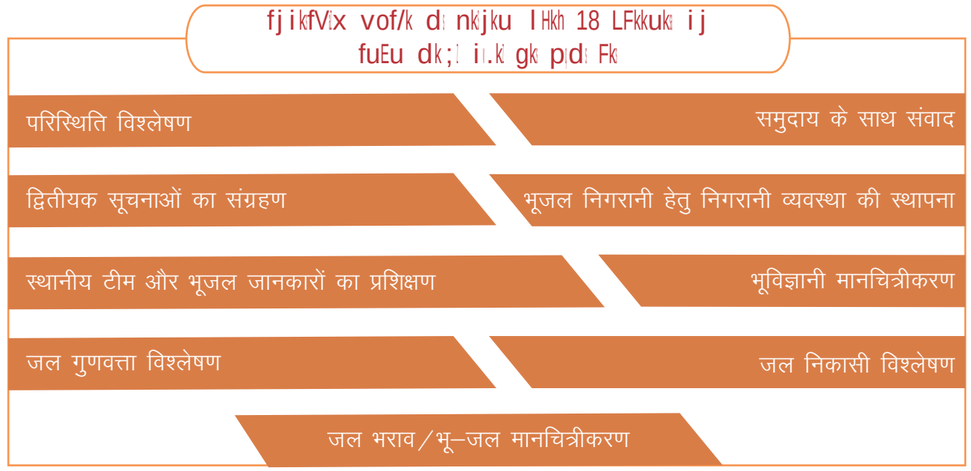

सहभागी भू–जल प्रबंधन पायलट ग्राम में भू–जल भराव क्षेत्रों का मान चित्रीकरण
फोटो श्रेयः प्रसारी

सहभागी भू–जल प्रबंधन पायलट ग्राम में भू–जल–भराव क्षेत्रों का मान चित्रीकरण
फोटो श्रेयः बायफ

ifj;kstuk fooj.k	
परियोजना का नाम	भारत के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में आजीविका कार्यक्रमों के साथ एकीकृत सहभागी भूजल प्रबंधन
बीआरएलएफ साझेदार संस्था	10 (एफइएस, एकेआरएसपी, प्रदान, परहित, वीएसके, लूपिन, सृजन, सेवा, बायफ, प्रसारी)
सहभागी भूजल प्रबंधन साझेदार संस्था	4 (एक्वाडैम, पी एस आई, ए सी टी , वासन)
क्रियात्मक शोध हेतु चुने गए अध्ययन क्षेत्रों की संख्या	18
सहभागी भूजल प्रबंधन साझेदार संस्थाओं हेतु बजट	1.65 करोड
बीआरएलएफ साझेदार संस्था हेतु बजट	0.60 करोड़
कुल राज्य	7 (म.प्र., छतीसगढ़, झारखण्ड, प.बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओड़िसा)
कुल जिले / ब्लाक	13 / 13

10 chvkj,y,Q lk>snkj lxBuks dh lgHkkxh Hkwty çca/ku ç;ksfxd ifj;kstukvks dk fooj.k

साझेदार संस्था का नाम	राज्य का नाम	प्रायोगिक परियोजनाओं की संख्या	जिले का नाम	खंड का नाम	गाँव का नाम	सहभागी भूजल प्रबंधन–तकनीकी साझेदार संस्था का नाम
आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम (भारत)	मध्य प्रदेश	2	बुरहानपुर	खकनार	मछगांव गुराडिया	एसीटी
बायफ	मध्य प्रदेश	2	बेतूल	शाहपुर	बरेठा शीतलाझिरी	एक्वाडैम
सृजन	छतीसगढ़	1	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	पड़ेवा	एसीटी
प्रदान	झारखण्ड और पश्चिम बंगाल	2	दुमका और बांकुरा	खाटीकुंद हीराबंध	लोथापथार चाकादोभा	वासन
फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी	राजस्थान और महाराष्ट्र	2	उदयपुर, यवतमाल	झाडोल घटांजी	हिवारधारा, खापरी खडकी, धीमरी	पी एस आई
सेवा (ओड़िसा)	ओड़िसा	2	झारसुगुडा	लाईकेरा	बाणकी, बैजपाली	वासन
परहित परिसंघ	मध्य प्रदेश	1	श्योपुर	काराहल	चकरामपुरा	पी एस आई
विकास सहयोग केंद्र	झारखण्ड	2	पलामू	छत्तरपुर	जौरा, और केकरीखुर्द	वासन
लूपिन	महाराष्ट्र	2	धुले	सकरी	कुतरखाम्ब और देवलीपाडा	एक्वाडैम
प्रसारी	पश्चिम बंगाल	2	जलपाईगुड़ी 24 उत्तरी परगना	माल बाजार और संदेशखली II	कोराकती ग्रा.पं. के 6 वार्ड और मतियाली ग्रा.पं. के 6 ढाणियां	एक्वाडैम

xSj&jklk;fud —f"k çca/ku

बीआरएलएफ द्वारा वित्त पोषित परियोजना की एक आवश्यक शर्त है कि, साझेदार संस्थाओं द्वारा उनके साथ जुड़े किसानों को लगातार स्थायी कृषि, किसानों को लाभ, संरक्षित मृदा, कीड़े–मकोड़े और पशुओं की जैव–विविधता, और भोजन तथा जल–स्रोतों की सुरक्षा आदि पर काम किया जाये एवं तेजी से गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन (NPM) की तरफ सभी कृषकों को प्रोत्साहित किया जाये।

परियोजना अनुदानित संस्था चयन समिति (PGSC) द्वारा बीआरएलएफ को सुझाव दिया गया कि साझेदार संस्थाओं को इस प्रकार सहजीकृत किया जाये कि वे कृषि आधारित आजीविका को बढ़ाने के लिए गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन प्रणाली को एक मुख्य रणनीति के तौर पर अपना लें। मुख्य आय–अर्जन गतिविधि के तौर पर सभी साझेदार संगठन विभिन्न फसलों जैसे अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियों और फलों की उपज को बढ़ावा दे रहे हैं। अधिकतर किसान अपने आस–पास के वातावरण और जीव–जंतुओं और खुद इंसानों पर रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव को जाने बगैर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का निरंतर प्रयोग करते आ रहे हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग के सम्बन्ध में ये स्पष्ट चेतावनी है कि फसल–चक्र में एक निश्चित अवधि और निश्चित मात्रा में ही इनका प्रयोग करना चाहिए।

बीआरएलएफ ने उन क्षेत्रों को काम करने के लिए चुना है जहाँ 20% से ज्यादा जनजातीय आबादी है। आमतौर पर, इन इलाकों में किसान खेती के परम्परागत तरीकों का अनुसरण करते हैं व रसायनों का कम प्रयोग करते हैं। परन्तु, बीज और कीटनाशक दवाओं के उद्योगों द्वारा जमीनी स्तर पर उतर कर की जाने वाली पैनी बाजार रणनीति और स्थानीय बीज व कीटनाशक विक्रेताओं को इस ओर दिए गए प्रलोभन के चलते, आज किसान रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए, इन इलाकों में गैर–रासायनिक कृषि व्यवहारों को सुगम बनाने का कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है।

बीआरएलएफ द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत अनेक एजेंसियों जैसे, एनआरएलएम और आईएआरआई व अन्य संदर्भ व्यक्तियों से एनपीएम् (NPM) को लेकर अभी तक किये गए कार्यों के बारे में चर्चा की जा चुकी है। गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन और जैविक कृषि के बारे में समझ बनाने के उद्देश्य से बीआरएलएफ द्वारा प्रान (प्रिसेर्वेशन एंड प्रोलिफिरेशन ऑफ रूरल

गैर–रसायनिक कृषि प्रबंधन पर साझेदार संस्थाओं का प्रशिक्षण
फोटो श्रेयः राजीब राउल

रिसोर्सेज एंड नेचर), सी एस ए (सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर), वासन (वाटरशेड सपोर्ट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज नेटवर्क), और सेफ–हार्वेस्ट इत्यादि एजेंसियों का अध्ययन एवं क्षेत्र भ्रमण किया गया। इस विषय पर काम को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाने और रणनीति तय करने के लिए बोधगया–बिहार में 8–9 फरवरी को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और साझेदार संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन सभी प्रयासों का असर सकारात्मक रहा है।

'सेफ–हार्वेस्ट', सी एस ए और प्रान के विशेषज्ञों के साथ मिलकर बीआरएलएफ ने इस गतिविधि को सम्पन्न करने की रणनीति तथा सुरक्षित व्यवहारों को प्रोन्नत करने तथा बाजार से जुड़ाव के लिए एक प्रभावशाली योजना को तैयार किया गया है। इस कार्य को बीआरएलएफ के कोर समूह द्वारा मार्गदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सी एस ए से डॉ. रामनजनेयेलु, श्री अनिल वर्मा प्रान से और सेफ–हार्वेस्ट से श्री रंगूराव सहित बीआरएलएफ के कार्यक्रम अधिकारी शामिल हैं। 13 साझेदार संगठनों द्वारा 13 स्थलों का चयन कर लिया गया है और आनेवाली खरीफ फसल से काम आरम्भ कर दिया जायेगा। इसके तहत तय रणनीति में इन चयनित स्थानों पर पूरे फसल चक्र अवधि के लिए प्रान द्वारा कोर स्टाफ का प्रशिक्षण एवं समुदाय संदर्भ–व्यक्तियों की नियुक्ति शामिल है। ये प्रशिक्षित संदर्भ व्यक्ति साझेदार संगठनों के स्टाफ एवं अन्य स्थानीय समुदाय संदर्भ व्यक्तियों के साथ–साथ किसानों को प्रशिक्षित करेंगे जो कि प्रायोगिक परियोजनाओं को अमल में लायेंगे।

राजस्थान सरकार द्वारा इस कार्य को राज्य के आजीविका मिशन के गहनतम विकास खण्डों में लागू करने का सुझाव दिया गया है। बीआरएलएफ द्वारा सरकार के साथ मिलकर इस कार्य को किया जायेगा।

बीआरएलएफ को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सुझाया गया है कि बीआरएलएफ इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करेगा कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) कार्यक्रम के तहत इसी प्रकार के चल रहे कार्य का ध्यान रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार से कार्यों को दोहरान न हो। बीआरएलएफ क्षेत्र में इस बात को पूर्णतया लागू करेगा। अनुकूल परिस्थिति देखते हुए सिक्किम राज्य के अनुभवों का भी अनुसरण किया जायेगा। यहाँ ये बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि पिछले 13–15 सालों में सिक्किम ने अपने आप को पूर्णतया जैविक राज्य में स्थापित कर लिया है।

Bksl ,oa rjy dpjk çca/ku

21वीं सहस्त्राब्दी अपने आरम्भ से ही सरकारों और सिविल सोसायटी संगठनों के द्वारा स्वच्छता पर निरंतर बढ़ते ध्यान की साक्षी रही है। उस समय पूरा जोर व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रित था ताकि खुले में शौच को रोका जा सके व शौचालयों के प्रयोग को बढ़ाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप खुले में शौच मुक्त गांवों की संख्या बढ़ने लगी। आज की चुनौती और भी जटिल है कि किस प्रकार ठोस और तरल अपशिष्ट/कचरे का प्रबंधन किया जाये ताकि बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और सुंदर वातावरण की उपलब्धि हो सके। सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में है।

बीआरएलएफ इस क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाओं के नजरिए से ठोस और तरल कचरा प्रबंधन में दक्षता रखने वाली संस्थाओं जैसे, सार्थक, ग्राम विकास, उत्थान, ग्रामालय, सेंटर फॉर देवाट्स डिस्सेमीनेशन, तथा अन्य अनुभवी संदर्भ व्यक्तियों के साथ संपर्क में है। 8–9 फरवरी 2016 को आयोजित कार्यशाला में भोपाल स्थित सिविल सोसायटी संगठन सार्थक द्वारा ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में किये जा रहे अपने कार्य का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसे सभी सिविल सोसायटी संगठन साझेदारों, JSLPS और RGAVP के प्रतिनिधियों द्वारा देखा गया। सार्थक द्वारा अपनाई जा रही कचरा प्रबंधन की तकनीक के प्रति सभी उपस्थित लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया थी और एक तरह से सभी इस बात से सहमत थे कि इस प्रकार की तकनीक को परियोजना क्षेत्र में और भी विचार–विमर्श के बाद लागू किया जा सकता है।

बीआरएलएफ, इस संदर्भ में सभी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों व अपने सहभागी संगठनों के साथ मिलकर एक प्रायोगिक परियोजना को लागू करने का विचार रखता है, जिसमें दक्ष एवं अनुभवी संस्थाओं व विशेषज्ञों का तकनीकि परामर्श व मार्गदर्शन लिया जायेगा ताकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके।

xSj vf/klwfpr o ?kqeUrq tutkfr;k

गैर अधिसूचित व घुमंतु जनजातियों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि समाज के हाशिये पर खड़ा है। ये वर्ग सामाजिक और आर्थिक दोनों रूपों में विकास का भेदभाव झेलते हैं, और दूसरी तरफ विकास के संसाधनों तक उनकी पहुँच भी सीमित है। बीआरएलएफ इन समुदायों की असहाय परिस्थितियों और मौजूदा चुनौतियों का व्यवस्थित आकलन करने के लिए अध्ययन हेतु प्रयास करेगा। बीआरएलएफ द्वारा जनवरी 2016 में पुणे में महाराष्ट्र के गैर–अधिसूचित व घुमंतु जनजातियों के मुद्दों को समझने के लिए मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इन जनजातियों के विभिन्न सामुदायिक संगठनों के लगभग 70 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया व अपने विचार और अनुभव साझा किये।

17 मार्च 2016 को बीआरएलएफ की कार्यकारिणी की बैठक में बीआरएलएफ को इस संदर्भ में रणनीति विकसित करने हेतु मार्गदर्शन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। सुझाव दिया गया कि बीआरएलएफ सबसे पहले बुरी दशा में रह रहे जनजातीय समुदायों को चिन्हित कर उनके साथ कार्य प्रारंभ करे। कमेटी द्वारा तब से कई बार आपस में संवाद किया जा चुका है और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में क्षेत्र भ्रमण भी किया जा चुका है ताकि गैर–अधिसूचित व घुमंतु जनजातियों की चुनौतियों को भली–भांति समझा जा सके। इस अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर, इन समुदायों की सम्पूर्ण सामाजिक–आर्थिक दशाओं को बदलने के लिए विशिष्ट हस्तक्षेपों का नियोजन किया जायेगा।

कटारी समुदाय की महिलाएं लकड़ी के उत्पाद बनाते हुए, कटारी बस्ती, सोलापुर
फोटो श्रेयः श्रीश त्रिपाठी

{kerk&fuek.k grq fd;s x, ç;kl

{kerk&fuek.k grq ç;kl½ xkeh.k isÞkoj dk;drk fuek.k dk;Øe

बीआरएलएफ और गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर मिलकर ग्रामीण आजीविका पेशेवर कार्यकर्ताओं हेतु बहु–केंद्रीय और बहु–विषयक पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। यह प्रयास ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में क्षमता–निर्माण हेतु किये जा रहे प्रयासों की श्रृंखला का एक हिस्सा है, जिसे लक्षित समूहों और विभिन्न संस्थागत साझेदारों (सरकार व सिविल सोसायटी संगठन दोनों) की आवश्यकता के अनुरूप ढाला गया है।

प्रस्तावित क्षमता–निर्माण कार्यक्रम भारत के 1077 उपजिले, जहाँ बीआरएलएफ परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, के उन इच्छुक अभ्यर्थियों को लक्षित करता है जो अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित/विमुक्त जनजाति, खानाबदोश/घुमंतु जनजाति से हैं, जिनमें महिलाओं को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत 18–30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है और न्यूनतम योग्यता गाँधी जी के शिक्षा के तीन सिद्धांतों (3 R) से प्रेरित है, जैसे कि 'लिखना, पढ़ना और गणितीय योग्यता' (12वीं कक्षा के समकक्ष) रखी गई है। प्रमाण–पत्र स्तरीय कार्यक्रम हेतु प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा की बाध्यता नहीं रखी गई है, लेकिन इसके आगे के ग्रामीण आजीविका के विशेषज्ञता–पाठ्यक्रमों हेतु अभ्यार्थी को उच्च माध्यमिक स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण किया होना आवश्यक होगा। कार्यक्रम में प्रवेश हेतु उपर्युक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए छात्रों का चयन सुनिश्चित करने के लिए तीन–स्तरों पर छंटनी की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण पेशेवर कार्यकर्ता निर्माण कार्यक्रम को बीआरएलएफ द्वारा उन प्रमुख संगठनों (नागरिक संगठनों/लोक संस्थान) के साथ सीधी साझेदारी में लागू किया जा रहा है जिनकी विविध क्षेत्रों में ज्ञान, प्रशिक्षण और क्रियान्विति पारंगतता सिद्ध हैं। ग्रामीण पेशेवर कार्यकर्ता क्षमता–निर्माण कार्यक्रम का शास्त्र पुरजोर तरीके से क्षेत्र–अनुभव आधारित और सूचना और प्रोद्योगिकीबद्ध सीखने की अन्तर्क्रियात्मक विधाओं पर आधारित है। सम्पूर्ण पाठ्यक्रम मुख्य आजीविका विषयों, कौशल व परिप्रेक्ष्य विकास, अंग्रेजी भाषा व आईटी प्रशिक्षण सम्बंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 17 मॉडयूलों में बंटा हुआ है। पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों के अतिरिक्त कार्यालय प्रबंधन और संस्थागत प्रारूप में समुदायों के साथ कार्य करने के दौरान ध्यान रखे जाने वाले पेशेवर तौर–तरीकों के बारे में भी विभिन्न सत्रों के आयोजन की व्यवस्था की गयी है।

ग्रामीण पेशेवर कार्यकर्ता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के मुख्य विषय इस प्रकार हैं: सहभागी भू–जल प्रबंधन, जल–संग्रहण प्रबंधन, सहभागी सिंचाई प्रबंधन, समुदाय आधारित संगठन निर्माण (स्वयं सहायता समूह, कृषक उत्पादक संघ आदि), फार्म और गैर–फार्म आधारित आजीविकाएं, विकेन्द्रित शासन व्यवस्था, गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन, ग्रामीण उद्यम, सामलात संसाधन प्रबंधन, वन आधारित आजीविकाएं इत्यादि। छह माह की अवधि के इस पाठ्यक्रम को विविध केन्द्रों पर चलाया जायेगा, जहाँ बीआरएलएफ के साझेदार संगठन अपने अनुभव और दक्षता अनुसार उसे क्रियान्वित करेंगें।

iek.k&i= dk;Øe nk Hkkxk e i.Lrkfor gk vof/k&Ng ekg ¼,d lseLVj½

igyk Hkkx& ifjçs{; fodkl vkj dk;kRed {kerk fuek.k [kM
व्यवहारगत कौशल (सॉफ्ट स्किल्स)
कार्यात्मक आई टी कौशल
कार्यात्मक अंग्रेजी भाषा का ज्ञान
भारत में जनजातीय समुदायों की स्थिति
जल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय बदलाव
nljk Hkkx& fo"k;xr tkudkjh [kM
सहभागी भू–जल प्रबंधन
जल–संग्रहण प्रबंधन
सहभागी सिंचाई प्रबंधन
स्वच्छता (WASH)
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
फार्म आधारित आजीविकाएं एवं मूल्य श्रृंखला अवधारणा 1–सम्पूर्ण फार्म अवधारणा
गैर–फार्म आधारित आजीविकाएं एवं मूल्य श्रृंखला– पशुधन एवं मुर्गी पालन
ग्रामीण वित्त, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, बैंक लिंकेज और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
संस्था निर्माण 1 – महिला स्वयं सहायता समूह और आजीविका
पेसा, वन अधिकार अधिनियम (PESA/FRA): वन आधारित आजीविका, कानूनी चुनौतियां और क्षेत्रीय अनुभव
अधिकार एवं हक1– वन आधारित आजीविका
संस्था निर्माण II– ग्रामीण समुदाय उद्यम मॉडल एवं मूल्य श्रृंखला
फार्म आधारित आजीविकाएं एवं मूल्य श्रृंखला अवधारणा II– गैर–रासायनिक कीटनाशक आधारित कृषि
कन्वर्जेन्स मॉडल–मनरेगा
अधिकार एवं हक II– विकेन्द्रित शासन और लोक संस्थाएं
जेंडर और आजीविका

igyk Hkkx–पाठ्यक्रम का पहला भाग जो कि परिप्रेक्ष्य विकास और कार्यात्मक क्षमता निर्माण से सम्बंधित है, संभागियों के समक्ष ग्रामीण आजीविका स्थिति, इस क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों, और कार्य की संभावनों का पूरा चित्रण खींचने, संदर्भ को प्रस्तुत करने और एक दृष्टिकोण विकसित करने पर केन्द्रित है। वस्तुतः, इस पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में अध्ययनरत सभी संभागियों को ग्रामीण आजीविका के सम्पूर्ण परिदृश्य से परिचित कराना है। परिप्रेक्ष्य निर्माण पाठ्यक्रम को गुजरात केन्द्रीय विश्व विद्यालय में वहां के स्थापित शिक्षाविदों, विषय–विशेषज्ञों और देश के चुनिंदा संदर्भ व्यक्तियों सहित प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम के विषयगत मॉडयूल को लागू करने वाले साझेदार संगठनों के संदर्भ व्यक्तियों द्वारा पढ़ाया जायेगा।

nljk Hkkx– इस विषयगत जानकारी से सम्बंधित मॉडयूल को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मौजूद साझेदार संगठन अपने–अपने परियोजना स्थलों पर जारी रखेंगें। इस प्रकार कुल 14 विषयगत क्षेत्र होंगे।

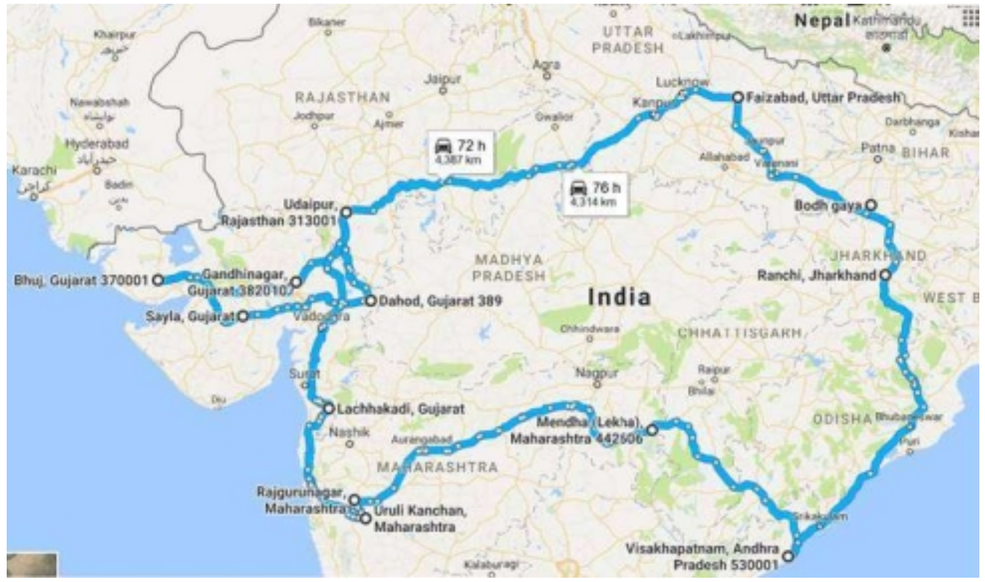

çf'k{k.kdæ&xkeh.k vkthfodk çek.k&i= dk;Øe

1. गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गाँधीनगर
2. भुज, कच्छ ,गुजरात
3. सायला, सुरेंद्रनगर, गुजरात
4. दाहोद, गुजरात
5. उदयपुर, राजस्थान
6. लाछाकड़ी, गुजरात
7. उरुलीकंचन, महाराष्ट्र
8. राजगुरुनगर, महाराष्ट्र
9. मेंधा (लेखा), महाराष्ट्र
10. श्रीकाकुलुम, आन्ध्रप्रदेश
11. रांची, झारखण्ड
12. बोधगया, बिहार
13. फैजाबाद, उत्तरप्रदेश
14. गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गाँधीनगर

xkeh.k vkthfodk çek.k&i= ikBîØe

सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रूरल लाइवलीहुडस *(CPRL)*

बीआरएलएफ और गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के संयुक्त तत्वाधान में प्रस्तुत

आदिवासी युवाओं हेतु ग्रामीण आजीविका में क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ग्रामीण पेशेवर कार्यक्रम के तहत आगे चल कर, ग्रामीण आजीविका के संदर्भ में प्रत्येक मुख्य विषय के अंतर्गत अनेक और विशेषज्ञता वाले प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों की पूरी श्रृंखला को तैयार किया जायेगा। एक दृष्टि से यह कार्यक्रम ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में मौजूद गुणवत्ता वाले ग्रामीण पेशेवर मानव–संसाधन की कमी को लम्बे समय तक पूरा करने में मददगार साबित होगा।

ipk;rh jkt laLFkkuksa dk p;fur çfrfuf/k;ksa dk {kerk fuekZ.k dk;ZØe

पंचायती राज संस्थाएं, बीआरएलएफ के महत्वपूर्ण साझेदार होने के साथ–साथ इनकी भागीदारी और भूमिका को बीआरएलएफ द्वारा अनुदानित परियोजनाओं में अनिवार्य रुप से तय किया गया है। साझेदार सिविल सोसायटी संगठनों के माध्यम से आजीविका संवर्धन हेतु बीआरएलएफ के समस्त प्रयासों में पंचायती राज की भूमिका अहम् है। सभी साझेदार सिविल सोसायटी संगठनों को ग्राम पंचायतों के साथ गहन संपर्क में रहकर कार्य करना आवश्यक है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्षेत्र में कार्य आरम्भ करने से पहले ग्राम पंचायत बैठक में कार्य का प्रस्ताव स्वीकृत कराया जाये। आधिकारिता, सामाजिक सुरक्षा, और आजीविका के कार्यों को फलीभूत होने के लिए मजबूत स्थानीय शासन संस्थाओं की आवश्यकता होती है। पंचायतीराज संस्थाओं के पास आज विभिन्न प्रकार की बेहतर भूमिकाएं और जिम्मेदारियों के साथ साथ महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच भी शामिल है। पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता–निर्माण में पर्याप्त निवेश न करने, पर्याप्त मानव संसाधन न होने, व अनटाइड फण्ड का हस्तांतरण न होने (जो कि हाल ही में बदला है) आदि कारणों से भारतीय संविधान में वर्णित स्थानीय स्व–शासन की अवधारणा पूर्णतया साकार नहीं हो सकी है। संविधान के अनुसार ये संस्थाएं नियोजन प्रक्रिया का मुख्य अंग हैं और संविधान के 73वें व 74वें संशोधन व 'पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम' (पेसा) के बाद से सैद्धांतिक रूप से इस तथ्य को बखूबी प्रसारित किया गया है, परन्तु व्यवहार में नहीं लाया जा सका है।

पंचायतें अपने नागरिकों के लिए बेहतर नियोजन कर सकें, विभिन्न करों के जरिये स्थानीय राजस्व को बढ़ा सकें, बजट बना सकें, निवेश आकर्षित कर सकें, ऐसी परियोजनाओं पर कार्य कर सकें जिनसे आजीविका को पोषित करने वाली व सतत आर्थिक विकास की दशाओं का निर्माण हो सके– आदि मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता है। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कई महत्वपूर्ण संसाधनों को इन संस्थाओं के माध्यम से मुहैया कराया जा रहा है। माननीय केन्द्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास के अनुसार आने वाले वर्षों में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थाओं को सीधे ही हस्तांतरित कर दिए जायेंगें। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रति वर्ष 25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ का अनटाइड फंड प्राप्त होगा (उदाहरण स्वरूप राजस्थान में प्रति पंचायत औसतन यह राशि 60 लाख है)। परन्तु, इन संसाधनों को जिम्मेदार तरीके से उपयोग करने हेतु व्यवस्था और कुशल मानव संसाधन की कमी के चलते ये संसाधन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए बीआरएलएफ राज्य सरकारों के साथ मिलकर संस्थागत प्रशिक्षण और सहयोग कार्यक्रमों (जो कि पहले से मौजूद हैं व विभिन्न देशों में अमल भी किये जा चुके हैं) को आयोजित करना चाहता है। आईसीटी (ICT) उन्मुख पाठ्यक्रम और इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए डिजिटल मंचों की उपलब्धता से उद्देश्य को बल मिल सकता है। साथ ही, साथी–समूहों के साथ विचारों के आदान–प्रदान, व अन्य चयनित प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ संपर्क, उनमें निहित ज्ञान और जानकारी को सामने लाना, इत्यादि उपायों को भी करने की योजना है। इसे अर्जित करने के लिए कार्यशालाओं और सतत सीख के मंचों का प्रयोग करना होगा। ऐसा करने का मंतव्य यही है कि इससे अच्छे प्रशिक्षकों की कमी, प्रशिक्षण के कास्केड मॉडल के विषय में हर आगामी चरण में संकीर्ण होती जाती गुणवत्ता व समझ इत्यादि समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकेगा। निश्चित ही ये प्रारूप चयनित प्रतिनिधियों के क्षमता–संवर्धन और सशक्तिकरण के क्षेत्र में पूरे परिदृश्य को बदलने का काम कर सकता है। जिन क्षेत्रों में सीएफटी मौजूद हैं, बीआरएलएफ चयनित प्रतिनिधियों के लिए सुशासन हेतु और विकसित प्रशिक्षणों को आयोजित करने हेतु राज्य सरकारों के साथ संवाद की प्रक्रिया में है।

Ik>nkj flfoy lkslk;Vh lxBu

vkxk [kku :jy lik sVZ çksxzke ¼Hkkjr½

आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम–भारत (AKRSP-I), एकेआरएसपी एक गैर–सांप्रदायिक और गैर–सरकारी विकास संगठन है। एकेआरएसपी ग्रामीण समुदायों के कल्याण के लिए एक उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करने वाली संस्था है। यह प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग हेतु विभिन्न प्रतिरूपों और गतिविधियों का विकास तथा मानव संसाधन का विकास करने वाली गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष रुप से सहयोग प्रदान करती है। पिछले 25 वर्षों से कार्यरत यह संस्था आज गुजरात के 1100 ऐसे गांवों में सक्रिय है जो कि पर्यावरणीय चुनौतियों और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर क्षेत्रों में गिने जाते हैं। एकेआरएसपी मध्यप्रदेश और बिहार राज्य में भी सक्रिय है।

ifj;kstuk dk laf{kIr fooj.k

ifj;kstuk dk uke% *प्रमुख ग्रामीण आजीविका गतिविधियों की समेकित योजना और क्रियान्वयन के माध्यम से जनजातीय आजीविका को बढ़ाना।(एन्हान्सिंग ट्राइबल लाइवलीहुडस थ्रू इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप रूरल लाइवलीहुड्स एक्टिविटीज)*

अमुक परियोजना को गुजरात और मध्यप्रदेश के 10 जिलों के 16 विकास खण्डों में कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है। इन क्षेत्रों में परियोजना के तहत शत–प्रतिशत जनजातीय परिवारों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 160 ग्राम पंचायतों के 295 गांवों के कुल 23700 परिवारों को लक्षित किया गया है। परियोजना के माध्यम से सरकार, एनजीओ, पंचायती राज संस्थाओं, कॉर्पोरेट संगठनों, और समुदाय में मौजूद संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग करते हुए ग्रामीण विकास गतिविधियों जैसे; जलग्रहण प्रबंधन, सहभागी सिंचाई प्रबंधन, कृषि उत्पादकता वृद्धि, समूह और बैंक लिंकेज, और पशुधन विकास आदि गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य किया जायेगा। परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- जमीनी स्तर पर प्रभावी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना
- परिवार और ग्राम स्तर पर उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना
- मध्यप्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों के छोटे सिविल सोसायटी संगठनों एवं ग्राम स्तरीय सरकारी कर्मचारियों की क्षमताएं बढ़ाना

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa çeq[k xfrfof/k;k¡

वित्तीय वर्ष 2015–16 में संस्था द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के जरिए 7.30 करोड़ रुपये तथा सह–वित्त व्यवस्था के तहत कॉरपोरेट दान दाताओं से 13.12 करोड़ रूपये की राशि जुटाई गई। साथ ही 20 ग्राम पंचायतों में कार्य हेतु प्रस्ताव पारित कराये गए व कार्य हेतु नियोजन भी किया गया। दोनों परियोजना क्षेत्रों पर 340 स्वयं सहायता समूहों को प्रोन्नत किया गया तथा समुदाय के 3971 सदस्य समूह सदस्यों के तौर पर पंजीकृत हुए। इन समूहों की कुल बचत 297 लाख रुपए रही है व बैंक तथा अन्य संस्थाओं द्वारा कुल 272 लाख रुपए क्रेडिट उपलब्ध कराये गए हैं। एकेआरएसपी अपने आजीविका हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन हेतु किसान क्लब व जल उपभोक्ता समितियों आदि समुदाय आधारित संगठनों के साथ कार्य करता है। इस प्रकार के कुल 498 सामुदायिक संगठनों को इस वर्ष प्रोन्नत किया गया। इसी वर्ष संस्था द्वारा 522 क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनके तहत 21221 संभागियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षित संभागियों में से 356 सदस्य पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि थे। आजीविका हस्तक्षेप गतिविधियों के जरिये संस्था द्वारा क्षेत्र में उपलब्धि निम्नवत् रही–

çeq[k xfrfof/k;k¡	dqy
विविध कृषि गतिविधियों में शामिल किये गए कुल परिवार (श्री पद्धति, एन पी एम, बागवानी, लैंडलेस गार्डन, किचन गार्डन)	10228
पशुधन विकास गतिविधियों में शामिल परिवार (बकरी पालन और मुर्गी पालन)	5995
जल संरक्षण से लाभान्वित कुल परिवार	961
भूमि विकास प्रयासों के तहत लाभान्वित कुल परिवार	3410
प्रधानमंत्री फ्लेगशिप योजनाओं के तहत जोड़े गए कुल जनजातीय परिवार	2189

स्वयं सहायता समूह सदस्यों के साथ रसोई वाटिका नर्माण, केरमाला गाँव, वर्ला ब्लॉक, बरवानी जिला, मध्यप्रदेश
फोटो श्रेयः एकेआरएसपी–आई

स्टॉप–डैम, पलोना, झिरनिया ब्लॉक, खारगोन, मध्यप्रदेश
फोटो श्रेयः एकेआरएसपी–आई

d:l v/;;u

मगनभाई अनस्याभाई गावित, वाघाई से 30 किमी दूर पूर्णा नदी के किनारे स्थित आदिवासी गांव दिवादियावान में रहते हैं। उनके पांच भाइयों वाले परिवार के बीच छह हेक्टेयर जमीन हैं जिसमें से तीन एकड़ कृषि भूमि पर मगन भाई अपनी आजीविका हेतु खेती करते हैं। इसके लिये 10 एच पी इंजन लगाकर नदी से सिंचाई के लिए पानी लेते हैं। इस जमीन पर वे साल में अलग अलग मौसम के अनुसार चावल, मूंगफली, तरबूज, तुअर और उड़द की फसलें लेते हैं।

वर्ष 2015 में उन्होने ड्रिप सिँचाई हेतु अपनी रूचि प्रकट करी। इसके लिए नेटाफिन एजेंसी द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके आधार पर पांच किसानों के एक समूह पर इस सिंचाई हेतु लगभग 2.2 लाख की लागत का अनुमान लगाया गया। इस कुल अनुमानित खर्च में गुजरात ग्रीन रेवोलुशन कंपनी (जीजीआरसी) द्वारा 1.4 लाख का अनुदान दिया गया। शेष 80 हजार में से 60 हजार किसानों द्वारा अंशदान किया गया व तत्पश्चात शेष राशि एक्सिस बैंक फाउंडेशन (ABF) द्वारा उपलब्ध करायी गई।

मगन भाई ने अपने खेत के उसी हिस्से में ड्रिप लगवाए जहाँ पूर्व में वे तरबूज की फसल उगा रहे थे। कृषि विज्ञान केंद्र, वाघई के सहयोग से उन्होंने लगभग 6000 रू की लागत के 4 प्लास्टिक रोल खरीदे और ड्रिप वाले खेत में प्रयोग किया ताकि नमी हेतु ढकाई की जा सके।

ड्रिप सिंचाई के जरिये मगनभाई को खेत के उसी हिस्से से तरबूज की 4 टन पैदावार हुई जो कि पहले एक टन भी नहीं हो पाती थी। कम फसल होने के कारण वे उसे स्थानीय बाजार में ही बेच पाते थे और मुश्किल से 5000 रू का लाभ ले पाते थे, जबकि इस बार वे अपनी फसल को धरमपुर के बाजार में बेच सके व 30,000 का लाभ ले पाए। साथ ही 2000 रू प्रति मौसम के हिसाब से सिंचाई की लागत में भी कमी ला पाए।

मगनभाई की तरह 30 और किसानों ने भी अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाया है व वे भी उसी प्रकार लाभ ले रहे हैं और अन्य किसानों को भी इस हेतु प्रेरित कर रहे हैं।

(स्रोतः एकेआरएसपी–आई परियोजना वार्षिक रिपोर्ट 2015–16)

cK;Q MoyiesV fjlp QkmMs'ku

बायफ उच्च अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संचालित एक अ–लाभकारी लोक न्यास है जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में स्वर्गीय डॉ. मणिभाई देसाई द्वारा ग्रामीण भारत में स्थायी आजीविका को प्रेरित करने के लिए की गई थी। बायफ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और पशुधन विकास, जल–संग्रहण विकास एवं कृषि, बागवानी, और वन विकास द्वारा आय अर्जन जैसी प्रमुख गतिविधियों को संचालित करते हुए ग्रामीण निर्धनों के लिए सतत एवं स्थायी आजीविका प्रदान कराने के लिए संकल्प बद्ध है। बायफ द्वारा अपने 4500 कार्मिकों और 13 सहायक संस्थाओं के सहयोग से देश के 16 राज्यों के 60,000 गांवों के लगभग 4.5 मिलियन ग्रामीण परिवारों को सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। बायफ की मुख्य गतिविधियों में डेयरी, बकरी पालन, जल–संसाधन विकास, टिकाऊ कृषि और अनुपजाऊ जमीन पर आदिवासियों के पुनर्वास हेतु कृषि–बागवानी–जंगल विकास और भूमिहीन किसानों के लिए रोजगार सृजन हेतु ग्रामीण गैर–फार्म गतिविधियाँ इत्यादि शामिल हैं। पर्यावरणीय स्थिरता और महिला सशक्तिकरण के मूल्य इन सभी कार्यक्रमों में अंतर्निहित रहते हैं।

ifj;kstuk dk laf{kIr fooj.k

ifj;kstuk dk uke % *मध्य भारत में आदिवासी आजीविका परियोजना (आदिवासी लाइवलीहुडस प्रोजेक्ट इन सेंट्रल इंडिया)*

उक्त परियोजना 18 दिसम्बर 2014 को आयोजित परियोजना अनुदायी संस्था चयन समिति (PGSC) की पहली बैठक में स्वीकृत की गई थी। इसके लिए पांच राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, और मध्यप्रदेश के 7 जिलों के 9 विकास खण्डों के 237 गांवों के 30,193 परिवारों को लक्ष्य रखते हुए 5.72 करोड़ रू की राशि स्वीकृत की गई थी। परियोजना को वर्ष 2015 में पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया। परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- लक्षित परिवारों की फार्म आधारित आजीविका दशाओं को बेहतर करना
- पशुपालन व्यवहारों में सुधार करना
- वन आधारित आजीविका में सुधार करना
- गैर–फार्म आधारित उद्यमों को सुझाना व उनका विकास करना
- लक्षित ग्रामों में प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि करना
- सामुदायिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में सुधार करना

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa çeq[k xfrfof/k;k

वित्तीय वर्ष 2015–16 में बायफ द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए 9.51 करोड़ रुपये तथा सह–वित्त व्यवस्था के तहत 6.57 करोड़ रूपये की राशि जुटाई गई। बायफ ने स्वयं सहायता समूह सहित अनेक समुदाय आधारित संगठनों को प्रोन्नत करने का काम किया है। इसी अवधि में बायफ ने 32 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया एवं 171 विभिन्न समुदाय आधारित संगठनों को संगठित किया। प्रमुख गतिविधियां और उनकी पहुँच को निम्नवत दर्शाया गया है:

çe[k xfrfof/k;k	dy
विविध कृषि गतिविधियों में शामिल किये गए कुल परिवार (श्री पद्धति, एन पी एम, बागवानी, लैंडलेस गार्डन, किचन गार्डन)	3568
पशुधन विकास गतिविधियों में शामिल परिवार (बकरी पालन, और मुर्गी पालन)	1173
वन अधिकार अधिनियम के तहत लाभान्वित कुल परिवार	750
लघु वन उत्पाद मूल्य–श्रृंखला (महुआ एकत्रीकरण) को अपनाने वाले परिवार	2713
जल संरक्षण में लाभान्वित कुल परिवार	886
भूमि विकास प्रयासों के तहत लाभान्वित कुल परिवार	1048
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोड़े गए कुल परिवार	3539
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जोड़े गए कुल परिवार	608
प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत जोड़े गए कुल परिवार	5676
प्रधानमंत्री फ्लेगशिप योजनाओं के तहत जोड़े गए कुल जनजातीय परिवार	5549

भू–विज्ञानी मानचित्रीकरण, फोटो श्रेयः बायफ

जल गुणवत्ता परीक्षण, फोटो श्रेयः बायफ

dyfDV0l Q,j bVhxVM ykboyhgM bfuf'k,fV0t (CInI)

CInI संस्था का पंजीकरण वर्ष 2007 में संस्था पंजीकरण अधिनियम के तहत हुआ था। यह टाटा ट्रस्ट की नोडल एजेंसी के तौर पर मध्य भारत में कार्यरत है। इसका उद्देश्य लक्षित जनजातीय समुदायों के मध्य ऐसे मुद्दे आधारित हस्तक्षेपों का निर्माण करना है जो कि जनजातीय समुदायों के लिए लम्बे समय के लिए प्रभावकारी हों।

ifj;kstuk dk lf{kIr fooj.k

CInI द्वारा सेन्ट्रल इंडिया इनिशिएटिव के तहत काम करने के दौरान अपने काम के तरीकों और मुद्दों पर एक विस्तृत समीक्षा आयोजित की गई ताकि ये जाना जा सके कि तय की गई विधा से सही दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है या नहीं। इस विवेचना से संस्था को कई सीख प्राप्त हुईं जिनका उपयोग लक्षित जनजातीय परिवारों के लिए, निश्चित समय–सीमा के भीतर रहकर, सतत और टिकाऊ विकास को प्रेरित करने वाली गतिविधियों के निर्माण हेतु किया गया। इन मुख्य सीखों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित संकेतकों की उपलब्धि हेतु पांच वर्ष की अवधि (अप्रैल 2015– मार्च 2020) के लिए एक सघन कार्यक्रम तैयार किया गया। मिशन 2020 का ध्येय निम्न है

- 300,000 परिवारों को, उनके जीवन– गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी और जीवन के बेहतर विकल्पों को प्रदान करते हुए स्थायी रूप से गरीबी चक्र से बाहर निकालना।
- महाराष्ट्र, गुजरात, झारखण्ड और ओड़िसा के 45 जनजातीय विकास खण्डों को विकास और बढ़ोत्तरी के क्षेत्रीय उत्प्रेरकों के रूप में विकसित करना।

foÙkh; o"k 2015&16 e çe[k xfrfof/k;k

CInI के मिशन 2020 तहत परियोजना क्रियान्वयन में बीआरएलएफ के साथ साझेदारी से सकरात्मक बल मिला है। बीआरएलएफ के सहयोग से CInI ने समुदाय के प्रमुख व्यक्तियों के प्रशिक्षण और क्षमता–निर्माण, समुदाय संदर्भ व्यक्तियों का निर्माण और CInI के फील्ड–पार्टनर के तौर पर कार्यरत सामुदायिक संगठनों के स्टाफ का क्षमता–निर्माण आदि पर महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया है। संस्थागत और अन्य ऊपरी लागतों को संतुष्ट करने के लिए वित्तीय सहयोग की प्राप्ति के बाद CInI ने इन गतिविधियों के लिए संचित किये अपने कोष को बड़े पैमाने पर आजीविका गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समर्थता प्राप्त की। एक अच्छे–खासे अनुपात में कोष के वितरण को परियोजना क्षेत्र में सिंचाई विकास हस्तक्षेप हेतु प्रयोग किया गया जोकि कार्यक्रम के तहत आय–बढ़ोत्तरी के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक उपाय था। दूसरी दृष्टि से देखें तो, इस साझेदारी से संरक्षण (कन्वर्जेन्स) पर काम करने और सरकार द्वारा घोषित किये गए कार्यक्रमों के साथ जुड़ाव को शामिल करने की प्रक्रिया से सम्पूर्ण कार्यक्रम के प्रारूप को बेहतर करने में मदद मिली है। आने वाले समय में ऐसी आशा है कि कार्यक्रम के तहत तैयार किये गए सामुदायिक संगठन अपने सदस्यों के लिए इस प्रकार के अवसर जुटाने में मुख्य भूमिका निभा पायेंगें।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, CInI प्रोग्राम टीम सदस्यों द्वारा कृषि मुद्दों पर बीआरएलएफ द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों और साथ ही राज्य सरकार के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कन्वर्जेन्स को बेहतर करने के लिए संवाद प्रक्रिया में भाग लिया गया। ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में ये सभी प्रयास सरकार और सिविल सोसायटी संगठन के मध्य मजबूत गठबंधन के रूप में उभरेंगे जोकि बीआरएलएफ के मुख्य उद्देश्य के साथ–साथ CInI के मिशन 2020 की मुख्य रणनीति भी है। रिपोर्टिंग अवधि के भीतर 12 साथी संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की आजीविका गतिविधियों के माध्यम से कुल 44,683 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है।

d:l v/;;u

संथाली आदिवासी अक्ली मुरमू अपने समुदाय में बदलाव लाने वाली महिला है जोकि पूर्व में अपने समुदाय और अपने बारे में बात करने पर हिचकिचाती थी। टाटा ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को केन्द्रित रखते हुए जनजातीय समुदाय आधारित आजीविका संवर्धन कार्यक्रम की पहल से गुराबंदा की अक्ली दीदी का एसपीवी दीदी के रुप में चयन हो गया, जब उसने गुराबंदा में फार्म–तालाब बनाये और वर्षा आधारित कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित की।

अक्ली मुरमू की पैदाइश एक किसान परिवार में वर्ष 1983 की पहली जनवरी को हुई थी। अपने छह भाई–बहनों में अक्ली सबसे छोटी थीं। अक्ली किस्मतवाली थीं जिन्हें अपनी अन्य बहनों की तुलना में स्कूल जाने का मौका मिला जबकि उनके भाई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हांलांकि, अक्ली ने आठवीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने परिवार को सहयोग करने के इरादे से 20 रू में कृषक मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 2004 में अक्ली का विवाह हो गया और इसके साथ ही पति द्वारा शराब के नशे में नियमित रूप से घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। अक्ली के माता–पिता ने उसपर तलाक हेतु दबाव बनाया परन्तु अक्ली ने मना कर दिया। यूँ, अक्ली ने तलाक तो नहीं लिया, परन्तु एक मजबूत कदम उठाया और अपने माता–पिता के घर रहने आ गई।

अक्ली ने बदलाव का पहला कदम तब उठाया जब उसने वर्ष 2012 में किया झारना महिला समिति की सदस्यता गृहण की। शीघ्र ही वह स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य बन गई व उसने आस–पास के समूहों को अपने रजिस्टर बनाने और संधारण करने में सहायता करने लगी। आगे चलकर उसने टाटा ट्रस्ट द्वारा समर्थित कृषि विकास, धान की फसल लेने के लिए उन्नत व्यवहार करना एवं उच्च मूल्य वाली कृषि को अपनाने के लिए समूहों को प्रेरित भी किया। समूह की सक्रिय नेता के रूप में उसने समुदाय अंकेक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त किया और वर्ष 2014 में 22 स्वयं सहायता समूहों का अंकेक्षण किया। 2015 में स्वयं सहायता समूहों को 'पंचसूत्र' का और वित्तीय लिंकेज को सुगम बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए एनआरएलएम द्वारा गुराबंदा ब्लाक के लिए अक्ली का समूह संदर्भ व्यक्ति के रूप में चयन किया गया।

अक्ली के बदलाव का दूसरा और सबसे बड़ा पक्ष तब जाग्रत हुआ जब टाटा ट्रस्ट ने गुराबंदा के किसानों के लिए सिंचाई की सुनिश्चितता हेतु जल–संग्रहण हेतु स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) तैयार किया। एसपीवी शांति महिला संघ का गठन किया गया व उसे 11 नवम्बर 2014 को भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत कराया गया। अक्ली दीदी को गुराबंदा ब्लॉक के भल्की पंचायत और फोरेस्ट ब्लॉक पंचायत के क्रमशः सुरगी ग्राम और मचभन्दर गाँव के 5 स्वयं सहायता समूहों के 19 चयनित सदस्यों के मध्य अध्यक्ष पद हेतु चुना गया। अक्ली दीदी ने पंचायत सदस्यों और गाँव वालों के साथ मिलकर ग्राम सभा आयोजित कर 13 गांवों के लिए सघन नियोजन का कार्य किया, साथ ही प्रत्येक तालाब के लिए तथा टांके निर्माण हेतु जन सहयोग से 10000 रू इकट्ठे किये। बाद में टांकों के बन जाने के बाद उन्हें सम्बंधित उपयोगकर्ता समूहों को सौंप दिया गया।

इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान अक्ली दीदी को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा। जब कार्य शुरू हुआ तो समुदाय के लोग महिला संचालित स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) को लेकर आश्वस्त नहीं थे और किसान तालाब आदि के निर्माण हेतु अपना सहयोग देने को लेकर झिझक रहे थे। तालाब निर्माण के दौरान कई बार उनको स्थानीय लोगों की उपेक्षा और विरोध का सामना करना पड़ा। जो भी रहा हो, एसपीवी शांति महिला संघ द्वारा शुरुआत से लेकर अब तक गुराबंदा ब्लाक के 5 पंचायतों के 13 गाँवों में 41 तालाबों का निर्माण किया जा चुका है जिससे 49 एकड़ और 18 डेसीमल जमीन पर बसे 78 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। आज, अक्ली दीदी को उनके ससुराल पक्ष से सराहा जा रहा है। वह समूहों के सदस्यों से कहती हैं कि, ''आप लोग जैसे दीदी लोग घर पर और घर का काम करते हैं, आप अपने लिए सोंचें अगर नहीं सोच सकते हैं तो बाहर जा कर देखें''।

स्रोतः CInI परियोजना वार्षिक रिपोर्ट 2015–16

fnxEcj ijj vxhdkj

वर्ष 2000 में सुंदरबन क्षेत्र में राहत और पुनर्वास के कार्य को हाथ में लेने, तथा महिलाओं, बच्चों व समाज के असहाय वर्गों के विकास की दृष्टि से, क्षेत्र के कुछ समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह द्वारा दिगम्बरपुर अंगीकार संस्था की स्थापना की गई। अपने कार्यों की शुरुआत से ही संस्था सुंदरबन क्षेत्र में ग्रामीण विकास के साथ–साथ नगरीय क्षेत्रों में भी महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए कार्यरत है। संस्था का मिशन ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत अधिकारों के बारे में जागरूक बनाना है। संस्था समुदाय और अपने स्टेकहोल्डर्स को सामाजिक और आर्थिक रूप से समर्थता प्रदान करने की दृष्टि से उनमें कौशल विकास और ज्ञान का आदान–प्रदान और संवेदनशील बनाने में सहयोग करती है।

ifj;kstuk dk lf{kIr fooj.k

ifj;kstuk dk uke% *पश्चिमी बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली I व II ब्लॉक्स में जनजातीय लोगों का सामाजिक–आर्थिक विकास (सोशियो इकनोमिक एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल एट संदेशखाली I एंड II ब्लॉक्स इन नार्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल)*

परियोजना अनुदानित संस्था चयन समिति (PGSC) की 8 सितम्बर 2015 को आयोजित दूसरी बैठक में इस परियोजना को स्वीकृत किया गया था। परियोजना के तहत 11,000 परिवारों को लक्षित किया गया है एवं इस हेतु परियोजना राशि के रूप में 1.99 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। परियोजना का कार्य अक्टूबर 2015 में आरम्भ किया गया है व इसकी अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है। परियोजना का कार्यक्षेत्र पश्चिमी बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के 2 विकास खण्डों की 16 ग्राम पंचायतों के 40 गांव हैं। हालाँकि, शुरुआत में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार शुरुआत में सिर्फ संदेशखाली–1 में ही कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैः

- विकेन्द्रित नियोजन, दूर–दृष्टिकोण विकास व समावेशन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के साथ सघन भागीदारी विकसित करना
- आदिवासी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, आजीविका विकास हेतु विभिन्न योजनाओं और अवसरों के बारे में उन्हें जागरूक करना
- आदिवासी महिलाओं को कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछलीपालन, और आजीविका संवर्धन हेतु अन्य गतिविधियों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना
- लक्षित क्षेत्र में स्वच्छता और गैर–रासायनिक आधारित कृषि प्रबंधन मुद्दों को लेकर प्रायोगिक परियोजनाओं को लागू करना
- परियोजना क्षेत्र के सभी लक्षित परिवारों को प्रधानमंत्री जी की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य घोषित कार्यक्रमों के तहत लाभान्वित कराने हेतु शामिल करना

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa çeq[k xfrfof/k;k

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन और आधारभूत सर्वेक्षण द्वारा परियोजना भागीदारों की पहचान और चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) सभी लक्षित गावों में किया गया । सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन विधा की तीन विधियाँ अर्थात सामाजिक मानचित्रीकरण, संसाधन मानचित्रीकरण, और आर्थिक स्थिति मानचित्रीकरण को अपनाया गया था। इस अभ्यास का लक्ष्य गांवों की आवश्यकताओं व वहां उपलब्ध संसाधनों की पहचान, और हस्तक्षेपों को लागू करने की दृष्टि से प्राथमिकताओं को तय करना था।

संस्था ने 20 स्वयं सहायता समूहों के साथ कार्य करना शुरू किया था, जिसमें इस वर्ष 200 सदस्य जोड़े जा चुके हैं। 4 क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं जिसमें 120 संभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 120 परिवारों को उन्नत कृषि कार्यक्रमों हेतु पंजीकृत किया जा चुका है, जबकि 75 परिवार बकरीपालन और 64 परिवार मुर्गीपालन हेतु शामिल किये जा चुके हैं। लक्षित परिवारों को सरकार के विविध मुख्य कार्यक्रमों के तहत भी जोड़ा जा चुका है।

उन्नत चूल्हा प्रोत्साहन, कलिंगार गाँव, संदेश खाली–I, उत्तरी 24 परगना, फोटो श्रेयः दिगम्बरपुर अंगीकार

पंचायत एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय बैठक, गाँव सहारा राधा नगर, संदेश खाली–I, उत्तरी 24 परगना
फोटो श्रेयः दिगम्बरपुर अंगीकार

QkmMs'ku Q,j bdksy,ftdy flD;fjVh

फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (एफइएस) वर्ष 2001 से पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर जल, जंगल और जमीन के पारिस्थितिक पुनःस्थापन एवं संरक्षण हेतु कार्यरत है। ग्रामीण समुदायों की सहभागिता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन और नियंत्रण में एफइएस को विशेषज्ञता हासिल है। इसका कार्य देश के छह पारिस्थितिक क्षेत्रों में फैला हुआ है जिनमें आठ राज्यों– आंध्रप्रदेश, गुजरात, कर्णाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओड़िसा, राजस्थान के 30 जिलों के 5,323 ग्रामों के 2.89 मिलियन लोगों तक सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं।

ifj;kstuk dk laf{kIr fooj.k

ifj;kstuk dk uke% *जनजातीय इलाकों में क्षमता–सुदृढ़ीकरण (रीचिंग द लास्ट माइलः स्ट्रेंथनिंग कैपसिटीस इन ट्राइबल एरियाज)*

बीआरएलएफ द्वारा समर्थित इस परियोजना का लक्ष्य स्थानीय क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का बेहतर नियोजन एवं क्रियान्वयन हो सके व प्राकृतिक संसाधनों को पुनःस्थापन किया जा सके, फलस्वरूप अति गरीब परिवार अपनी आजीविका को बेहतर कर सकें। यह परियोजना पांच राज्यों ओड़िसा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं गुजरात के सात जनजातीय बहुल ब्लाकों में लागू की जा रही है।

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa çeq[k xfrfof/k;k

परियोजना का एक वर्ष पूरा हो चुका है और इस एक साल में मिलेजुले परिणाम सामने आये हैं। लगभग 70 सामुदायिक संदर्भ व्यक्तियों को परियोजना से जोड़ा जा चुका है व अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उन्हें आधारभूत प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। पहले वर्ष की योजना अनुसार आधारभूत सर्वेक्षण और आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया गया है। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त परिणामों को सम्बंधित ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत जोड़ा भी जा चुका है। परियोजना के तहत चिन्हित सभी सात स्थानों पर 340 ग्राम स्तरीय स्थानीय संगठनों का गठन हो चुका है। इस प्रक्रिया में ग्राम बैठकों, कमेटियों का निर्माण, नियमों को बनाना, रिकॉर्ड संधारित करना, गांवों को योजना निर्माण हेतु आवश्यक नक्शे और जानकारी उपलब्ध कराना इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित किया गया। सहभागी विधाओं का प्रयोग करते हुए 242 गांवों में भावी योजना (पर्सपेक्टिव प्लान) निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। समावेशित तरीके को अपनाते हुए मनरेगा के तहत वार्षिक योजना व श्रमिक बजट को तैयार करने के लिए सघन सहभागी नियोजन अभ्यास (आइपीपीई II) की प्रक्रिया क्रियान्वित करने के लिए सहजीकृत किया गया। सभी निर्मित योजनाओं की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

जंगल और सामुदायिक/पंचायती सामलात जमीन के सुरक्षित पट्टेदारी के लिए 4584 हेक्टेयर जंगल और सामुदायिक/पंचायती जमीन की नपाई का कार्य हो चुका है और 440 हेक्टेयर जमीन पर पट्टेदारी समझौता किया जा चुका है। 13,000 से भी ज्यादा परिवारों को फार्म और गैर–फार्म आधारित आजीविका गतिविधियों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जोड़ा जा चुका है। कृषि हस्तक्षेपों के तहत स्थानीय कृषि विशेषज्ञों के साथ परामर्श से 4500 से भी ज्यादा किसानों को उन्नत किस्म के बीजों के साथ खेती करने, बीज उपचार और अंकुरण परीक्षण, पंक्तिबद्ध बुआई आदि के बारे में सहयोग प्रदान किया गया। साथ ही कुछ क्षेत्रों में रसोई वाटिका, और श्री (एसआरआई) पद्धति से खेती के तरीकों को भी प्रोत्साहित किया गया। समुदाय के सदस्यों को स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते हुए जैविक खाद और कीटनाशक उत्पादों को बनाने के लिए उन्मुख किया गया व इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि धीरे–धीरे किस तरह गैर–रासायनिक कीटनाशक प्रबंधन आधारित कृषि को अपनाया जा सके।

परियोजना के तहत इस इस वर्ष के दौरान 758 लाख रु विशेषकर मनरेगा, कृषि कार्यक्रमों व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिये जुटाये जा सके हैं। एफइएस गांवों, पंचायतों और ब्लाक प्रशासन को कम्पोजिट लैंड रेस्टोरेशन असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट टूल के माध्यम से नियोजन करने में भी सहयोग प्रदान कर रहा है।

पल्ली सभा बैठक, ब्राह्मनिया गाँव, बटा गाँव पंचायत, कंक दहाड़, धेनकनल, ओडिसा
फोटो श्रेयः एफईएस

बीज उपचार कार्यक्रम, कोई गाँव, कंक दहाड़ ब्लॉक, धेनकनल, ओडिसा
फोटो श्रेयः एफईएस

dsl v/;;u

tSfod [ksrh% lrr –f"k gsrq ,d fodYi

34 वर्षीय त्रिनाथ मसदी मुलासंकर गाँव के रहने वाले हैं जो कि कोरापुट के पोतंगी खंड के पुकाली ग्राम पंचायत के अधीन है। वे अपने गाँव के एक समृद्ध किसान है व वे खेती में वैज्ञानिक व्यवहारों को अपनाये जाने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अपने अच्छे–खासे अनुभवों के कारण व मुलासंकर वन सुरक्षा समिति, जो कि कोरापुट की आदर्श वन सुरक्षा समिति मानी जाती है, के प्रेरक के रूप में वर्ष 2015 में सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति के रूप में परियोजना से जुड़े। पिछले कुछ वर्षों में, वन सुरक्षा समिति के सक्रिय सदस्य होने के नाते, उन्होने वन विभाग व कृषि विभाग से वन सम्बन्धी व कृषि विस्तार व्यवहारों पर भी प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है।

मुलासंकर गाँव के लोग ज्यादातर सब्जी उत्पादन से जुड़े हुए है। यह गाँव जिले की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कुंदुली से ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए, मुलासंकर गाँव के लोगों के लिए सब्जी उत्पादन साल भर चलने वाली गतिविधि है। सब्जी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोग खेतों में अधिक फसल उत्पादन देने वाले बीजों व अजैविक खाद का प्रयोग करते हैं। लोगों में इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि अजैविक खाद का प्रयोग करने से मिट्टी को कितना नुकसान पहुंचता है।

त्रिनाथ ने अजैविक खाद का प्रयोग एवं पैदावार बढ़ाने वाली मानसिकता को छोड़ते हुए, अन्य किसानों के विपरीत गोबर खाद और जैविक उर्वरकों के प्रयोग के साथ प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपनाया। त्रिनाथ ने एफइएस के जैविक खेती हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया जिसमें जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशक बनाने की विधि का प्रदर्शन किया गया था। प्रशिक्षण के बाद त्रिनाथ ने प्राप्त जानकारी को अपनी खेती में अपनाया। उसने स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते हुए जैविक उर्वरकों को तैयार किया तथा अपने आलू के खेत में उसका प्रयोग किया। पौध अच्छे से और स्वस्थ रूप से बढ़ी। हालाँकि, कुछ दिनों बाद त्रिनाथ ने देखा कि आलू के पौधों की पत्तियाँ मुड़ रही हैं, व कुछ पत्तियों में गलने व झुलसने के लक्षण पैदा हो रहे हैं। त्रिनाथ ने प्रशिक्षण में बताये तरीके के अनुसार जैविक कीटनाशक भी तैयार किया तथा आलू की फसल पर प्रयोग किया। इसी तरह के लक्षण अन्य किसानों की आलू की फसल में भी दिखाई दे रहे थे जिसके लिए लोग अजैविक कीटनाशक व फफून्द नाशक प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जो उपचार त्रिनाथ ने तैयार किया उसने रोगों के लक्षणों को समाप्त करने में अन्य किसानों द्वारा प्रयोग किये जा रहे अजैविक पदार्थों की तुलना में जबरदस्त परिणाम दिए।

त्रिनाथ 100 किलो बीजों से 0.3 एकड़ जमीन पर आलू की खेती करते थे। पिछले जाड़ों में उन्होंने 1000 किलो की पैदावार ली थी। जबकि, उतनी ही जमीन पर और उतने ही बीजों के साथ अजैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए अन्य किसानों ने 700–800 किलो उपज प्राप्त की। त्रिनाथ को पैदावार में अच्छे–खासे अन्तर के साथ बढ़ोत्तरी हुई। त्रिनाथ इस आधार पर अंतर को साबित कर सके व फलस्वरूप अन्य किसानों ने भी उनका अनुसरण आरम्भ कर दिया। त्रिनाथ के अनुसार, "मैं मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था और इसीलिए अजैविक उर्वरक का प्रयोग करना बंद किया, जोकि मैं जान चुका था कि इनसे मिट्टी को नुकसान पहुँच रहा है। मैंने जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जिससे न केवल मुझे ज्यादा उपज मिली, बल्कि अपने खेत की मिट्टी को भी खराब होने से बचा लिया।"

स्रोतः एफइएस परियोजना वार्षिक रिपोर्ट 2015–16

yfiu áeu oyQs;j ,M fjlp QkmMs'ku

लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन (एलएचडब्लूआरएफ), लूपिन दवा निर्माता कम्पनी द्वारा प्रोत्साहित एक सिविल सोसायटी संगठन है, जिसका उद्देश्य समाज के अत्यंत असहाय और वंचित वर्ग के लिए सतत आजीविका हेतु कार्य करना व सम्पूर्ण ग्रामीण विकास का कार्य करना है। लूपिन फाउंडेशन ने वर्ष 1988 से ऐसे अनेक कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है जिनका उद्देश्य आजीविका को बढ़ाना व ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को उठाना था। संस्था का मुख्य लक्ष्य भूमि आधारित कार्यक्रमों, पशुधन विकास, उद्यम विकास और अन्य आजीविका गतिविधियों के जरिये ग्रामीण परिवारों की आजीविका को बढ़ाना है।

लूपिन अनेक प्रकार के हस्तक्षेपों को क्रियान्वित करने में संलग्न है जिनका उदेश्य क्षेत्र के निम्न आय वर्ग के समूहों में जागरूकता व आजीविका को बढ़ाना और उनका कल्याण करना है। लूपिन को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अनेक बार विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे श्री नरसिम्हा राव, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के हाथों फिक्की अवार्ड, और श्री के.आर.नारायणन, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा फिक्की–एसइडीएफ पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। संस्था को इसके अतिरिक्त भी अन्य कई पुरस्कार जैसे, राजस्थान के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के हाथों क्रमशः भामाशाह पुरस्कार, व मेरिट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

ifj;kstuk dk laf{kIr fooj.k

ifj;kstuk dk uke% *समावेशन के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व आजीविका प्रोत्साहन (नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रमोशन थ्रू कन्वर्जेन्स)*

8 सितम्बर 2015 को आयोजित परियोजना अनुदानित संस्था चयन समिति (PGSC)की दूसरी बैठक में इस परियोजना को स्वीकृत किया गया था। महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश– 2 राज्यों के 183 गांवों के 12,000 परिवारों को लाभान्वित करने हेतु 2.46 करोड़ रु के अनुदान को स्वीकृत किया गया। इस परियोजना के द्वारा संस्था, चयनित भोगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों में सुधार करने हेतु व क्षेत्र के अत्यंत पिछड़े परिवारों में आजीविका प्रोत्साहन हेतु विकास सम्बन्धी हस्तक्षेपों को क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखती है। ऐसा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ समावेशन किया जायेगा। परियोजना में आदिवासी बाहुल्य संकुलों की पहचान करते हुए यह निर्धारित किया गया कि विकास हस्तक्षेपों को महाराष्ट्र के धड़गांव, अकलकुआ, नवापुर, जुन्नार, तलोड़ा, सकारी, और शिरपुर विकास खण्डों के, और मध्यप्रदेश के सिलवानी विकास खंड के आदिवासी इलाकों के चयनित संकुलों में क्रियान्वित किया जायेगा। इन संकुलों में लूपिन द्वारा पहले से ही विभिन्न विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता रहा है। जुन्नार के आदिवासी इलाकों में चलाये गए विकास कार्यक्रमों में प्रमुखतः जलग्रहण विकास और वाडी परियोजना को लागू किया गया। धूले में लूपिन द्वारा वर्ष 2010 में जिले से गरीबी मिटाने के उद्देश्य से 'चेंज इंडिया कार्यक्रम' आरंभ किया गया है। सकारी और शिरपुर, धूले जिले के महत्वपूर्ण आदिवासी खण्ड हैं जहाँ संस्था का 'चेंज इंडिया कार्यक्रम' क्रियान्वित किया जा रहा है।बीआरएलएफ के सहयोग से 'चेंज इंडिया कार्यक्रम' को मजबूत सहारा और गति मिलेगी।

बीआरएलएफ परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रम
फोटो श्रेयः लूपिन

बीआरएलएफ परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रम
फोटो श्रेयः लूपिन

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa çeq[k xfrfof/k;k

लूपिन ने इस वर्ष 2614 परिवारों के साथ कार्य प्रारंभ किया और लगभग 2535 जनजातीय परिवारों को परियोजना के तहत जोड़ा जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में 741 परिवारों को शामिल करते हुए 64 स्वयं सहायता समूह गठित किये जा चुके हैं। इन समूहों की कुल बचत 24.80 लाख रु है जिसके विरुद्ध बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं से 37 लाख रु की राशि जुटाई जा सकी है। लूपिन ने इस वर्ष 40 अन्य सामुदायिक संगठनों व 5 किसान उत्पादक संघों को भी प्रोत्साहित किया है। उन्नत कृषि के तहत 500 परिवारों तथा बागवानी के तहत 2417 परिवारों को शामिल किया गया है। 1500 परिवारों द्वारा पंक्तिबद्ध बुआई विधा को अपनाया गया व 215 परिवारों द्वारा बेहतर कृषि व्यवहारों को अपनाते हुए दालों, तिलहन, और बाजरे की खेती की गई। 205 परिवारों को जलग्रहण संरचनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया, व 5133 हेक्टेयर जमीन पर विभिन्न भूमि विकास कार्यक्रमों के जरिये सुधार कार्य किया गया। क्षमतावर्धन के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 788 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें से 454 पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य शामिल थे।

ifj l?k ifj;kstuk ijfgr lekt lsoh lLFkku ¼eq[; Hkkxhnkj½

यह परिसंघ (कंसोर्टियम) परियोजना परहित समाज सेवी संस्थान द्वारा तीन अन्य साझेदार संगठनों– कल्पतरु विकास समिति, निस्वार्थ सार्थक प्रयास एवं परिवार कल्याण समिति, और धरती ग्रामोत्थान एवं सहभागी ग्रामीण विकास समिति के साथ भागीदारी में क्रियान्वित की जा रही है। ये समस्त सिविल सोसायटी संगठन मध्यप्रदेश के टीकमगढ़, गुना, मुरेना, श्योपुर, और शिवपुरी जिले में वर्ष 1996 से कार्यरत हैं। ये संगठन मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पंचायती राज प्रतिनिधियों और अन्य समुदाय आधारित संगठनों के क्षमता–निर्माण, जल–स्वच्छता और साफ–सफाई, महिला सशक्तिकरण व बच्चों की शिक्षा आदि मुद्दों पर कार्य करते आ रहे हैं।

ifj;kstuk dk lf{kIr fooj.k

ifj;kstuk dk uke% *ग्वालियर–चम्बल क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से सहरिया जनजाति में खाद्य सुरक्षा और सतत आजीविका को सुनिश्चित करना। (एन्श्योरिंग फूड सिक्यूरिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अमंग सहरिया ट्राइब्स थ्रू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इन ग्वालियर–चम्बल रीजन)*

इस परियोजना के तहत चार संगठन मिलकर शत–प्रतिशत सहरिया जनजाति के साथ कार्य कर रहे हैं। सहरिया जनजाति को कुपोषण के चलते इनकी संख्या में कमी आने, व्याप्त गरीबी, और प्रभावी सामाजिक समूहों द्वारा इनके शोषण के कारण, सरकार द्वारा इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह घोषित किया हुआ है। परियोजना का निर्माण इस समुदाय के कुछ विशेष मुद्दों पर कार्य करने की दृष्टि से किया गया है। परियोजना को मध्यप्रदेश के चार जिलों – शिवपुरी, श्योपुर, गुना, और मुरेना के चार विकास खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत 99 ग्राम पंचायतों के 215 गाँव के 21136 परिवारों को शामिल करने की योजना है। परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- सतत आजीविका के विभिन्न विकल्पों के निर्माण के माध्यम से सहरिया समुदाय का सशक्तिकरण करना
- लघु वन उपज इकट्ठा करने की विधियों व लघु वन उपज हेतु बाजार के साथ जुड़ाव को बढ़ाना
- लक्षित ग्रामों में 60 प्रतिशत महिलाओं को जोड़ते हुए स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से सहरिया महिलाओं का सशक्तिकरण करना
- पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित संगठनों को मजबूती व सुगमता प्रदान करना ताकि वे सरकारी कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को उपलब्ध करा सकें
- विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य बेहतर समन्वयन को सुनिश्चित करना

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa çeq[k xfrfof/k;ka

परियोजना क्षेत्र के नए होने के कारण कार्यकारी संगठनों द्वारा इस वर्ष मुख्यतः समुदाय के साथ संपर्क निर्माण और नियोजन हेतु विस्तृत अभ्यास करने में समय दिया गया। इस वित्तीय वर्ष में कार्यकारी संगठनों द्वारा 3.37 करोड़ रु जुटाए गए तथा सह–वित्त व्यवस्था के तहत 28.66 लाख रु का बंदोबस्त किया जा चुका है। परहित और इसकी तीन अन्य सहयोगी संस्थाओं ने मिल कर इस वित्तीय वर्ष में 22 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। कुल सदस्य संख्या 119 है जिनके द्वारा 1.56 लाख की बचत की गई। इसके साथ–साथ किसान क्लब, किसान मजदूर संघ, और लघु वन उपज समूह के रूप में 553 समुदाय आधारित संगठनों को भी बढ़ावा दिया गया है। इन समुदाय आधारित संगठनों में सदस्य के तौर पर शत–प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही शामिल हैं। 741 पंचायती राज प्रतिनिधियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशों के हिसाब से प्रशिक्षित किया जा चुका है। अन्य गतिविधियाँ व कार्यक्रम पहुंच विवरण निम्नवत है:

çeq[k xfrfof/k;ka	dqy
विविध कृषि गतिविधियों में शामिल किये गए कुल परिवार	275
वन अधिकार अधिनियम के तहत लाभान्वित कुल परिवार	112
जल संरक्षण के तहत लाभान्वित कुल परिवार	772
भूमि विकास प्रयासों के तहत शामिल कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	136
प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत जोड़े गए कुल परिवार	2526
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जोड़े गए कुल परिवार	2771
प्रधानमंत्री फ्लेगशिप योजनाओं के तहत जोड़े गए कुल जनजातीय परिवार	6925

नाडेप कम्पोस्ट पिट प्रदर्शन, बिलोड़ा गाँव, गुना ब्लॉक, गुना
फोटो श्रेयः परहित

अनाज बैंक गठन, चेटीखेड़ा गाँव, विजयापुर ब्लॉक, जिला श्योपुर
फोटो श्रेयः परहित

dsl v/;;u

ckxokuh foHkkx ds lg;kx ls lgfj;k lenk; }kjk jlkbZ okfVdk cukuk

कुल संभागी– 500, कुल गाँव– 16, कुल पंचायतें– 2

28 दिसम्बर 2015 को परहित संस्थान के परियोजना प्रबंधक श्री मनोज सिंह भदोरिया बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री पह्ल्बन सिंह लोधी से मिले। उनके मध्य बातचीत में प्रबंधक महोदय द्वारा संस्था के कार्यों के बारे में तथा बीआरएलएफ के साथ साझेदारी में क्रियान्वित की जा रही परियोजना के बारे में बताया। श्री लोधी संस्था के विजन और कार्यों के बारे में जानकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सहरिया समुदाय के लिए विभाग द्वारा आयोजित योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सहरिया परिवारों के लिए रसोई वाटिका योजना के तहत बीज वितरित किये जाते हैं ताकि वे अपने घर में ही सब्जी इत्यादि उगा सकें व उसका सेवन करें और स्वस्थ रहें। जो भी व्यक्ति रसोई वाटिका हेतु इच्छुक होता है उसे बीज प्रदान कर दिए जाते हैं। अगले दिन सभी स्टाफ सदस्यों के साथ यह तय किया गया कि विभिन्न गाँव में भ्रमण किया जायेगा व रसोई वाटिका के लिए इच्छुक व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी।

बागवानी विभाग द्वारा रसोई वाटिका के लिए सात प्रकार के बीज जैसे; कद्दू, लौकी, तुरई, पालक, भिंडी, और बैंगन के बीज उपलब्ध कराये गए। इसके बाद रसोई वाटिका निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इस अभियान में परहित कार्मिकों द्वारा 20 गावों में घूम कर 526 लोगों की सूची तैयार की गई जो कि रसोई वाटिका निर्माण के इच्छुक थे। सूची को बागवानी विभाग को सौंपा गया जिसके आधार पर वहां से 500 लोगों के लिए बीजों को उपलब्ध कराया गया। इसके बाद तकनीकि सहयोग प्रदान करने हेतु लोगों के साथ बैठकें करना शुरू किया गया। बैठकों में गांववालों ने अपने प्रश्नों और समस्याओं से अवगत कराया जैसे; हम चरम स्तर पर मौसम की समस्याएँ झेल रहे हैं, हमारे पास रसोई वाटिका के लिए पानी नहीं है, हमारे पास पीने योग्य पानी नहीं है, हमारे पास रसोई वाटिका हेतु स्थान नहीं है,इत्यादि। लगातार तीन–चार बैठकों में इन समस्याओं के विविध समाधान गांव वालों को प्रदान किये गए। इन सभी प्रक्रियाओं के बीच समुदाय ने रसोई वाटिका निर्माण की प्रक्रिया को भी समझा व उसके महत्त्व को भी जाना। सबको ऐसा स्थान चयन करने के लिए कहा गया जो कि उनके घर के समीप हो व जहाँ तक घर में इस्तेमाल किया हुआ पानी पहुँचाया जा सके।

इसके बाद अनेक गाँव में बीजों को वितरित किया गया। सूखे की समस्या के बावजूद, कुछ गावों में लोगों ने कठिन परिश्रम किया व अपने घरों में रसोई वाटिका तैयार की। दो महीने की कड़ी मेहनत के बाद सुखद परिणाम प्राप्त हुए– रसोई वाटिका लहलहाने लगी । 80 परिवारों ने इस गतिविधि को पूर्ण किया जबकि शेष परिवार आनेवाले बारिश के मौसम में इसे तैयार करेंगें।

रसोई वाटिका निर्माण करने वाले परिवार प्राप्त उपज की हरी सब्जियों को अपने दैनिक भोजन में काम में ले रहे हैं जिससे उनका पोषण स्तर सुधर रहा है। आज सहरिया समुदाय, विशेषकर महिलाओं व बच्चों, के लिए हरी सब्जियां महत्वपूर्ण हो गई हैं।

स्रोतः परहित परियोजना वार्षिक रिपोर्ट 2015–16

çnku

प्रदान की स्थापना वर्ष 1983 में दिल्ली में अनुभवी एंव प्रोफेशनल व्यक्तियों के एक समूह द्वारा की गई थी। प्रदान की स्थापना के पीछे इन अनुभवी व्यक्तियों की सोच यही थी कि ज्ञान संसाधन युक्त व्यक्तियों और हाशिये पर खड़े लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों को एक जुट हो कर जमीनी स्तर पर समुदायों के साथ काम करना चाहिए ताकि वे गरीबी से बाहर आ सकें। प्रदान में अनुभवी और कुशल व्यक्तियों की 57 टीमे हैं जो कि देश के 7 गरीबतम राज्यों के 5,766 गांवों के 374,008 परिवारों की बेहतरी के लिए सक्रिय हैं। प्रदान के कार्यक्षेत्र में शामिल परिवारों में अधिकांश परिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं।

ifj;kstuk dk laf{kIr fooj.k

ifj;kstuk dk uke% *महिला समूहों के माध्यम से मध्य भारतीय आदिवासी क्षेत्रों में वृहद् स्तर पर ग्रामीण रूपांतरण को उत्प्रेरित करना।(कैटेलायसिंग लार्ज स्केल रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इन सेंट्रल इंडियन आदिवासी रीजन्स थ्रू वीमेन कलेक्टिवस)*

प्रदान की योजना तीन राज्यों–झारखण्ड, प.बंगाल, और राजस्थान के 6 जिलों के 15 विकास खण्डों में सघन रूप से कार्य करने की है। संस्था ने परियोजना क्षेत्र के लिए गहन दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, वृहद् स्तर पर ग्रामीण महिलाओं के साथ सामाजिक जुड़ाव, वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन, वे सभी मुद्दे जिनको स्थानीय शासन में सुधार से सम्बल मिले, बाजार के साथ जुड़ाव आदि पक्ष और व्यवस्थित रणनीति सम्मिलित हैं। परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- स्थानीय प्रशासन में सुधार करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के साथ सामुदायिक संगठनों की रणनीतिक साझेदारी के विचार के साथ महिलाओं को संगठित कर समूह तैयार करना
- आजीविका के टिकाऊ और वृहद् विकल्पों को प्रस्तुत करना
- क्षेत्र में मौजूद संस्थाओं के नेटवर्क के जरिये अन्य सिविल सोसायटी संगठनों के साथ भागीदारी करना

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa çeq[k xfrfof/k;k

प्रदान द्वारा चालू वर्ष में सघन रणनीति वाले परियोजना विकास खण्डों में कार्य शुरू कर दिया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है:

lkekftd tqMko dk çfjr djuk ¼lkekftd ekfcykbZtsku½

प.बंगाल, झारखण्ड और राजस्थान राज्यों के चयनित विकास खण्डों में मार्च 2015 में 51,585 परिवारों को शामिल किया गया था। प्रदान ने 69950 परिवारों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2015–16 के लिए 18365 परिवारों को और शामिल करने का लक्ष्य रखा था। रिपोर्टिंग अवधि में इस निर्धारित लक्ष्य के विपरीत प्रदान 72,293 परिवारों तक अपनी पहुँच बनाने में सफल हो सका, जिसमे से 46,995 परिवार (65% से भी अधिक परिवार) अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं। क्षेत्र में कुल 5941 स्वयं सहायता समूह हैं जो कि 398 समुदाय आधारित संगठनों से जुड़े हुए हैं जो कि विशेषकर ग्राम/संकुल स्तरीय संगठनों और खंड स्तरीय संघ हैं। वर्ष 2015–16 में 1776 नए स्वयं सहायता समूहों को प्रोन्नत करते हुए 20708 परिवारों को जोड़ा जा सका है।

cpr vkj yu &nu xfrfof/k;ka dh fLFkfr

सभी 5941 समूहों में सदस्यों द्वारा समूह की साप्ताहिक बैठक करने, नियमित बचत, सदस्यों में लोन देने, व पदाधिकारियों द्वारा बैंक के बचत खाते का संधारण आदि कार्य नियमानुसार किये जाते हैं। लगभग 28 प्रतिशत समूह बैंकों के साथ

लेन–देन कर रहे हैं, व करीब 40 प्रतिशत समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रिवोल्विंग कैपिटल प्राप्त हुआ है। समूहों की कुल बचत 694 लाख रु है जिसके विरुद्ध उन्होंने प्रमुख बैंकों से लोन के रूप में व आजीविका मिशन से रिवोल्विंग कैपिटल के तौर पर लगभग 1227 लाख रु की राशि जुटाई है। कुल लोन राशि में से लगभग 38 प्रतिशत राशि आजीविका हेतु प्रयोग के लिए दर्ज की गई है।

vkthfodk gLr{ksi

आजीविका हेतु कुल 48965 लक्षित परिवारों में से 41317 परिवारों को परियोजना द्वारा जोड़ा जा सका है। फार्म आधारित गतिविधियों के लिए कुल 38000 लक्षित परिवारों में से 31705 परिवारों को शामिल किया जा सका है।

Qke vk/kkfjr gLr{ksi

प.बंगाल और झारखण्ड में 13,300 परिवारों द्वारा श्री पद्धति को अपनाते हुए धान की खेती की गई। 24,000 परिवारों द्वारा 1400 हेक्टेयर भूमि पर सब्जियों की पैदावार की गई। साथ ही 14,700 परिवारों ने मौसमी उतार–चढ़ाव के बावजूद दालों और तिलहन की पैदावार की। लगभग 12000 परिवारों को पिछले वर्ष में फार्म आधारित गतिविधियों के माध्यम से कुल आय में 20,000 रु तक की बढ़ोत्तरी हुई।

i'kq/ku vk/kkfjr gLr{ksi

इसमें मुख्यतः बकरी पालन, गहन विधि से कुक्कुट शेड में मुर्गी पालन, और घरेलू स्तर पर आंगन में देसी मुर्गी पालन इत्यादि गतिविधियाँ शामिल हैं। 1617 परिवारों द्वारा बकरी पालन का कार्य किया गया। इन हस्तक्षेपों के माध्यम से परिवारों ने 10000–15000 रु तक कमाए है। दुमका और पुरुलिया में गहन विधि से मुर्गी पालन का कार्य 2 उत्पादक समूहों के रूप में किया गया जिससे 738 महिलाओं को सहयोग प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष में उन्होंने 15,000–32,000 रु तक की कमाई की।

Vlj j'keh dhMk ikyu

प.बंगाल और झारखण्ड में प्रदान द्वारा जंगलों पर आश्रित समुदायों के मध्य टसर रेशमी कीड़ा पालन गतिविधि को प्रोत्साहित करने हेतु महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना से सहयोग प्रदत्त एक बहु–राज्यीय परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। कुल 3500 किसानों द्वारा इस आजीविका गतिविधि को अपनाया गया है व एकल फसल चक्र में उनको 15000 रु से अधिक की आय प्राप्त हुई है।

lenk; vk/kkfjr lsok çnkrkvksa dk leg dk c<+kuk

वृहद् स्तर पर सामाजिक जुड़ाव को प्रेरित करने, आजीविका अवसरों व विकल्पों को पैदा करने की दृष्टि से प्रदान द्वारा 800 समुदाय स्थित सेवा प्रदाताओं के साथ कार्य किया जा रहा है, जिन्होंने प्रशिक्षण देकर, तकनीकि सहयोग प्रदान कर, और उत्पादक–संकुलों के लिए बाजार जुड़ाव को सतत बनाने की दिशा में सहजीकृत करते हुए लगभग 72,000 परिवारों तक परियोजना की पहुंच स्थापित की है।

lg&foÙk ,oa fuf/k tqVkuk

परियोजना के प्रयासों को पूरकता देने हेतु प्रदान ने समुदाय संगठनों (स्वयं सहायता समूहों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं) और स्वयं सहायता समूहों के खंड स्तरीय संघों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकों, स्थानीय पंचायतों, और सरकारी विभागों के माध्यम से कुल 2077 लाख रु की राशि जुटाई गई। इस वित्त सहयोग से उत्पादक संघों के लिए उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश करके, कार्यकारी पूँजी बना कर, और प्रारंभिक पूँजी प्रदान करके आजीविका हस्तक्षेपों को और गहनता से लागू करने में मदद मिली।

d:l v/;;u

बाघाकोल गाँव झारखंड के गोड्डा जिले के पोरईयाहाट ब्लॉक का एक गांव है। यह गाँव राज्य का सबसे छोटा राजस्व गांव है जहाँ कुल 35 परिवार हैं; जिनमें से (2011 की जनगणना के अनुसार) 18 परिवार अनुसूचित जनजाति के व 2 परिवार 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह' के हैं तथा शेष परिवार अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बंधित है। प्रदान ने वर्ष 2006 में इन गांव में काम करना शुरू किया था। वर्ष 2014 में प्रदान ने झारखंड राज्य आजीविका प्रमोशन सोसायटी (JSLPS) के साथ साझेदारी स्थापित की।

अब तक के प्रयासों से महिलाओं को मुख्य बैंकों से लोन लेने में मदद मिली लेकिन उनको बेहद गरीबी के हालात से निकलने के लिए ये प्रयास पर्याप्त सिद्ध नहीं हो सके थे। गांव वालों के लिए खेती आजीविका का प्रमुख स्रोत थी, और बाघाकोल में खेती पूरी तरह से वर्षा पर आधारित थी। खरीफ की मुख्य फसल धान मानसून की अस्थिरता और अनिश्चितता से प्रभावित होती थी और अधिकतर कम पैदावार प्राप्त होती थी। इस तरह, प्रत्येक परिवार के लिए औसतन 6 महीने के लिए ही भोजन सुरक्षा जैसे–तैसे हो पाती थी। साथ ही, दूरस्थ गाँव होने से ग्रामवासियों की सार्वजानिक वितरण प्रणाली तक पहुँच भी बहुत ही सीमित थी।

प्रदान ने बाघाकोल गाँव के स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पोरईयाहाट के अन्य गाँव में धान की खेती करने के लिए श्री पद्धति का प्रदर्शन करने के लिए भ्रमण कराया और 2014 में छह परिवारों को 2.5 हेक्टेयर भूमि पर श्री विधि से धान की खेती करने के लिए तैयार किया। इन परिवारों में महिला सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण थी जिन्होंने परिवार के पुरुष सदस्यों को श्री विधि काम में लेने के लिए प्रभावित किया। किसानों को श्री विधि में पारंगत अन्य गाँव के किसान के माध्यम से सहयोग उपलब्ध कराया गया। पहले साल में ही सभी छह किसानों ने धान की पैदावार में महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त की। जो पैदावार पहले औसतन 2 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से भी कम रहती थी वो बढ़ कर 5 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से भी ज्यादा पहुँच गई। इस विधि को काम में लेने वाले परिवारों में न केवल वर्ष भर के लिए भोजन सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी, बल्कि पैदावार बेच कर वे 5000–8000 रु नगद आय भी प्राप्त कर सके। यह परिवर्तन स्पष्टता के साथ नजर आया क्योंकि सभी छह सहभागी परिवार गाँव के गरीबतम परिवारों में से थे।

वर्ष 2015 बाघाकोल के लिए एक खास साल था क्योंकि सभी 35 परिवारों ने श्री विधि को अपनाते हुए 19 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की। गांव वालों ने पहले से योजना बनाना शुरू कर दिया था। परिवार की महिलाओं द्वारा श्री विधि के लिए आवश्यक सामग्री के बंदोबस्त के लिए पोरईयाहाट और गोड्डा की खेती की दुकानों में जाना शुरू कर दिया गया था। निर्धारित दिशानिर्देशों और अनुशंसित व्यवहारों के अनुसार धान की नर्सरी और भूमि तैयार करना शुरू कर दिया गया। उस साल पोरईयाहट में मानसून जल्दी आया था। और अचानक से धान की पौध की रोपाई के लिए अफरा–तफरी मच गई, जिससे श्रमिकों की कमी हो गई। ऐसे मौके पर स्वयं सहायता समूह द्वारा बेहतरीन समझदारी का प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक परिवार को गाँव में मौजूद श्रम–बल का विवेकपूर्ण वितरण के लिए समझाते हुए तैयार किया गया। समूह की महिलाओं ने खंड स्तरीय कृषि प्रोद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के अधिकारियों से भेंट की और कोनो–वीडर की मांग की। अगस्त माह के खत्म होते होते सभी खेत धान की घनी हरी फसल की मोटी परत से ढ़क चुके थे।

सितम्बर में मानसून में अचानक से कमी आ गई और किसान अपनी फसल को लेकर चिंतित हो गए थे। परंतु, उन्होंने पाया कि उनकी फसल इस स्थिति में भी बेहतर हो रही है जबकि जिन किसानों द्वारा श्री विधि को नहीं अपनाया गया था उनकी फसल पीली पड़ने लगी थी। तहसील में सूखे की घोषणा के बावजूद, बाघाकोल के किसान सामान्य से दुगनी फसल लेने में सफल हो सके। श्री विधि द्वारा 19 हेक्टेयर खेत से, अनुमानतः 88 मैट्रिक टन धान की पैदावार दर्ज की गई। ये महिलाओं के संगठित प्रयास का ही कमाल था। बाघाकोल की महिलाओं द्वारा पड़ोसी गाँव के स्वयं सहायता समूहों को अपने खेत देखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हाल ही में आयोजित खंड स्तरीय अधिवेशन में भी उन्होंने बड़े गर्व के साथ अपने अनुभव को सबके साथ बांटा। बाघाकोल के परिवारों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चुरकी टुडू का कहना है कि, "घर में साल भर का अनाज हम सबको बहुत हिम्मत देता है"।

स्रोतः प्रदान परियोजना वार्षिक रिपोर्ट 2015–16

çlkjh

प्रसारी, जिसका वैधानिक नाम राजारहट प्रसारी है, संस्था पंजीकरण अधिनियम (प.बंगाल अधिनियम XXVI 1961) के तहत 19 अप्रैल 2007 में पंजीकृत एक सिविल सोसायटी संगठन है। इसका संचालन अनुभवी व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण परिवारों के साथ और उनकी खुशहाली के लिए किया जाता है। संस्था प.बंगाल के दो जिलों उत्तरी 24 परगना और जलपाईगुड़ी के 7000 ग्रामीण परिवारों के साथ एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विधा के माध्यम से कार्यरत है। प्रसारी का मानना है कि किसी भी कार्यक्रम के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी आवश्यक है और उसके लिए समझौता नहीं किया जा सकता, इसीलिए प्रसारी इन संस्थाओं के साथ घनिष्ठ भागीदारी के साथ कार्य करने पर विशेष बल देता है। प्रसारी राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर श्री विधि के पोषण तत्व, खर–पतवार और जल प्रबंधन पक्षों पर शोध में भी संलग्न है। 'अत्यंत गरीबी में रह रहे परिवारों के लिए सतत आजीविका उन्नयन' प्रसारी का एक नवाचार कार्यक्रम है।

ifj;kstuk dk lf{kIr fooj.k

ifj;kstuk dk uke% *पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के चार और उत्तरी 24 परगना जिले के एक विकास खंड के परिवारों में सतत आजीविका व खुशहाली को प्रेरित करना। (प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुडस एंड वेलबीइंग ऑफ हाउसहोल्ड्स इन फोर ब्लॉक्स ऑफ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट एंड वन ब्लाक इन नार्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल)*

परियोजना का लक्ष्य पारदर्शी और प्रभावी स्थानीय शासन व्यवस्था हेतु सुगमता प्रदान करना है ताकि गरिमापूर्ण सतत आजीविका को प्रेरित किया जा सके और असहायता को कम किया जा सके। परियोजना का उद्देश्य प.बंगाल के दो जिलों उत्तरी 24 परगना और जलपाईगुड़ी के 5 विकास खण्डों के 11,000 परिवारों की प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों तक पहुँच को सुनिश्चित करना, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करना, संसाधनों तक उनकी पहुँच और नियंत्रण को बेहतर करना, और खाद्य व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa çeq[k xfrfof/k;k¡

परियोजना का प्रारंभ 1 नवम्बर 2015 को किया गया था। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, परियोजना के माध्यम से प्रसारी द्वारा 3 विकास खण्डों की 7 ग्राम पंचायतों में 60 गांवों के 5043 परिवारों तक पहुँच सुनिश्चित की जा सकी है। कुल लक्षित परिवारों के 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जनजाति समुदायों से हैं। 104 नए स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के साथ ही 1070 महिलाओं को समूहों के साथ जोड़ा जा चुका है। जलपाईगुड़ी जिले के कृषि विभाग के साथ सम्बद्धता में प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में मिट्टी के नमूने लेने के लिए ग्रामीण स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया गया और 384 परिवारों के खेत से मिट्टी के नमूने मृदा परीक्षण हेतु एकत्रित किये गए। इसी अवधि में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 84 खातों को खोला गया। इसके अतिरिक्त, खंड स्तरीय स्टेकहोल्डर्स हेतु संवेदनशीलता एवं आमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया जिसमें, खंड विकास अधिकारी, सरकारी विभाग जैसे; कृषि, पशुपालन, मनरेगा, बीएमएमयू–आनंदधारा, मतस्य पालन, बैंक आदि के प्रतिनिधि, और पंचायत समिति प्रधान व उनकी पूरी टीम, और स्वयं सहायता समूहों के संकुल स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। खंड स्तरीय आयोजन के पश्चात् ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत सदस्यों, स्टाफ, समूहों के संकुल और उप–संकुल स्तर प्रतिनिधियों, और समुदाय प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। 178 किसानों को केंचुवा–खाद बनाने के लिए प्रेरित किया गया व प्रशिक्षण भी दिया गया। कृषि विभाग से 39 केंचुवा–खाद इकाइयों हेतु 80,925 रु की धनराशि को जुटाया गया।

dsl v/;;u

ladyu dh lgHkkfxrk ls dspok&[kkn ¼oehZ dEiksLV½ gsrq çksRlkgu

प्रसारी पिछले कुछ वर्षों से किसानों को केंचुवा–खाद के प्रयोग हेतु प्रेरित करता आ रहा है। वर्तमान परियोजना के तहत प्रसारी टीम ने एसएचजी संकुलों के साथ मिलकर समूह सदस्यों के मध्य केंचुवा खाद को प्रेरित करने के लिए योजना तैयार की। अनेक प्रशिक्षणों और प्रदर्शनों के बाद ग्राम संदर्भ व्यक्तियों ने इच्छुक व्यक्तियों की पहचान और उनकी सूची तैयार करने का कार्य शुरू किया। प्रति परिवार 20 रु पंजीकरण शुल्क के रूप में संकुल द्वारा लिए गए। संकुल द्वारा एक सदस्य से ही केंचुवों की खरीद की गई जो कि पहले से ही केंचुवा खाद बनाने का कार्य कर रहे थे। इसमें से संकुल द्वारा नए सदस्यों को केंचुवों का वितरण किया व कुछ संकुल स्तर पर ही सेवा–शुल्क के तौर पर रख लिए गए। इस तरह, यद्यपि, थोड़ी ही सही, संकुल ने भी अपने स्तर पर आय–अर्जन करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद, केंचुवा–खाद का ये मॉडल बड़ा आकार लेने लगा। अब, इन ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में खेतिहर परिवार केंचुवा खाद तैयार करते हैं व उपयोग में लेते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ सदस्य जैसे कि, अन्नभासा–1 ग्राम पंचायत के इंदिरा गाँधी स्वयं सहायता समूह की सुमित्रा प्रधान ने पीछे तीन महीनों में संकुल सदस्यों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को केंचुवा बेचकर 10000 रु कमाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि, "दूसरे गांवों के कई अन्य किसान भी केंचुवा–खाद व केंचुवा लेने यहाँ आने लगे हैं, और यहाँ तक कि एक छोटे स्थानीय चाय बागान ने नियमित रूप से मुझसे केंचुवा और उसकी खाद आपूर्ति करने के लिए संपर्क किया है"। उसके जैसे वहां कई परिवार हैं जो न केवल अपने खेतों में केंचुवा –खाद का उपयोग कर रहे हैं, वरन उनको बेच कर आय–अर्जन भी कर रहे हैं।

स्रोतः प्रसारी परियोजना वार्षिक रिपोर्ट 2015–16

ग्राम उन्नयन समिति बैठक, ग्राम पंचायत जेलिया खली, समसद VI, उत्तरी 24 परगना
फोटो श्रेयः प्रसारी

सहभागी भूजल प्रबंधन कार्यक्रम नियोजन, संदेश खाली–II, उत्तरी 24 परगना
फोटो श्रेयः प्रसारी

Ik'ky ,tds'ku Q,j foeSl vos;jusl ¼lsok½

सेवा की स्थापना एक अ–राजनीतिक, गैर–सांप्रदायिक, गैर–धार्मिक, अ–लाभकारी, और सिविल सोसायटी संगठन के रूप में वर्ष 1991–92 में की गई थी। सेवा की गतिविधियाँ मुख्य रूप से झारसुगुडा और संभलपुर जिले व अन्य पड़ोसी जिलों के ग्रामीण इलाकों और अन्य हिस्सों में संचालित हैं। सेवा के मुख्य मुद्दे आजीविका, स्व–शासन, और विशेषकर ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं का उत्थान है। यह सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के लिए कार्यरत है।

ifj;kstuk dk lf{kIr fooj.k

ifj;kstuk dk uke% *एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोजेक्ट)*

परियोजना का उद्देश्य झारसुगुडा और संभलपुर जिले के चयनित ग्रामों में गरीबी को कम करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण परिवारों को सक्षम बनाया जायेगा जिससे वे वृहद् आर्थिकी के साथ एकीकृत करते हुए सतत आजीविका के अवसरों को प्राप्त कर सकें। परियोजना के कार्य का प्रभाव झारसुगुडा जिले के कोलाबीरा और लाइकेरा विकास खंड एवं संबलपुर जिले के कुचिंडा खंड के चयनित 106 गावों के 19,754 अत्यंत गरीब ग्रामीण परिवारों को प्रभावित करेगा। परियोजना के तहत बेहतर तकनीकों के माध्यम से परम्परागत खाद्य फसलों के उत्पादन और पशुधन को विकसित किया जायेगा जो कि अधिकतर परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है; मृदा और जल संसाधन संरक्षण; स्कूल से वंचित बेरोजगार युवाओं और गरीब परिवारों की कमजोर किशोरी बालिकाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण;संसाधनों की आपूर्ति और बाजार हेतु सहयोगी सेवाओं का निर्माण करना इत्यादि का कार्य किया जायेगा।

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa çeq[k xfrfof/k;ka

इस वित्तीय वर्ष में सेवा ने लक्षित लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों व संकुलों से जोड़ा। 370 नए सदस्यों को 32 समूहों में सदस्यता प्राप्त करायी गई। समूह प्रबंधन, सूक्ष्म उद्यमों को प्रेरित करना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से आय अर्जन गतिविधियों में जोड़ना इत्यादि विषयों पर समूहों के लिए अनेक क्षमतावर्धन कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और धात्री महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए 1585 महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पोषण प्रबंधन और रसोई वाटिका बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। 1274 किसानों ने रसोई वाटिका निर्माण और सब्जी उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया, 453 किसानों ने दलहन व तिलहन की पैदावार के लिए उन्नत व्यवहारों को अपनाना चालू किया, और अन्य 439 सदस्यों ने कृषि में बीज विस्थापन, बीज उपचार, जैविक उत्पादों का प्रयोग आदि उन्नत व्यवहारों को अपनाना आरम्भ किया। परियोजना के तहत 67 हेक्टर पर वाड़ी निर्माण किया गया जिससे कि 54 किसान परिवारों को लाभ प्राप्त होगा। 1054 किसानों ने 554 हेक्टरभूमि पर धान में पंक्तिबद्ध रोपाई की विधा को अपनाया। स्वयं सहायता समूहों के अतिरिक्त, 1929 परिवारों की सदस्यता के साथ 36 किसान क्लबों को भी प्रेरित किया गया। बाज़ार के साथ जुड़ाव को मजबूत करने के लिए 72 सदस्यों के साथ नए किसान उत्पादक संगठन का निर्माण किया गया जिसके सभी सदस्य जनजाति समुदाय से हैं। सेवा टीम द्वारा 816 परिवारों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते खोलने में सहयोग दिया गया। 153 किसानों को प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से और 508 परिवारों को सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से, व 122 परिवारों को प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के साथ जोड़ा गया। इस अवधि में विविध सरकारी कार्यक्रमों व विभागों जैसे कि कृषि प्रोद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), बागवानी मिशन, और नाबार्ड से लगभग 14.4 लाख रु की राशि जुटाई जा सकी।

रसोई वाटिका, जाली बहल गांव
फोटो श्रेयः सेवा

गैररासायनिक कृषि हेतु प्रायोगिक सत्र, बैगनबुद गांव
फोटो श्रेयः सेवा

dsl v/;;u

[ksrh dh vksj ykSVs ;qok ujs'k dh dgkuh

ओड़िसा के झारसुगुडा जिले के कोलाबीरा ब्लाक की झिरलापाली पंचायत के बद्बहल गाँव (लदरोपाडा) में रहने वाला 21 वर्षीय नरेश किसन, पुत्र सबदा किसन, एक युवा और सक्रिय किसान है। नरेश अपने क्षेत्र में हजारों किसानों के लिए आदर्श व्यक्तित्व है जिसने उन्नत कृषि को अपनाया है।

नरेश बेरोजगार था और उसका गाँव बद्बहल पंचायत मुख्यालय से 7 किलोमीटर और सेवा संस्था के कार्यालय से 2 किलोमीटर दूर था। वह जनजाति समुदाय से था और उसके परिवार में तीन सदस्य थे। उसके पिता छोटे किसान थे और उनके पास 2 एकड़ जमीन थी, जिसमें 1 एकड़ समतल और एक एकड़ पहाड़ी जमीन थी। उसके पिता कृषि की परम्परागत विधियों का प्रयोग करते हुए केवल धान और मौसमी सब्जियों का उत्पादन करते थे।

भटलेदा के जूनियर कॉलेज से 12 वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद, नरेश नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन निराशा हाथ लगी। अंततः, नरेश ने किसानी के बारे में सोचा, लेकिन वह कुछ अलग करना चाहता था। शिक्षित होने के कारण उसने सात दिन के जैविक कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जिसका आयोजन 7 नवम्बर से 13 नवम्बर 2015 में सेवा द्वारा कुमुरादेही में किया गया था। उसने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत नीलडूंगरी संबलपुर में सेवा द्वारा प्रायोजित, बागवानी के लिए उन्नत तकनीक आधारित प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। उसने कृषि की आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए सब्जियों और नगदी फसलों का उत्पादन आरम्भ किया। इसके लिए उसे सेवा और बागवानी विभाग से सहयोग प्राप्त हुआ। नरेश ने सब्जियों और नगदी फसल की बेचान से 35,000 रु की आय हुई। इस मुनाफे ने उसे और लाभ के लिए प्रेरित किया। नरेश को ओएलआईसी से अनुदान में बोरवेल स्वीकृत हुआ है और उसने आधे एकड़ जमीन पर ड्रिप सिंचाई पद्धति, आधे एकड़ जमीन पर केले की खेती और एक कम लागत का प्याज भण्डारण शेड प्राप्त करने के लिए बागवानी विभाग से लिंकेज स्थापित किया। नरेश को केले की खेती से 2,00,000 रु आय की उम्मीद है। उसकी यह आय बहुत मायने रखती है। न सिर्फ उसके माता–पिता के लिए, बल्कि उन सभी बेरोजगार और अकुशल युवाओं के लिए भी जो खेती को व्यवसाय के तौर पर अपनाने से हिचकते हैं। विनम्रता के साथ नरेश कहता है कि "मुझे अपने जैविक कृषि उत्पाद उद्यमी होने पर गर्व है"।

स्रोतः सेवा परियोजना वार्षिक रिपोर्ट 2015–16

l'tu

सृजन एक राष्ट्रीय स्तर की पेशेवर संस्था है जो कि ग्रामीण निर्धनों के लिए आजीविका संवर्धन हेतु कार्य करती है। यह राज्य व केंद्र सरकारों के साथ समन्वय से कार्य करते हुए अपने क्षेत्र के कार्य अनुभवों एवं सीख को विभिन्न नीतियों में सुधार हेतु बांटती है। एक विकास एजेंसी होने के नाते, सृजन विकास के सतत और आत्म–निर्भर प्रतिमान को प्रोत्साहन देने के लिए संकल्पबद्ध है। सृजन का कार्य पांच राज्यों के 18 जिलों में फैला हुआ है और वर्तमान में यह आजीविका संवर्धन एवं समुदाय स्तरीय संस्थाओं के विकास के माध्यम से 40,000 परिवारों (लगभग 200,000 जनसंख्या) की आय में बढ़ोत्तरी के लिए कार्यरत है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन करते हुए कृषि, पशुधन, और बागवानी इसके तीन मुख्य आजीविका मुद्दे हैं।

ifj;kstuk dk laf{kIr fooj.k

ifj;kstuk dk uke% *ज्योतिर्गमय (विकास की रोशनी)– ओड़िसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान के पांच जिलों के 50,000 जनजातीय परिवारों में आजीविका सुरक्षा और उनका क्षमता संवर्धन (ज्योतिर्गमय– लाइट ऑफ डेवलपमेंट लाइवलीहुड सिक्यूरिटी फॉर एंड बिल्डिंग कैपेसिटी अमंग 50,000 ट्राइबल फैमिलीज इन फाइव डिस्ट्रिक्स ऑफ ओड़िसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एंड राजस्थान)*

18 दिसम्बर 2014 को आयोजित परियोजना अनुदायी संस्था चयन समिति (PGSC) की पहली बैठक में इस परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। 16,000 परिवारों का लक्ष्य रखते हुए, 5.60 करोड़ अनुदान की राशि स्वीकृति की गई। परियोजना ने अप्रैल 2015 में अपना कार्य आरम्भ कर दिया। जनवरी 2016 में एक्सिस बैंक फाउंडेशन, सृजन और बीआरएलएफ ने एक विशाल और संयुक्त कार्यक्रम की संभावनाओं पर विचार किया। वर्तमान परियोजना की पहुँच के दायरे को और विस्तार देने के उद्देश्य से तीनों भागीदारों के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। बढ़ते हुए भौगोलिक दायरे और एक्सिस बैंक फाउंडेशन से प्राप्त अतिरिक्त वित्तीय सहायता (19.4 करोड़) के आधार पर परियोजना का लक्ष्य बढ़कर 50,000 परिवारों को सेवाएँ सुनिश्चित करना हो गया है। लक्षित परिवारों को चालू कार्यक्रमों के तहत विविध आजीविका गतिविधियों के माध्यम से व विभिन्न सरकारी योजनाओं से समावेशन करते हुए उपलब्ध अनुदान के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। परियोजना के तहत निर्धारित प्रमुख हस्तक्षेप निम्नवत हैं:

- समुदाय स्तरीय संस्थाओं का निर्माण और समुदाय का क्षमतावर्धन करना ताकि वे पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर सकें व अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकें।
- भूमि और जल आधारित परिसंपत्तियों का निर्माण करना ताकि किसान भूमि आधारित आजीविका गतिविधियों को करने के लिए सक्षम हो सकें (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन)।
- कृषि हेतु उत्पादकता उन्नयन कार्यक्रम।
- बागवानी आधारित आजीविका गतिविधियों का विकास जैसे; अनार,आम, अमरुद, शरीफा का बगीचा लगाना।
- शरीफा उत्पादन उन्नयन व शरीफे के लिए मूल्य–श्रृंखला निर्माण करना।

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa çeq[k xfrfof/k;k¡

वित्तीय वर्ष 2015–16 में सृजन द्वारा अनेक संस्थात्मक और आजीविका गतिविधियों के माध्यम से कुल 23466 परिवारों को शामिल किया जा चुका है। इस वर्ष 7104 सदस्यों के साथ 620 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। समूहों के पास 251 लाख रु की बचत है जिसके विरुद्ध उन्होंने 373 लाख रु का लोन प्राप्त किया है। 143 समुदाय आधारित संगठन और 4 किसान उत्पादक संगठन गठित किये गए हैं जिनमें क्रमशः 9101 और 3201 सदस्य है। 11756 परिवारों को श्री विधि, व कृषि और बागवानी के उन्नत तकनीकों को अपनाने हेतु शामिल किया गया है। 848 परिवारों को डेयरी विकास व 378 परिवारों को बकरीपालन से जोड़ा गया है। 609 परिवार भूमि विकास गतिविधियों से लाभान्वित हुए हैं व 853 परिवारों को लघु वन उत्पाद की मूल्य–श्रृंखला निर्धारण प्रयास के तहत शामिल किया गया है। लगभग 600 क्षमतावर्धन कार्यक्रमों को आयोजित किया गया जिनमें 9276 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इन सदस्यों में 7048 महिला सदस्य थीं। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से 1233 परिवारों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से 849 परिवारों, और प्रधानमंत्री जन–धन योजना से 455 परिवारों को लाभान्वित कराया जा चुका है।

समूह गतिविधि, स्वयं सहायता समूह क्लस्टर नेतृत्व प्रशिक्षण, पसाउरी, मनेन्द्रगढ़, कोरिया
फोटो श्रेयः सृजन

रुपन माता ग्राम संगठन, ग्राम तन्नी जिला पाली, राजस्थान
फोटो श्रेयः सृजन

fodkl lg;kx dæ

नब्बे के दशक के शुरुआती दौर में झारखंड राज्य के पलामू जिले में जल संरक्षण और सूखा मुक्ति अभियान के परिणामस्वरूप विकास सहयोग केंद्र का उदय हुआ। संस्था की मिश्रित कार्यप्रणाली है जिसमें अधिकार–आधारित दृष्टिकोण के साथ साथ विकास सम्बन्धी हस्तक्षेपों को क्रियान्वित करना भी शामिल है जिससे कि प्राकृतिक संसाधन, सार्वजनिक निवेश, और कल्याणकारी लाभों तक पहुँच को सुनिश्चित करते हुए आदिवासियों और दलितों की आजीविका को संवर्धित किया जा सके। इस दृष्टिकोण के अनुसार लक्षित परिवारों को सामान्य हित समूहों में गठित कर उनका क्षमतावर्धन किया जाता है व पैरवी हेतु विशेष मंचों को स्थापित किया जाता है ताकि संसाधनों तक सामूहिक पहुँच बन सके व तकनीकि सहयोग उपलब्ध हो सके। संस्था मनरेगा के तहत मजदूरी सम्बन्धी अधिकारों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों, की प्राप्ति की सुनिश्चितता करने व प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका अवसरों व विकल्पों का विकास करने का कार्य करती है।

ifj;kstuk dk l{kIr fooj.k

ifj;kstuk dk uke *पलामू और लातेहर जिले के छत्तरपुर और मनिका खंड में आजीविका अवसरों और अधिकारिता सुरक्षा को बढ़ाना (एन्हान्सिंग लाइवलीहुड अपोरच्युनिटीस एंड एंटाइटलमेंट सिक्यूरिटी इन छत्तरपुर एंड मनिका ब्लाक ऑफ पलामू एंड लातेहर डिस्ट्रिक्ट)*

9 सितम्बर 2015 को आयोजित परियोजना अनुदायी संस्था चयन समिति (PGSC) की दूसरी बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कि गई थी। झारखण्ड के पलामू और लातेहर जिले के छत्तरपुर और मनिका खंड की 33 ग्राम पंचायतों के 190 गावों के 13,000 परिवारों को लक्षित करते हुए 1.93 करोड़ रु का अनुदान स्वीकृत किया गया। परियोजना की अवधि पांच वर्ष की है व इसे अक्टूबर 2015 से चालू कर दिया गया है। परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- आय–अर्जन के लिए सतत आजीविका अवसरों को बढ़ाना।
- महिला और पुरुष किसानों की उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण एवं विपणन सम्बन्धी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लघु और सीमान्त किसानों के समूहों का निर्माण करना।
- स्थानीय प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं की क्षमताओं और प्रतिक्रियाशीलता को प्रभावित करना ताकि गरीब और हाशिये पर खड़े परिवारों को सूचनाएं उपलब्ध हो सकें व सार्वजानिक सुविधाओं तक उनकी पहुँच बढ़ सके।
- समुदाय आधारित नियोजन, निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता आदि व्यवहारों को स्थापित करना ताकि गरीब और हाशिये पर खड़े लोगों के संगठनों की सहभागिता से जन सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जा सके व उनके कार्य की समीक्षा की जा सके।

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa çeq[k xfrfof/k;k

इस वित्तीय वर्ष में विकास सहयोग केंद्र ने 169 गांवों में 4200 परिवारों को शामिल करते हुए कार्य करना शुरू किया। संस्था द्वारा स्वयं सहायता समूहों, व पानी उपभोक्ता समूह और ग्राम स्तरीय संगठन जैसे समुदाय आधारित संगठनों को प्रेरित किया गया। 624 सदस्यों के साथ 52 समूहों का व 2680 लोगों की सदस्यता के साथ 213 समुदाय आधारित संगठनों का गठन किया गया। समूहों द्वारा 30.5 लाख रु की बचत की गई जिसके आधार पर वे 18.75 लाख रु का ऋण उठाने में सक्षम हो सके। 972 परिवार 112 हेक्टेयर जमीन पर श्री विधि को अपनाते हुए उत्पादन कर रहे हैं। 1002 परिवारों ने सब्जी उत्पादन के लिए व 799 परिवारों द्वारा दलहन व तिलहन के उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत तरीकों को अपनाया गया है। 3248 परिवारों ने बकरीपालन, 1906 परिवारों ने मुर्गीपालन, 1500 परिवारों ने घरेलू मुर्गीपालन, और 1911 परिवारों ने मतस्य पालन की आजीविका गतिविधियों को क्रियान्वित किया है। 1979 परिवारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत व 150 परिवारों को विविध लघु वन उत्पाद हेतु मूल्य–श्रृंखला प्रयासों के तहत लाभान्वित किया गया है। साथ ही 505 परिवारों को प्रधानमंत्री जन–धन योजना से, व 1765 परिवारों को मनरेगा के तहत जोड़ा गया है। विकास सहयोग केंद्र द्वारा कृषि विभाग, मनरेगा, बागवानी, और मतस्य पालन विभाग से विभिन्न सहयोगों के तहत 17.41 करोड़ के राशि परियोजना क्षेत्र के लिए जुटाई जा चुकी है।

मुर्गी प्रजनन फार्म, चुकरुमढ़, छतरपुर
फोटो श्रेयः विकास सहयोग केंद्र

श्री विधि द्वारा खेती, बिखी गाँव, छतरपुर
फोटो श्रेयः विकास सहयोग केंद्र

oLVuZ vkfMlk ,uvkjbZth,l dalkfVZ;e

इस परियोजना को सात सिविल सोसायटी संगठनों के परिसंघ द्वारा मिलकर ओड़िसा के बोलंगीर और नुआपाड़ा जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परिसंघ की भागीदार संस्थाएं लोकदृष्टि (प्रमुख भागीदार), आंचलिक जन सेवा अनुष्ठान, अधिकार, बोलंगीर ग्रामोद्योग समिति, जनमुक्ति अनुष्ठान, श्रमिक शक्ति संगठन, और विकल्प हैं। इन सिविल सोसायटी संगठनों के मुख्य लक्षित समूह लघु और सीमान्त कृषक, बेघर, विधवा मुखिया वाले परिवार, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, भूमि रहित परिवार, कृषि और असंगठित मजदूर हैं।

सहभागी संस्थाएं विभिन्न आंदोलनों और अभियानों के जरिये वृहद् स्तर पर सामाजिक जुड़ाव का काम करती हैं ताकि ग्राम स्तर पर लोगों के संगठनों को बनाते समय अति गरीब परिवारों को हाशिये पर धकेल देने या उसे नजरअंदाज करने की प्रक्रिया को रोका जा सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, और खाद्य सुरक्षा हेतु वैकल्पिक आजीविका अवसरों को प्रोत्साहन आदि परियोजना के मुख्य मुद्दे हैं।

ifj;kstuk dk lf{kIr fooj.k

ifj;kstuk dk uke% *विकास के लिए लोगों के उठते कदम (पीपल्स एक्शन इन डेवलपमेंट)*

परियोजना ओड़िसा के बोलंगीर और नुआपाड़ा जिलों के सात विकास खण्डों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रस्तावित लक्ष्य 25 ग्राम पंचायतों के 138 गाँव के 15000 परिवारों तक पहुँच बनाना है। संस्थाएं उन क्षेत्रों में कार्यरत हैं जहाँ जोखिमपूर्ण पलायन की दर बहुत ज्यादा है। परियोजना के तहत स्थायी कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से लक्षित परिवारों की सतत आजीविका सुरक्षा और भोजन व पोषण सुरक्षा का उद्देश्य प्रस्तावित किया गया है। संस्थाएं समुदाय आधारित संगठनों को प्रेरित करने और स्थानीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य भी करेंगीं। परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- समाज कल्याण सम्बन्धी व अन्य विभागों की योजनाओं की लोगों तक पहुँच को बढ़ाना व विभागों की योजनाओं के लाभों के वितरण प्रणाली में सुधार करना।
- समाज के कमजोर और वंचित वर्ग की रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के माध्यम से न्यूनतम आवश्यक स्तर के सामाजिक संरक्षण तक पहुँच को सुनिश्चित करना अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, खाद्य और आजीविका सुरक्षा की सुनिश्चितता।
- सतत और वैकल्पिक आजीविका अवसरों का विकास करना।

परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सातों संस्थाओं की योजना राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और **कार्यक्रमों के समावेशन के माध्यम से है।**

मनरेगा अन्तर्गत जल संरचना निर्माण मूरीबहल JMA
फोटो श्रेय: वेस्टर्न ओड़िसा एनआरईजीएस कंसोर्टियम

foÙkh; o"kZ 2015&16 esa çeq[k xfrfof/k;k¡

नवम्बर 2015 में परियोजना की शुरुआत हुई। संस्थाओं द्वारा 138 गावों में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन अभ्यास को पूर्ण किया जा चुका है। समुदाय आधारित संगठनों जैसेकि रोजगार समितियां, स्वयं सहायता समूह, और किसान क्लब आदि का गठन करने के साथ परियोजना का कार्य आरम्भ किया जा चुका है। परिसंघ द्वारा 85 स्वयं सहायता समूहों व 67 समुदाय आधारित संगठनों का गठन किया जा चुका है जिनमें क्रमशः 1022 व 1295 सदस्य शामिल हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 में विविध स्रोतों से लगभग 39.50 लाख रु व सह–वित्त व्यवस्था के तहत कुल 56 लाख रु की राशि को जुटाया जा सका है। परिसंघ की प्रमुख गतिविधियाँ व पहुँच का विवरण निम्नवत है:

çeq[k xfrfof/k;k¡	dqy
विविध कृषि गतिविधियों में शामिल किये गए कुल परिवार (बेहतर बीज, विविध फसलों को लेना, बेहतर पी ओ पी, बीज उपचार)	1125
पशुधन विकास गतिविधियों में शामिल परिवार	447
लघु वन उत्पाद मूल्य–श्रृंखला को अपनाने वाले परिवार (महुआ और छार बीज)	1627
जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण में लाभान्वित कुल परिवार	122
वन अधिकार अधिनियम के तहत लाभान्वित कुल परिवार	322
कुल आयोजित क्षमतावर्धन कार्यक्रम	25
प्रशिक्षित सदस्य	496
प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत जोड़े गए कुल परिवार	1500

dsl v/;;u

vk'kk dh fdj.k

42 वर्षीया उमा भोई, पत्नी श्री ईश्वर भोई, अनुसूचित जाति के अति गरीब परिवार से है। उसका गाँव घंताबहाली, बोलंगीर के मुरीबहल विकास खंड की मलिसिरा ग्राम पंचायत में है। दो बेटों और एक बेटी को मिलाकर उसके परिवार में कुल पांच सदस्य हैं। परिवार के पास खेती हेतु कुल 1.5 एकड़ पहाड़ी जमीन है। क्षेत्र पूर्णतया सूखाग्रस्त है। अतः, वह और उसका पति अन्य लोगों के खेतों में अकुशल कृषि श्रमिक के तौर पर कार्य करते हैं। उसका पति पैसा कमाने के उद्देश्य से पास के कस्बे में जाता रहता है। उमा का पति जब भी काम के लिए गांव से बाहर जाता है, तो उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

जनमुक्ति अनुष्ठान की प्रेरणा से उमा ने नरेगा के तहत कार्य करना शुरू कर दिया। संस्था ने उसको जॉब कार्ड दिलाने में भी मदद की। पिछले वर्ष उसने 150 दिन का कार्य किया, जबकि इस वर्ष वह 62 दिनों का कार्य कर चुकी है व अभी निरंतर कर भी रही है। इस वर्ष उसने मनरेगा के तहत 10,000 रु की आय अर्जित की। पिछले वर्ष मनरेगा की आय से उसने 4 बकरियां खरीदीं थीं। आज उसके पास 12 बकरियां हैं व उसने बकरी पालन का कार्य चालू कर दिया है। जनमुक्ति अनुष्ठान की मदद से उसने पल्ली सभा से बकरी घर बनाने के लिए फंड भी जुटा लिया। इस साल उसका लक्ष्य अपना घर बनाने का है। 100 दिन का काम पूरा होने की वजह से उसने इंदिरा आवास योजना के तहत भी घर बनाने के लिए योग्यता प्राप्त कर ली है। उसके नाम पर कार्य–आदेश भी जारी किया जा चुका है। उसके बड़े बेटे ने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है व छोटा बेटा 10वीं में पढ़ रहा है। उमा खुश है व मनरेगा को धन्यवाद देती है कि उसे समय पर काम और पैसा मिला जिससे कि वह अपने परिवार की मदद कर सकी व पलायन के जोखिम को कम कर सकी।

स्रोतः वेस्टर्न ओड़िसा एनआरईजीएस कंसोर्टियम परियोजना वार्षिक रिपोर्ट 2015–16

यूथ काउंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज (वायसीडीए)

यूथ काउंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज (वायसीडीए), संस्था पंजीकरण अधिनियम 1993 और विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम 1997 के तहत पंजीकृत एक सिविल सोसायटी संगठन है। संस्था ने वंचित और शोषित वर्ग की सामाजिक–आर्थिक दशाओं में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ओड़िसा में काम करना शुरू किया था। धीरे–धीरे संस्था ने अनेक स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भागीदारी में प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और सूक्ष्म वित्त, स्थायी कृषि, आजीविका, और बेहतर शासन व्यवस्था हेतु सफल परियोजनाओं को क्रियान्वित किया। वायसीडीए बौध जिले में स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा पर कार्य करने वाली ऐसी प्रमुख संस्था है जिसकी समूह की अवधारणा लेन–देन से कहीं ज्यादा विस्तृत है। आजीविका हस्तक्षेपों के जरिये समूहों को विविध छोटी–छोटी आय अर्जन की गतिविधियों से जोड़ा गया है जिससे कि वे परिवारों की आय को बढ़ाने के योग्य हो सके हैं। वे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने व अपने अधिकारों, सुविधाओं की मांग करने के लिए जागरूक हो सके। गरीबों की खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को सामुदायिक अनाज कोष के माध्यम से हल किया जा रहा है।

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

परियोजना का नाम: *ओड़िसा के बौध और बोलंगीर जिले के जनजातीय समुदाय को समर्थ बनाना (इनेबलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ बौध एंड बोलंगीर डिस्ट्रिक्स, ओड़िसा)*

परियोजना का लक्ष्य, संस्था–निर्माण और क्षमतावर्धन के माध्यम से बौध और बोलंगीर जिले के 17,660 जनजातीय समुदायों के परिवारों को इस प्रकार सशक्त करना है कि वे सरकारी संसाधनों, योजनाओं और हकों तक पहुँच स्थापित कर सकें एवं स्थायी तौर पर गरीबी को हटाने के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था की भागीदारी से संसाधनों व अधिकारों पर नियंत्रण स्थापित कर सकें।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रमुख गतिविधियाँ

वायसीडीए सामुदायिक विकास हेतु विभिन्न विभागों से संसाधनों को जुटाने में सफल रहा है। फसल की उत्पादकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से संस्था ने कृषि विभाग से समन्वयन किया और सुनिश्चित किया कि राज्य सरकार का मुख्यमंत्री मिनीकिट कार्यक्रम किसानों तक पहुंचे। आत्मा कार्यक्रम के लिए प्रेरित करने तथा पशुपालन विभाग के सहयोग से लोगों को 'वनराज' नस्ल की घरेलू मुर्गीपालन योजना से जोड़े जाने से लघु और सीमान्त किसानों की आय के स्तर में बढ़ोत्तरी हुई है। सरकारी प्रमुख कार्यक्रमों जैसे 'आरसेटी' आदि के माध्यम से संस्था ने युवाओं के लिए नौकरी के अवसर प्रस्तुत किये हैं तथा समूह सदस्यों को रोजगार योजनाओं के तहत जोड़ा गया है। वंचित अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के परिवारों की खुशहाली के लिए संस्था ने परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा है व विविध योजनाओं के तहत परिवोरों को रोजगार उपलब्ध कराया है। समुदाय की बेहतरी के लिए संस्था द्वारा विभिन्न विभागों से लगभग 17,98,362 रु की राशि जुटाई गई है।

केस अध्ययन

अनाज कोष के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना

गम्भारिपदर, बौध जिले के कंतामल खण्ड की बर्गोछा ग्राम पंचायत का राजस्व गाँव है। गाँव में 90 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। वर्ष 2012 से गाँव में स्वयं सहायता समूह गठित करने की प्रक्रिया शुरु की गई थी। संस्था ने समुदाय को खाद्य असुरक्षा और कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए अनाज कोष के निर्माण के लिए प्रेरित किया। पांच महीनों के अन्दर समूहों ने कोष के लिए 160 किलो धान इकठ्ठा कर लिया। इस छोटे से प्रयास से परिवारों को दबावपूर्ण पलायन और अपनी परिसंपत्तियों को बेचने से राहत मिली है।

मनरेगा के तहत काम की सुनिश्चितता

बोलंगीर जिले के बेलपाडा विकास खण्ड का कपानी गाँव 120 परिवारों की आबादी वाला गाँव है। इस गाँव के अधिकतर लोग दैनिक मजदूरी करते हैं और नजदीकी राज्यों में काम की तलाश में पलायन भी करते हैं क्योंकि आजीविका के लिए स्थानीय स्तर पर कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, खेती के मौसम के बाद कुछ किसान सब्जी उत्पादन करके स्थानीय बाजार में बेचने का काम भी करते हैं। वर्ष 2014 से, जागरूकता व जानकारी नहीं होने के कारण मनरेगा के तहत लोगों को कार्य नहीं मिल रहा था। परिणाम स्वरूप, आजीविका की तलाश में लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा था। जॉब कार्ड होने के बावजूद लोगों को काम नहीं मिलता था। वायसीडीए कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पंचायत कार्यालय से संपर्क किया व उनके हस्तक्षेप के बाद मनरेगा के तहत 36 जॉब कार्ड धारकों को काम के साथ जोड़ा जा सका। तीन चरणों में उन्हे 1,07,024 रु का काम प्राप्त हुआ और अब वे पलायन की चिंता के बिना गाँव में ही ठहरे हुए हैं।

स्रोतः वायसीडीए परियोजना वार्षिक रिपोर्ट 2015–16

मनरेगा के तहत कार्य, डुमरीगुडा गाँव, बेलपाडा, बोलंगीर
फोटो श्रेयः वायसीडीए

vU; lk>snkfj;k

बीआरएलएफ जिस तरह के वृहत्तर ध्येय को नेतृत्व दे रहा है, उसके लिए 'व्यवस्था' स्तर पर प्रभाव आवश्यक हैं, उन्हें मजबूती के साथ तभी आगे तक ले जाया जा सकता है जब समान सोच और हितों वाली संस्थाएं/संगठन एक मंच पर जुटें, उनके साथ और परस्पर उनके मध्य भी साझेदारी को प्रेरित किया जाये। साझेदारी का यह दृष्टिकोण एक–दुसरे की ताकतों का सम्बल लेने, संसाधनों को इकट्ठा करने और सीख को साझा करने का अवसर देता है। बीआरएलएफ द्वारा सक्रिय रूप से विभिन्न विषयों पर इस तरह की साझेदारियों को सुगमता प्रदान की जाती रही है।

इसी दृष्टिकोण के साथ बीआरएलएफ ने सहभागी भू–जल प्रबंधन (पीजीडब्लूएम), गैर–रासायनिक प्रबंधन (एनपीएम), अधिसूचित/विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियाँ (डीएनटी–एनटी), और क्षमता–निर्माण हेतु हस्तक्षेप क्रियान्वित किये हैं, जिनके बारे में पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है। बीआरएलएफ और केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम साझेदारी आधारित दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जब देश के श्रेष्ठ सिविल सोसायटी संगठन बीआरएलएफ और विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पाठ्यक्रम को विकसित करने और उसे पढ़ाने के लिए एक जुट हो गए हैं।

सहभागी भूजल प्रबंधन के मुद्दे पर बीआरएलएफ ने अपने दस साझेदार सिविल सोसायटी संगठनों के प्रशिक्षण व सतत सहयोग हेतु एक्वाडैम (ACWADAM) और इसके तकनीकी सहयोगी, वासन, एसीटी, और पीपल्स साइंस इंस्टिट्यूट के साथ साझेदारी की, और इस तरह इस मुद्दे पर एक विशाल गठबंधन उभर कर आया है। इसी मुद्दे पर आगे चलकर, बीआरएलएफ और अर्घयम (ARGHYAM) के मध्य साझेदारी हुई है, जिसके तहत वर्तमान में चल रहे सहभागी भूजल प्रबंधन के काम पर एक बेहद गुणवत्तापरक शोध और पैरवी के मसलों पर काम किया जायेगा। इसके तहत यह भी सोचा गया है कि इस क्षेत्र हेतु बेअरफुट हाइड्रो–जियोलॉजिस्ट का एक पूरा कैडर तैयार हो, और इस कार्य को गति मिले व मुख्यधारा से जुड़े।

बीआरएलएफ कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत किये जाने वाले प्रयासों के साथ भी साझेदारी के लिए प्रयासरत है। एक्सिस बैंक फाउंडेशन–बीआरएलएफ–सृजन के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके अनुसार पांच राज्यों में 50,000 परिवारों को लाभान्वित करने की सृजन की परियोजना को सह–वित्त व्यवस्था के तहत पोषित किया जायेगा। संयुक्त अनुदान वाली इस विशाल परियोजना हेतु एक्सिस बैंक फाउंडेशन ने 19.4 करोड़ और बीआरएलएफ ने 5.6 करोड़ का निवेश किया है। उम्मीद है कि यह अपने आप में सह–वित्त व्यवस्था का पहला प्रयास होगा। बीआरएलएफ ने साझे विषयों और भोगोलिक क्षेत्रों में समान संभावनाओं की तलाश में नव–गठित एसबीआई फाउंडेशन, और ओएनजीसी फाउंडेशन के साथ भी संवाद चालू किया है।

जल और स्वच्छता (वाटसन) मुद्दे पर बीआरएलएफ ने भागीदार सिविल सोसायटी संगठनों और राज्य सरकारों को समुदाय आधारित पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण देने व सतत सहयोग उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से 'उत्थान' संस्था के साथ साझेदारी की है। बीआरएलएफ, सीआईआई एवं एक्वाडैम संयुक्त रूप से भूजल के विकास एवं संरक्षण हेतु एक वृहत भागीदारी पर निरंतर चर्चा कर रहा है। सीआईआई और बीआरएलएफ अपनी–अपनी सामर्थ्य को जोड़ते हुए एक बहु–राज्यीय कार्यक्रम पर सहमति–पत्र के माध्यम से साझेदारी के लिए विचार करेंगे।

बीआरएलएफ और नाबार्ड के बीच साझेदारी को लेकर दोनों संस्थाओं के अध्यक्षों के मध्य चर्चा की जा चुकी है और सहमति–पत्र का मसौदा भी तैयार किया जा चुका है। दोनों संस्थाओं के समान उद्देश्य और सोच को देखते हुए यह साझेदारी पूर्णतया सहज है व इससे बीआरएलएफ के साझेदार सिविल सोसायटी संगठनों को नाबार्ड के विविध कार्यक्रमों तक पहुँच व उनको क्रियान्वित करने, शोध हेतु सहयोग, क्षमतावर्धन और नवाचारों को करने में मदद मिलेगी।

बीआरएलएफ और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम) पारिस्थितिकी–पुनर्निर्माण, आजीविका और पंचायती राज संस्थाओं के मुद्दों को केंद्र में रखते हुए एक संयुक्त कार्यक्रम की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। क्षमता–निर्माण (पारिस्थितिकी–पुनर्निर्माण पर एडवांस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम), शोध व मूल्यांकन अध्ययन के बारे में भी सोचा जा रहा है। इसी तरह, बीआरएलएफ ने ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आनंद (आईआरएमए) के साथ भी शोध और निगरानी व मूल्यांकन हेतु साझेदारी के लिए संवाद चालू कर दिया है। ग्रामीण प्रबंध संस्थान इस विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बल देता रहा है और जैसा कि पहले भी उल्लेख किया है बीआरएलएफ के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर आ रहा है। राज्य सरकारों की तरफ से अध्ययनों और शोध की बढ़ती मांग को देखते हुए बीआरएलएफ अन्य अकादमिक और शोध संस्थाओं से भी साझेदारी की संभावनाओं को देख रहा है।

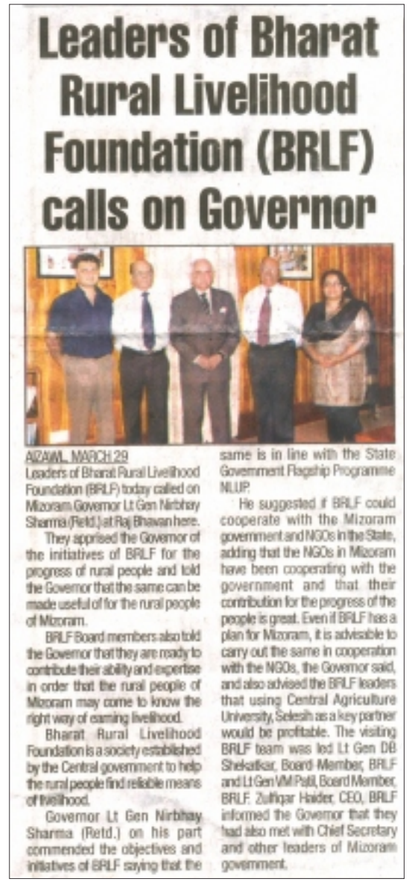

Leaders of Bharat Rural Livelihood Foundation (BRLF) calls on Governor

AIZAWL, MARCH 29
Leaders of Bharat Rural Livelihood Foundation (BRLF) today called on Mizoram Governor Lt Gen Nirbhay Sharma (Retd.) at Raj Bhavan here.

They apprised the Governor of the initiatives of BRLF for the progress of rural people and told the Governor that the same can be made useful of for the rural people of Mizoram.

BRLF Board members also told the Governor that they are ready to contribute their ability and expertise in order that the rural people of Mizoram may come to know the right way of earning livelihood.

Bharat Rural Livelihood Foundation is a society established by the Central government to help the rural people find reliable means of livelihood.

Governor Lt Gen Nirbhay Sharma (Retd.) on his part commended the objectives and initiatives of BRLF saying that the same is in line with the State Government Flagship Programme NLUP.

He suggested if BRLF could cooperate with the Mizoram government and NGOs in the State, adding that the NGOs in Mizoram have been cooperating with the government and that their contribution for the progress of the people is great. Even if BRLF has a plan for Mizoram, it is advisable to carry out the same in cooperation with the NGOs, the Governor said, and also advised the BRLF leaders that using Central Agriculture University, Selesih as a key partner would be profitable. The visiting BRLF team was led Lt Gen DB Shekatkar, Board Member, BRLF and Lt Gen VM Patil, Board Member, BRLF. Zulfiqar Haider, CEO, BRLF informed the Governor that they had also met with Chief Secretary and other leaders of Mizoram government.

द मिज़ोरमपोस्ट ऐज़वाल, 30 मार्च 2016 में प्रकाशित

महाराष्ट्र में गैर–अधिसूचित एवं घुमंतु जनजातियों पर संवाद
फोटो श्रेयः शिप्रा भाटिया

chvkj ,y ,Q Vhe dk l–<hdj.k vkj lxBu

एक रणनीति के तौर पर बीआरएलएफ यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसके द्वारा प्रेरित किये जा रहे मुख्य हस्तक्षेप विषयों जैसे सहभागी भूजल प्रबंधन, गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जल और स्वच्छता आदि से सम्बंधित कार्यक्रमों और शोधों में उच्च स्तर की समझ और सोच परिलक्षित हो। इस हेतु यह प्रयास किया गया है कि इन विषयों के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रशिक्षणों में बीआरएलएफ टीम के सदस्य भाग लें व अपनी सोच–समझ और अनुभवों का दायरा बढ़ाएं। कोर टीम द्वारा सहभागी भूजल प्रबंधन हेतु 2 दिन का आमुखीकरण और 7 दिन का प्रशिक्षण लिया जा चुका है। इसी तरह टीम द्वारा गैर–रासायनिक कृषि प्रबंधन पर भी बोधगया में सात दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। जैसे–जैसे अन्य विषयों पर हस्तक्षेप क्रियान्वित किये जायेंगे, टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण किया जाता रहेगा। क्षेत्र भ्रमण में अवलोकन करने, साझेदारी की भावना जाग्रत करने, साझेदार नागरिक समाजिक संगठनों के मध्य पुष्ट नियोजन और परिणाम–उन्मुखता को सुगमता देने इत्यादि मुद्दों पर साझी समझ विकसित करने की दृष्टि से, समूची टीम विकास सहयोग केंद्र, पलामू में संयुक्त भ्रमण पर गई थी। टीम सदस्य, विशेषकर युवा सदस्य नियमित रूप से अपने वरिष्ठ टीम सदस्यों के साथ साझेदार संस्थाओं में क्षेत्र भ्रमण हेतु जाते रहते हैं, और साझेदार संस्थाओं के वार्षिक नियोजन, निगरानी आदि में सहयोग देते हुए एक– दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। इस सीखने के क्रम में बीआरएलएफ के मूल्यों को बल मिलता है और यह समझ विकसित होती है कि साझेदार संस्थायें वास्तविक रूप से सहभागी हैं और उसके सहयोग से सामुदायिक विकास संभव है।

बीआरएलएफ को अक्सर विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आमंत्रण प्राप्त होते रहते हैं और टीम सदस्य विभिन्न कांफ्रेंस और कार्यशालाओं जैसे कि लाइवलीहुड समिट, आदि में भाग लेते रहते हैं जिससे उन्हें विकास के मुद्दों पर नवीन जानकारी और विचारों से अवगत रहने का अवसर मिलता है, व साथ ही लोगों और संस्थाओं से भी संपर्क बनता है।

अप्रैल माह में बीआरएलएफ ने अपनी टीम के लिए 'ट्रांस्फोर्मेशनल लीडरशिप' विषय पर चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला श्रीमति मोनिका शर्मा द्वारा सहजीकृत की गई थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखती हैं व विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं का गहन अनुभव रखती है। प्रशिक्षण का आयोजन ऑरोविले, पोंडिचेरी में किया गया था और सभी को एक–दूसरे के साथ मिलने–जुलने का मौका मिला था। ऑरोविले में कार्यशाला से एक लाभ यह भी था कि वहां पर हो रहे विभिन्न नवाचारी हस्तक्षेपों को देखने व समझने का भी अवसर मिला, विशेषकर पारिस्थितिकी–पुर्नस्थापन सम्बन्धी कार्य, जहाँ उन्होंने देसी स्थानीय पेड़–पौधों के जरिये उजाड़/बंजर जमीन पर पूरा जंगल बना दिया है। बीआरएलएफ टीम इस नवाचार को देश के अन्य भागों में करने के लिए प्रेरित हुई है और सक्रिय रूप से इसको करने के लिए विचार कर रही है।

पिछले वर्ष, बीआरएलएफ ने स्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया के माध्यम से 'सेरेब्रुस कंसल्टेंट्स' नामक एच आर कंसल्टिंग एजेंसी की सेवाएँ लीं थी ताकि एक मजबूत कंपनसेशन नीति तैयार की जा सके जो कि बीआरएलएफ में अगले तीन से पांच सालों के लिए लागू की जा सके। उनका कार्य वेतनमानों को श्रेणीवार प्रस्तुत करने, वर्तमान पदों को सेक्टर में मौजूद समकालीन प्रवृत्ति के अनुसार स्थापित करने का भी है। उन्हें हमारी कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली (परफॉरमेंस अप्रेजल सिस्टम) की समीक्षा करने के लिए और अप्रेजल हेतु 360–डिग्री फीडबैक प्रारूप को विकसित करने के लिए भी कहा गया है। ये सब करने का उद्देश्य संगठन की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के मद्देनजर किया गया है। इस प्रकार की नीतियों और कार्य–प्रणालियों के साथ बीआरएलएफ अपनी व्यवस्थाओं को इस प्रकार सुदृढ़ कर लेगा ताकि आनेवाले 5–8 सालों तक बेहतर तरीके से कार्य करने हेतु सुगमता रहेगी। सेरेब्रुस अपना पहला कार्य सम्पादित कर चुकी है व वर्ष 2016 के मध्य तक आते–आते कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का कार्य भी सम्पन्न हो जायेगा।

rkfy dk

CERTIFICATE OF REGISTRATION

UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860

Registration No. S/ND/ 351 /2013

I hereby certify that "BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)" Located at 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi has been registered* under SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1860.

Given under my hand at Delhi on this 10th day of December Two Thousand Thirteen.

Fee of Rs. 50/- Paid

Seal

Registrar of Societies
New Delhi District

(PRADEEP KUMAR)
REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI

** This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860. However, any Govt. department or any other association/person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liabilities of the society before entering into any contract/assignment with them.*

तालिका 2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ अनुबंधपत्र

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF INDIA
AND
BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

This MoU is being entered into between:

The Ministry of Rural Development, Government of India (to be called MoRD hereafter)

And

Bharat Rural Livelihoods Foundation, an independent registered Society for charitable purposes under the Societies Registration Act, 1860 having registration number S/ND/351/2013 and registered office at 38-A Krishi Bhawan, New Delhi (to be called BRLF hereafter)

On this 13th day of January (month) in the year 2014

Whereas the Government of India has decided to

A. Set up Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) as an independent registered Society for charitable purposes under the Societies Registration Act, 1860
B. Release Rs. 500 Crore for creating the corpus of the new Society, in two tranches subject to conditions laid down by Expenditure Finance Committee

Whereas BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women, particularly in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning.

Whereas MoRD will continuously enable organisations receiving BRLF support to create convergence and improve access of resources to the households under the Centrally Sponsored Schemes and flagship programmes.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Dept. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

Whereas through setting up of BRLF, the MoRD desires to look at a new model of partnership wherein Government proactively engages with private philanthropies, public and private sector undertakings (as part of their corporate social responsibility) as well as other stake-holder groups to raise resources to support and scale up proven interventions ofCivil Society Organisations.

And whereas the Government of India decided that the first tranche of Rs. 200 crore (Rupees Two Hundred Crore) will be provided to BRLF at the time of its formation and the second tranche of Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore) will be provided after two years subject to fulfilment of certain conditions.

NOW THE MoU STANDSAS FOLLOWS:

1. The first tranche of Rs. 200 crore (Rupees Two Hundred Crore) will be released to BRLF by the MoRD immediately upon signing of this MoU between the two parties and the second tranche of Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore) will be released after two years on fulfillment of the following conditions:.

    1. The corpus must be managed by BRLF and invested following prudential financial norms under competent advice. No expenditure should be made from the corpus itself and only the income arising out of the corpus can be utilized to fulfill the objectives of BRLF

    2. In the initial years, BRLF may focus on blocks that have at least 20 percent tribal population from the tribal regions of Central India, with preference where possible to areas of higher tribal population. However, BRLF should be open for pan-India implementation also, in later years.

    3. BRLF needs to frame its corpus management policy, grant making policy, human resources policy etc. within a definite time frame and well before release of the second tranche.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Dept. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

4. To achieve the objectives of BRLF for upscaling civil society action in collaboration with the Government, the most important component of the grant support to Non-Government Organisations /Civil Society Organisations by BRLF will be to meet their cost of additional professionals and institutional costs of supporting the professionals. In this respect, BRLF should bear no more than 80% of the costs. The rest has to be sourced by the grantee NGO/CSO from own or other sources. A cap on the proportion of funds to be spent on administrative matters should be placed by BRLF (other than salary of professionals).

5. The evaluation criteria for assessing the impact of BRLF should be firmed up at the beginning itself so as to enable an independent assessment of the impact at the end of the XII Five Year Plan. The Government will undertake a review of BRLF after five years and in case the outcomes are not forthcoming as projected, the Government will be free to take back the grant and advise dissolution of BRLF.

6. One of the expectations from BRLF is that the experiences of resolving the problems of the tribal and other poor communities should throw up recommendations to the Government on the changes required in programmes and policies. BRLF will periodically send its recommendations to the Government in appropriate ways.

7. For the release of the 2nd tranche of corpus fund amounting to Rs. 300 crore (Rupees Three Hundred Crore), the following are the conditions to be met by BRLF in addition to the above:

   a. Completion of the process of hiring of the CEO and other core staff
   b. Formulation of basic operating policies, including grant approval & monitoring, HR policy etc
   c. Conclusion of agreements with States regarding flow of programme funds to projects
   d. Selection of first batch of projects and start of work on ground

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

   e. The CSOs supported by BRLF should be able to reach out to at least 1,00,000 families
   f. At least Rs. 100 Crore (Rupees One Hundred Crore) of private contribution should be mobilized either through corpus contribution or through annual grants or through co-financing by other donors
   g. Improvement in scheme delivery should be documented
   h. Regularity of Board meetings in accordance with the letter and spirit of Byelaws of BRLF
   i. Proper management of Corpus with competent advice

2. Through this MoU, the MoRD commits to provide the following support to BRLF:

   1. Immediately upon signing of this MoU, MoRD will transfer first tranche of its corpus support of Rs. 200 crore to BRLF
   2. MoRD will make every endeavor to foster and facilitate effective working relationship between the State Governments, BRLF and Civil Society Organisations supported by BRLF
   3. MoRD will continuously enable organisations receiving BRLF support to create convergence and improve access of resources to the households under the Centrally Sponsored Schemes and flagship programmes
   4. MoRD will support BRLF's endeavor to raise financial resources from non-government sources including private philanthropies, public and private sector undertakings, CSR initiatives etc.
   5. Upon fulfilment of conditions laid down in this MoU, MoRD will transfer second tranche of its corpus support of Rs. 300 crore to BRLF

3. Reporting:

BRLF will report to the MoRD on an annual basis by submitting its audited financial report; corpus/other funds mobilization, investment and utilization report and narrative annual report.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

4. Visibility:

BRLF should mention the following in its communications and on its letter-head:

"An independent society set up by the Government of India to upscale civil society action in partnership with Government"

5. Indemnity

BRLF and MoRD shall fully indemnify each other of all statutory liabilities arising due to their own failure to comply with statutory obligations. In addition to this general indemnity, BRLF and MoRD shall completely absolve each other from any other liability issues that may be raised against it by any of its clients /customers /partners

6. Force majeure

1. For the purpose of this MoU, 'force majeure' means an event which is beyond the reasonable control of a party, either BRLF or MoRD and which makes a party's performance regarding its obligations hereunder impossible or so impracticable as reasonably, to be considered impossible in the circumstances and includes, but is not limited to war, riots, civil/disorder, earthquake, fire, explosion, storm, flood and other adverse weather conditions, strikes lock-outs of other similar action which are not within the power of the party invoking "force majeure" to prevent confiscation or any other action by the other party.
2. The failure of any party, either BRLF or MoRD, to fulfill any of its obligations hereunder shall not be considered to be breach of, or default under this MoU in so far as such inability arises from an event of force majeure, provided that the party affected by such event should take all reasonable precautions due care and reasonable alternative measures to the satisfaction of the other party, all with the objectives of carrying out the terms and conditions of this MoU.

एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND
अपर सचिव/Additional Secretary
ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development
भारत सरकार/Govt. of India
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Bharat Rural Livelihoods Foundation

3. In the event of a force majeure, BRLF and MoRD shall consult with each other, with a view to agreeing on appropriate measures to be taken under the circumstances.

7. Disputes and arbitration:

Any dispute between BRLF and MoRD on any matter that has relevance to the smooth and effective functioning of BRLF and achieving the purposes for which BRLF is set up, shall be settled through mutual discussion. In case they are not able to resolve the dispute among themselves, the Secretary, Rural Development, Government of India will act as the Arbitrator.

Signed on 13 th day of January in the year 2014 by

Designated Official on behalf of
Bharat Rural Livelihoods Foundation

Signature:
Name: T. Vijay Kumar
Seal: CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Bharat Rural Livelihoods Foundation

Witness
Signature:
Name: Nawal Kishore Gupta
Address: 19/414, Sundaram Khand, Sector-19, Vasundhara, Ghaziabad, UP-201012

Designated Official on behalf of
Ministry of Rural Development
Government of India

Signature
Name: एस. एम. विजयानंद/S. M. VIJAYANAND, अपर सचिव/Additional Secretary
Seal: ग्रामीण विकास विभाग/Deptt. of Rural Development, भारत सरकार/Govt. of India, कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Witness
Signature:
Name: P.S. PRASANNA KUMAR
Address: पी. एस. प्रसन्न कुमार / P. S. Prasanna Kumar, निजी सचिव/Private Secretary, ग्रामीण विकास मंत्रालय/Min. of Rural Development, भारत सरकार/Govt of India, कृषि भवन नई दिल्ली/Krishi Bhavan, New Delhi-1

तालिका 3: 12ए प्रपत्र

Office of the
Director of Income Tax (E),
26th Floor, Tower-E2, Pratyaksha Kar Bhawan
Dr. S.P.Mukherjee Civic Centre, J.L.Nehru Marg,Delhi

NO.DIT (E) I 2014-15/ DEL - BR23932 - 08092014 3849 Dated 08/09/2014

NAME & ADDRESS: BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION [BRIF]
38-A,KRISHI BHAWAN MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT GOVERNMENT OF INDAI NEW DELHI 110001

Legal Status : Society

PAN NO : AACAB2971N

GIR NO : B-1662

Sub:-ORDER OF REGISTRATION U/S 12A. READ WITH SECTION 12AA OF THE INCOME TAX ACT. 1961

1. An application in Form No. l0A seeking Registration u/s 12A was filed on ....12/03/2014....
2. The Trust / Society / Non profit company was constituted by deed of trust, memorandum of association / instrument dated 10/12/2013 indicating its object.
3. After considering the material available on record, the applicant trust / society / company is granted registration as "General Public Utility" Trust / society / company and the provisions of Sections 11 and 12 shall apply in the case from A. Y. 2014-15. The trust/society/NPO is registered at S. No. DEL - BR23932 - 08092014 of the register maintained in this office. The registration is granted subject to the following conditions :

Conditions:

I. Order u/s 12A(1)(a) read with section 12AA(1) (b) does not conform any right of exemption upon the applicant u/s 11, 12 and 13 of the Income Tax Act, 1961. Such exemption from taxation will be available only after the Assessing Officer is satisfied about the genuineness of the activities promised or claimed to be carried on in each Financial Year relevant to the Assessment Year and all the provision of law acted upon. This will be further subject to provisions of section 2(15) of the Income Tax Act1961.

II. The Trust/Society/Non Profit Company shall maintain accounts regularly and shall get these audited in accordance with the provision of section 12A(1)(b) of the Income Tax Act, 1961. Separate accounts in respect of each activity as specified in memorandum shall be maintained. A copy of such account shall be submitted to the Assessing Officer. A public notice of the activities carried on/to be carried on and the target group(s) (intended beneficiaries) shall be duly displayed at the Registered / Designated Office of the Organization.

III. Separate accounts in respect of profits and gains of business incidental to attainment of objects shall be maintained in compliance to section 11(4A) of the Income Tax Act 1961.

IV. The trust/Institution shall furnish a return of income every year within the time limit prescribed under the act.

V. The trust/Institution should quote the PAN in all its communications with the Department.

VI. The registration u/s. 12AA of the I.T. Act, 1961 does not automatically confer any right on the donors to claim deduction/s 80G.

VII. This certificate cannot be used as a basis for claiming non - deduction of tax at source in respect of investments etc relating to the Trust/Institution.

VIII. All the Public Money so received including for Corpus or any contribution shall be routed through a Bank Account and such Bank Account Number shall be communicated to this office.

IX. No change in the terms of Deed of the Trust shall be effected without due procedure of law i.e. by order of the jurisdictional High Court and its intimation shall be given immediately to this office.The registering authority reserves the right to consider whether any such alteration in objects would be consistent with the definition of "charitable purpose" under the Act and in conformity with the requirement of continuity of registration.

X. No asset shall be transferred without the knowledge of the undersigned to anyone, including to any Trust / Society / Non profit Company etc.

XI. The registred office or the principal place of activity of the applicant should not be transferred outside the national capital territory, Delhi except with the prior approval of the DIT(E), Delhi.

XII. If later on it is found that the registration has been obtained fraudulently by misrepresentation or suppression of any fact, the Registration so granted is liable to be cancelled as per provisions u/s section 12AA(3) of the Act.

XIII. The registration so granted is liable to be cancelled at any point of time, if the registering authority is satisfied that activities of the Trust/Institution are no genuine or are not being carried out in accordance with the objects of the Trust/Institution.

(SUNITA PURI)
Director of Income Tax (Exemption)
DELHI

Director of Income Tax (Exemptions)
26th Floor, E2, Pratyaksh Kar Bhawan
Civic Centre, New Delhi-110002

Copy to:
1. The applicant as above
2. The Assessing Officer

(M.K.SHARMA)
Income Tax Officer(Exemp)(HQ)
For Director of Income Tax (Exemption) DELHI

Income Tax Officer (HQ) (E)
26th Floor, Block-E2,
Pratyaksh Kar Bhawan,
Civic Centre, J. L. Nehru Marg,
New Delhi-110002

तालिका 4: 80जी प्रपत्र

Office of the
Commissioner of Income Tax (E),
26th Floor, Tower-E2, Pratyaksha Kar Bhawan
Dr. S.P.Mukherjee Civic Centre, J.L.Nehru Marg,Delhi

NO.CIT (E) I 2015-16/ DEL - BE26004 - 15052015/6275 Dated 15/05/2015

NAME & ADDRESS: BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION [BRIF]
38-A,KRISHI BHAWAN MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT GOVERNMENT OF INDAI NEW DELHI 110001

Legal Status: Society

PAN NO: AACAB2971N

GIR NO: B-1662

Sub:-ORDER UNDER SECTION 80G (5)(vi) OF THE INCOME TAX ACT, 1961

On verification of the facts stated before me/hearing before me, I have come to the conclusion that this organization satisfies the conditions u/s 80G of the Income Tax act, 1961. The institution/Fund is granted approval subject to the following conditions :-

(i) The Donee institution shall forfeit this benefit provided under the law, if any of the conditions stated herein are not complied with/abused/whittled down or in any way violated.

(ii) This exemption is valid for the period from A.Y.2015-16 onwards till it is rescinded and subject to the following conditions

Conditions:

(i) You shall maintain your accounts regularly and also get them audited to comply with sec. 80G (5)(iv) read with section 12A(1)(b) and 12A(1)(c) and submit the same before the assessing officer by the due date as per section 139(1) of the Income tax Act 1961

(ii) Every receipt issued to donor shall bear the number and date of this order and shall state the date up to which this certificate is valid A.Y.2015-16 onwards till it is rescinded.

(iii) No change in the deed of the trust/association shall be affected without the due procedure of Law and its intimation shall be given immediately to this office.

(iv) The approval to the institution/fund shall apply to the donations received only if the fund/institution, established in India for charitable purpose, fulfills the conditions as laid down in section 80G5(i), (ii), (iii), (iv), (v) & (5B) of the Income Tax Act 1961.

(v) This office and the assessing officer shall also be informed about the managing trustees or Manager of your Trust/Society/Non Profit Company and the places where the activities of the Trust/Institution are undertaken/likely to be undertaken to satisfy the claimed objects.

(vi) You shall file the return of income of your fund/institution as per section 139(1)/(4A)/(4C) of the Income Tax Act, 1961.

(vii No cess or fee or any other consideration shall be received in violation of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.

(SUNITA PURI)
Commissioner of Income Tax (Exemptions)
DELHI

Commissioner of Income Tax(E)
Room No. 2602, Block-E2
Pratyaksh Kar Bhawan, Civic Centre
New Delhi-110002

Copy to:
1. The applicant as above
2. The Assessing Officer

(PANKAJ SACHAN)
ACIT(Exemp)(HQ)
For Commissioner of Income Tax (Exemptions) DELHI

Asstt. Commissioner of Income Tax
(Exemptions) (Hqrs.) Room No. 2620
26th Floor, Block-E-2,
Pratyaksh Kar Bhawan, Civic Centre
J.L. Nehru Marg, New Delhi-110002

तालिका 5: खाता अंकेक्षण एवं वित्तीय सारांश (2015–16)

AVA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

4F, Gopala Tower, 25, Rajendra Place
New Delhi -110 008 (India)
Tel. : +91-11-25868593 - 94
Fax : +91-11-45040855
E-mail : ava@avaca.in

Independent Auditors' Report

To The Members of
Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2016, the Income and Expenditure Account, Receipt and Payment Account for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Society in accordance with the accounting practices followed as per the guidelines prescribed by the Government of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Society's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Society's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

We further report that we have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our Audit. In our opinion proper books of accounts have been kept by the Society as far as appears from our examination of those books. We also report that the annexed statements of accounts are in agreement with the said books of accounts.

We also made an attempt to examine the transactions on test basis for regularity, reasonability, prudence and also the impact of various laws or underlying grant conditions with a view to appraise the propriety of expenditure. In our opinion and according to the information and explanation given to us, having regards to the explanation that certain items purchased/ services procured are of special nature for which suitable alternative sources do not exist for obtaining comparative quotations and in view of exigencies of operations; and, for which appropriate management approvals have been obtained, there is an adequate internal control system commensurate with the size of the society.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements read with the schedules thereon give a true and fair view in accordance with the accounting principles generally accepted in India:

a. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at 31st March 2016.
b. In the case of Income and Expenditure Account, of the Surplus of the period ended on that date.
c. In the case of Receipt and Payment Account, of the cash flows during the period.

Further we report that:

a. We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit.
b. In our opinion proper books of accounts as required under Societies registration Act, 1860 has been kept by the society so far as appear from our examination.
c. the Balance Sheet, Income & Expenditure account and Receipt & Payment Account dealt with this report are in agreement with the books of account.
d. In our opinion the Balance Sheet, Income & Expenditure account and Receipt & Payment Account, comply with the relevant accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

For AVA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 004017N

(CA Avineesh Matta)
Partner
M. No. 083054
Place: New Delhi
Date: 13.06.2016

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2016

Amount in Rs.

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	2015-16	2014-15
Corpus Fund	A	2,000,000,000	2,000,000,000
Endowment Fund	B	104,628,636	102,854,104
Capital Grant-in-Aid	C	612,766	960,583
Reserve & Surplus	D	280,705,314	205,961,079
Current Liabilities & Provisions	E	1,498,765	268,156
Total (Rs.)		**2,387,445,482**	**2,310,043,922**
ASSETS			
Fixed Assets	F	1,426,085	1,315,984
Investments	G	2,150,000,000	2,000,000,000
Investment of Endowment Fund	H	101,050,000	100,000,000
Current Assets			
Cash & Bank Balance	I	47,511,067	174,457,817
Other Current Assets	J	87,458,330	34,270,121
TOTAL (Rs.)		**2,387,445,482**	**2,310,043,922**
Significant Accounting Policies	P		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	Q		

As per our report of even dated attached

For AVA & Associates
Chartered Accountants
FRN :004017N

CA Avineesh Matta
Partner
M. No. 083054
Place: New Delhi
Date: 13.06.2016

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

(Zulfiquar Haider)
Chief Executive Officer

(Sharad Bhargava)
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016

Amount in Rs.

INCOME	Sch	2015-16	2014-15
Grants, Subsidies & Donations	K		
Grants		898,350	6,482,447
Other Income	L	188,738,234	203,425,966
TOTAL		**189,636,584**	**209,908,413**
EXPENDITURE			
Expenditure			
Program Expenses	M	97,570,867	7,350,474
Establishment Expenses	N	14,982,191	7,671,772
Other Administrative Expenses	O	1,659,333	2,539,077
Depreciation	F	679,957	708,504
Excess of Income over Expenditure		74,744,235	191,638,586
TOTAL		**189,636,584**	**209,908,413**
Significant Accounting Policies	P		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	Q		

As per our report of even date attached

For AVA & Associates
Chartered Accountants
FRN:004017N

CA Avineesh Matta
Partner
M. No. 083054
Place: New Delhi
Date: 13.06.2016

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

(Zulfiquar Haider)
Chief Executive Officer

(Sharad Bhargava)
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION [BRLF]
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016

(Amount in Rs.)

Receipts	2015-16	2014-15	Payments	2015-16	2014-15
Opening Balance			**Investments in Bank Fixed Deposits**		
Cash	6,534	-	- from Income from MORD Corpus Fund	150,000,000	2,000,000,000
Bank Balance	174,451,283	2,014,322,493	- from TATA Endowment Fund	1,050,000	100,000,000
			Fixed Assets Purchased		
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	-	100,000,000	- from Income from MORD Corpus Fund	118,587	-
Grant from UNDP	898,350	8,085,150	- from UNDP Sponsor Project	-	-
Interest received on Saving Bank Account	7,947,765	10,077,894	- from Tata Trust Endowment fund	670,303	5720
Interest received on Fixed Deposit with Banks (Net of TDS)	139,076,545	166,551,904	TDS deducted	2,062,621	1,870,382
Misc Receipts	1,200	-	Employees Provident fund	710,323	345,422
Interest accrued on Fixed Deposits	13,154,014	-	**Expenses Paid**		
			Program Expenses	112,978,524	8,485,414
			Establishment Expenses	11,953,143	8,028,315
			Other Administrative Expenses	1,525,883	1,158,823
			Tata Trust Endowment Fund	6,955,239	4,685,549
			Closing Balance		
			a) Cash	-	6,534
			b) Bank	47,511,067	174,451,283
TOTAL	335,535,691	2,299,037,441	TOTAL	335,535,691	2,299,037,441

As per our report of even date attached

For AVA & Associates
Chartered Accountants
FRN : 004017N

CA Avineesh Matta
(Partner)
M. No. : 083054
Place: New Delhi
Date: 13.06.2016

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

(Zulfiquar Haider)
Chief Executive Officer

(Sharad Bhargava)
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION [BRLF]
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

(Amount - Rs.)

PARTICULARS		AMOUNT (2015-16)		AMOUNT (2014-15)
SCHEDULE A - Corpus Fund				
Grant from Ministry of Rural Development, Government of India				
Opening Balance		2,000,000,000		2,000,000,000
Add: Received During the year		-		-
Closing Balance		**2,000,000,000**		**2,000,000,000**

SCHEDULE B - Endowment Fund		**2015-16**		**2014-15**
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships				
Opening Balance		102,854,104		
Received During the year				100,000,000
Interest Earned during the year	8,783,635		7,237,062	
Less: TDS	347,647		708,000	
Less: Interest accrued but not due and received	120,652		414,616	-
Net Interest	8,315,336		6,114,446	-
Less: Utilization during the year				-
- Human Resource / Personnel Cost	534,510		823,264	-
- Aid 360 Software & Server Expenses	963,084		3,049,380	-
- Program Expenses	1,854,914			
- Travel Cost	2,896,187		606,370	
- Office Running Cost	760,408		582,955	
Total Utilization	7,009,103		5,061,969	
		1,306,233		1,052,477
Closing Balance of Endowment Fund		**104,160,337**		**101,052,477**
Add: Adjustments for				
TDS	347,647		708,000	
Interest Accrued	120,652		414,616	
Prepaid Expenses	-	468,299	679,011	1,801,627
Closing Balance		**104,628,636**		**102,854,104**

Note: 15% of the annual interest income earned on the Endowment Fund or the unused portion of the income after meeting expenditure towards the objective of the grant, whichever is greater, shall be added to the Endowment Fund and be reinvested in the same manner as the Endowment Fund is invested. Accordingly against Rs. 13,06,233/- an amount of Rs.13,00,000/- has been deposited in Bank FDR on 11 April'2016.

SCHEDULE C - Capital Grant in Aid		2015-16		2014-15
United Nations Development Programme				
Opeing Balance		960,583		-
Received during the year		-		1,602,703
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased		347,816		642,120
Closing Balance		612,766		960,583

SCHEDULE D - Reserve & Surplus		2015-16		2014-15
Surplus				
Opening Balance		205,961,079		14,322,493
Add: Surplus of Income over Expenditure for the year		74,744,235		191,638,586
Closing Balance		280,705,314		205,961,079

SCHEDULE E - Current Liabilities & Provisions		2015-16		2014-15
i. Current Liabilities				
Maintenance Charges Payable		-		5,000
TDS Payable		228,396		-
Expenses Payable		232,201		-
Payable to staff		26,904		-
ii. Provisions				
Employee Benefits				
- Long Term Defined Benefits Plan (Earned Leave)	478,554		181,170	
- Long Term Defined Benefits Plan (Gratuity)	339,000		-	
- Short Term Benefits (Encashment of Leave)	193,710	1,011,264	81,986	263,156
Total		1,498,765		268,156

SCHEDULE G - Investments		2015-16		2014-15
Investments in FDR with Yes Bank				
Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India		2,000,000,000		2,000,000,000
Investments in FDR with Indusind Bank				
Invested out of interest on above		150,000,000		-
Total		2,150,000,000		2,000,000,000

Schedule F.

Schedule F-a

MoRD - FIXED ASSETS as on 31.03.16

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2015	Addition: More than 180 Days	Addition: Less than 180 Days	Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2016
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	60%	6,720	98,899	-	-	105,619	63,371	42,248
Office Equipment	15%	76,319	-	19,688	-	96,007	12,924	83,083
Furniture & Fixture	10%	239,399	-	-	-	239,399	23,940	215,459
Sub Total						441,025	100,236	340,789
INTANGIBLE								
Computer Software	33%	32,964	-	-	-	32,964	10,878	22,086
Sub Total						32,964	10,878	22,086
Total						473,989	111,114	362,875

UNDP Sponsor Project - FIXED ASSETS as on 31.03.16

Schedule F-b

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2015	Addition: More than 180 Days	Addition: Less than 180 Days	Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2016
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	60%	485,208	-	-	-	485,208	291,125	194,083
Office Equipment	15%	147,941	-	-	-	147,941	22,191	125,750
Furniture & Fixtures	10%	319,796	-	-	-	319,796	31,980	287,816
Sub Total						952,945	345,296	607,649
INTANGIBLE								
Software	33%	7,638	-			7,638	2,521	5,117
Sub Total						7,638	2,521	5,117
Total						960,583	347,816	612,767

TATA Sponsor Project - FIXED ASSETS as on 31.03.16

Schedule F-C

Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2015	Addition: More than 180 Days	Addition: Less than 180 Days	Deduction	Total	Depreciation for the Year	WDV as on 31.03.2016
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
TANGIBLE								
Computer Hardware	60%	-	240,375	186,194	-	426,569	200,083	226,486
Office Equipment	15%	-	59,690	-	-	59,690	8,954	50,737
Furniture & Fixtures	10%	-	54,604	130,607	-	185,211	11,991	173,220
Sub Total						671,470	221,027	450,443
INTANGIBLE								
Software	33%	-	-			-	-	-
Sub Total						-	-	-
Total						671,470	221,027	450,443

TOTAL TANGIBLE	2,065,440	666,559	1,398,881
TOTAL INTANGIBLE	40,602	13,399	27,203
GRAND TOTAL	2,106,042	679,957	1,426,085

SCHEDULE H - Investments of Endowment Fund		2015-16		2014-15
Investments in FDR with Indusind Bank				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		100,000,000		100,000,000
Investments in FDR with Yes Bank				
Invested out of interest on above		1,050,000		-
Total		**101,050,000**		**100,000,000**

SCHEDULE I - Cash & Bank Balances		2015-16		2014-15
Cash in Hand		-		6,534
Bank Balances in Savings Accounts with YES Bank Chanakyapuri, New Delhi Branch				
Account No. 000394600000384	45,815,846		173,389,168	
Account No. 000394600000391	1,901		4,639	
Account No. 000394600000443	1,693,320	47,511,067	1,057,476	174,451,283
Total		**47,511,067**		**174,457,817**

SCHEDULE J - Other Current Assets		2015-16		2014-15
Grant to Civil Society Organisation (CSO) - Unutilized		16,001,941		
Interest Accrued on Fixed Deposits with Banks				
-Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India	48,818,624		12,982,192	-
-Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	120,652	48,939,276	414,616	13,396,808
Advance against services to be received		64,127		-
Prepaid License Fees		806,625		679,011
Security Deposit (Rent)		200,000		200,000
Tax Deducted at Source (2014-15)		19,994,301		19,994,301
Tax Deducted at Source (2015-16)		1,452,060		-
Total		**87,458,330**		**34,270,121**

BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049 BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

SCHEDULE K. Grants, Subsidies & Donations		2015-16		2014-15
Grant From United Nation Development Program		898,350		6,482,447
Total Grants		**898,350**		**6,482,447**

SCHEDULE L. Other Incomes		2015-16		2014-15
Saving Bank Interest	7,947,765		10,077,894	
Less:				
-Transfer to Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	366,782	7,580,983	157,062	9,920,832
Interest Earned on Fixed Deposits with Banks				
-Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India	180,808,235		192,863,014	
-Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	8,416,853		7,080,000	
Total	189,225,088		199,943,014	
Less: Transfer to Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	8,416,853	180,808,235	7,080,000	192,863,014
Miscellaneous Income		349,016		642,120
Total		**188,738,234**		**203,425,966**

SCHEDULE M. Program Expenses		2015-16		2014-15
Grant to Civil Society Organisation (CSO's)		77,765,923		-
Grant for Central India initiative & PGWM		13,650,718		-
Policy Strategy & Partnership Development		59,826		328,693
Consultancy & Evaluation Fees		609,182		849,000
Information, Education and Communication Material		172,300		-
Event, Meetings and Workshop Expenses		817,650		
Expenditure on TCS Aid 360 & Server		3,353,811		5,464,342
Travel Expenses		1,141,457		708,439
Total		**97,570,867**		**7,350,474**

BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049 BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

SCHEDULE N. Establishment Expenses		2015-16		2014-15
Salary		12,526,815		6,809,243
Earned Leave Expenses		505,720		263,156
LTA Expenses		33,072		-
Medical and Mediclaim expenses		177,305		-
Books and Periodicals		24,278		-
Vehicle Running & Maintainance Expenses		483,325		-
Employer Contribution to Provident Fund		703,963		120,238
EPF Admin Charges		51,698		9,000
Grauity Expenses		339,000		-
Staff Communication Expenses		-		33,230
Recruitment Expenses		17,015		436,905
Relocation Expenses		120,000		-
Total		14,982,191		7,671,772

SCHEDULE O. Other Administrative Expenses		2015-16		2014-15
Audit Fees		67,830		31,461
Books, periodicals and publications		-		132,186
Equipment Maintenance Expenses		167,608		69,149
Conveyance Expenses		-		14,035
Fees and Registration		-		3,343
Meeting Expenses		-		509,174
Misc Expenses		-		3,400
Office Expenses		62,622		96,088
Postage & Courier		198		4,808
Stationary Expenses		14,370		48,187
Recruitment Expenses		-		
Office Rent		1,320,000		676,000
Staff Welfare Expenses		-		49,706
Telephone & Internet Expenses		20,415		174,739
Travel Expenses		-		684,429
Water & Electricity Expenses		6,290		42,372
Total		1,659,333		2,539,077

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

AVA & ASSOCIATES Chartered Accountants NEW DELHI

SCHEDULE-P

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)

1. Legal Status and Operation:

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) has been promoted by Ministry of Rural Development, Government of India as an autonomous charitable society registered under the Society Registration Act, 1860 having registration no. S/ND/351/2013 dated 10th December, 2013.

Envisaged as supporting CSO projects focused on tribals, especially women's empowerment and livelihoods, BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women all over India. Concentrating in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning covering ten states of Odisha, Jharkhand, West Bengal, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana and Gujarat, its long term goals *inter alia* are providing grants to civil society organisations (CSOs) to meet their human resource and institutional costs for up-scaling proven interventions, invest in institutional strengthening of smaller CSOs and capacity building and development of professional human resources working at the grassroots.

2. Corpus Fund:

A Memorandum of Understanding (MoU) between Ministry of Rural Development, Government of India and Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) dated 13th January 2014 has been entered into to provide grants upto Rs. 500 crores for creating corpus, in two tranches subject to conditions laid down in the MoU. During the year 2013-14 the Government of India has released Rs. 200 crore as first tranche of corpus fund on 5th March 2014 and the second tranche of Rs. 300 crores will be released after two years on fulfilment of conditions prescribed in the MOU. In accordance with Grant conditions in MoU, no expenditure can be met from the corpus fund received from Government of India; however, the income arising out of the corpus can be utilized to fulfil the objectives of the society. MoU also mandates review of BRLF and its programmes' impact assessment by the Government after five years and may take back the grant and may advise dissolution of BRLF in case the outcomes are not forthcoming as projected.

3. Summary of Significant Accounting policies:

3.1 Accounting Convention

These statements of accounts have been prepared under the historical cost convention, without any adjustment to the effect of inflation.

3.2 Basis of preparation

The financial statement has been prepared following accrual basis of accounting except audit fee and interest on saving banks.

3.3 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made, that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

AVA & ASSOCIATES Chartered Accountants NEW DELHI

amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known or materialized.

3.4 Grant in Aid

Treatment of Grant in Aid has been made in the accounts as per AS-12 – Accounting for Government Grants issued by Institute of Chartered Accountants of India.

i. Grants are recognized only when there is reasonable assurance that BRLF will comply with the conditions attached to them and grants will be received.
ii. Grants in the nature of Corpus are treated as Corpus Fund and only the income arising out of Corpus shall be utilized to fulfil the objectives of BRLF.
iii. Grants received for specific purposes are utilized for the purpose of its release.
iv. Grants utilized to the extent of and in accordance with the grant conditions and project objectives are treated as Income in the Income & Expenditure Account.
v. Unutilized grants are treated as Liabilities in the Balance sheet.
vi. Grant related to specific depreciable Fixed Assets treated as deferred income which is recognized in the profit and loss statement on a systematic and rational basis over the useful life of the assets. Such allocation may be in the proportion in which depreciation on related assets is charged.

3.5 Income Recognition

Interest on Fixed deposit with banks is recognized on accrued basis and that on saving banks is recognized on cash basis.

3.6 Fixed Assets

A. Tangible Assets

Tangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment losses (if any). The cost of tangible assets include inward freight, duties & taxes (non refundable) and incidental & direct expenditure related to acquisition.

B. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment (if any). The Cost of intangible assets includes duties & taxes and incidental & direct expenditure related to acquisition.

3.7 Depreciation

A. Tangible Assets

a. Depreciation has been provided on written down value method as per the rate specified in Income Tax Act, 1961. Depreciation on assets purchased and put to use for less than 180 days in a year charged at the half rate of depreciation specified in Income Tax Act.
b. Depreciation of Assets purchased out of Capital Grant-in-Aid have been treated as Non Operating income and shown under "Miscellaneous Income".

B. Intangible Assets

Cost of Intangible Assets (Software) is amortized on a straight line basis over their useful life of three years as estimated by the Management.

C. Items, each costing Rs. 5000 or less, are fully depreciated in the year of acquisition.

3.8 Investment

a. Investment: Fixed deposits with banks which are intended to be held against corpus funds considered as long term and disclosed under investment.

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

b. Investment of Endowment Fund: Fixed deposits with banks intended to be held against endowment funds also considered as long term and classified under Investment of Endowment Fund.
c. Other investments: Other fixed deposit with banks shall be classified as cash and cash equivalent because of readily convertible to a known amount of cash and are subject to an insignificant risk of changes in values.

3.9 Employee Benefits

i. Short Term Benefits
Short term benefits like salary, allowances, ex-gratia, earned leave are recognised as expenses in the year in which related services are rendered.

ii. Defined Contribution Plan
The Society makes defined contribution to Provident Fund scheme which are recognized in the profit and loss account on accrual basis

iii. Defined Benefits Plan
a. The provision in relation to Gratuity is made through Actuarial Valuation.
b. Provision on employee discontinuance basis, in relation to Earned Leaves is made for the leave which can be accumulated up to 11 days in a year subject to maximum 66 days in aggregate, beyond which employee may make encashment.

3.10 Impairment of Assets

The carrying value of assets at each year balance sheet date is reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is greater of the net selling price and their value in use. Value is use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

3.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. Provisions

A provision is recognised when the entity has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

ii. **Contingent Liability and Assets**

Contingent liability is a possible obligation that arise from past events and the existence of which will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the society, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resource embodying benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised. Contingent Assets are neither disclosed nor recognised.

3.12 Taxes on Income

No Provision for Income Tax is considered necessary as the Society is registered as a Charitable Institution under section 12A (a) of the Income Tax Act, 1961 and the society shall fulfill the conditions attached to claim exemption under section 11 and 12 of the Income Tax Act.

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

(Sharad Bhargava)
Chief Finance Officer

(Zulfiquar Haider)
Chief Executive Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

SCHEDULE-Q

CONTINGENT LIABILITIES & NOTES TO ACCOUNTS (FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS)

I. In the opinion of the Management Current Assets are approximately of the value stated if realized in the ordinary course of business except otherwise stated.

II. Society had received Rs 10,00,00,000/- from Navajbai Ratan Tata Trust and Sir Dorabji Tata Trust contributing Rs. 5,00,00,000/- each towards Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development And Partnerships'. As per the grant conditions the funds entrusted shall under no circumstances be in any manner diminished, drawn out, borrowed upon or merged with any other endowment fund of BRLF or any other organisation, divided used as collateral, or in any way encumbered or any lien created thereupon or advanced in any manner whatever.

During the year society has earned interest of Rs. 87,83,635/- against Endowment Grant received from Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development. Out of total interest earned, an amount of Rs. 70,09,103/- has been utilized during the year 2015-16 as per the decision taken in the Executive Committee meeting dated 19th December 2014 on the heads of expenditure stated therein.

III. Fixed assets purchased having written down value of Rs. 9,60,583/- from grant of United Nations Development Program (UNDP) now vest with BRLF as per the condition of grant term.

IV. BRLF has been issued a certificate of lower deduction of Tax at source by the Income tax department.

V. The Society is not having any contingent liability as on 31.03.2016

VI. Figures have been rounded off to nearest rupees.

VII. Previous year figures have been regrouped or rearranged wherever necessary.

AVA & ASSOCIATES NEW DELHI Chartered Accountants

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

(Sharad Bhargava)
Chief Finance Officer

(Zulfiquar Haider)
Chief Executive Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION BRLF C-32, IInd Floor Neeti Bagh New Delhi 110049

A Pashu sakhi sharing her experience in a Federation's annual event, Bhimana, Pali Distt (Rajasthan)
Photo Credit: SRIJAN